खण्ड-214, अंक-2
मंगलवार, 4 श्रावण, शक संवत् 1882
(26 जुलाई, 1960 ई0)

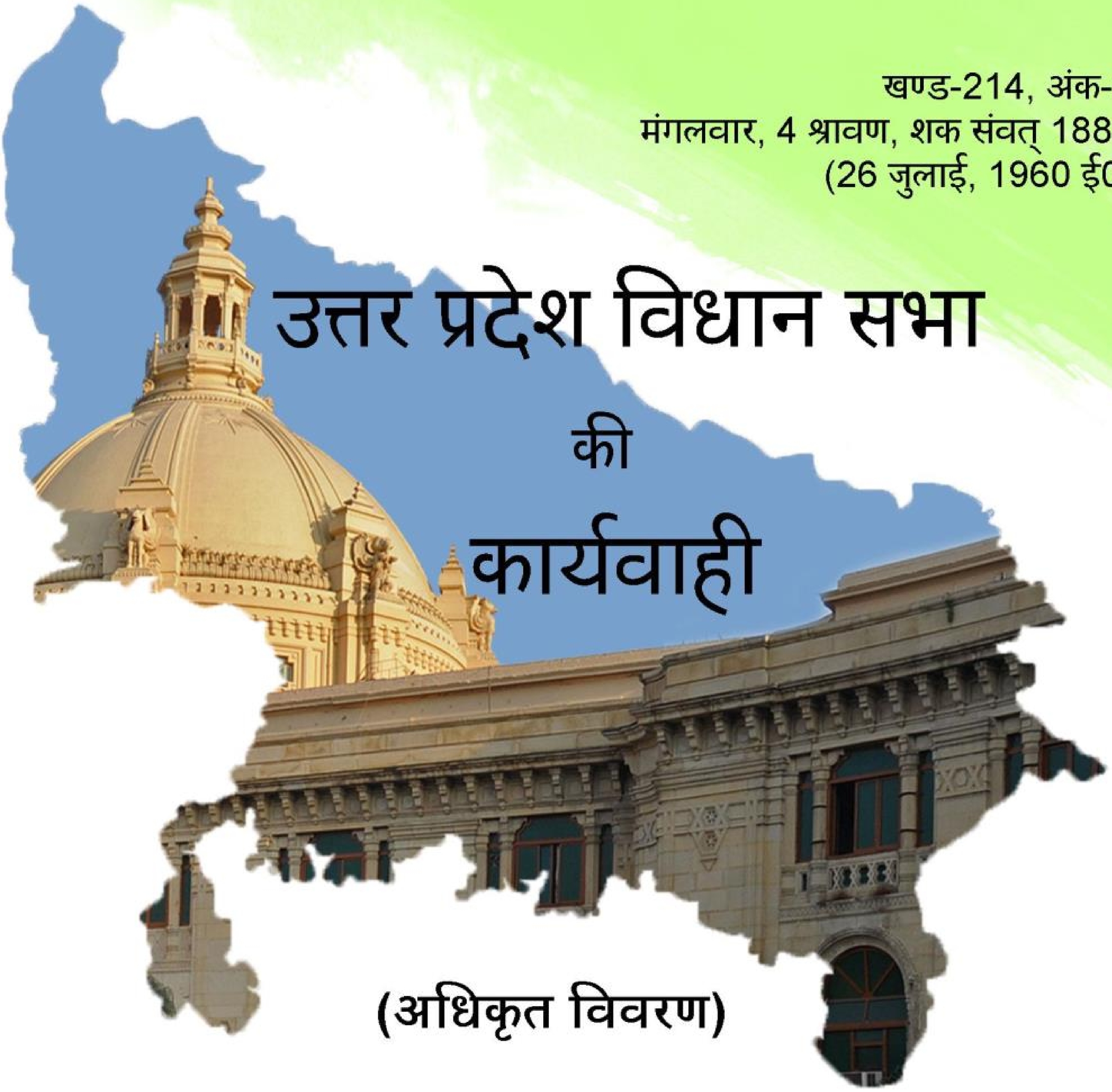

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 214 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २६ जुलाई, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अग्निहोत्री, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त०, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री

फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री

रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमी सिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)

श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रासाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीर सिंह, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २६ जुलाई, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में हाई पावर कमीशन नियुक्त करने में विलम्ब

**१--श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में उच्चाधिकार आयोग (हाई पावर कमीशन) नियुक्त करने की घोषणा जो विधान मंडल में की गई थी उसकी नियुक्ति की गई कि नहीं ? यदि हां, तो उसके कौन-कौन सदस्य हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा उपमन्त्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)--विश्वविद्यालयों के लिये प्रस्तावित हाई पावर कमीशन की नियुक्ति अभी तक नहीं हो सकी। किन्तु सरकार इस दिशा में यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लगभग ६ महीने हुये जब इसी सदन के फ्लोर पर यह आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र ही इस कमीशन की नियुक्ति होगी, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या माननीय मंत्री जी इस बात का प्रयत्न करेंगे कि इस सेशन के अन्दर ही उस कमीशन की घोषणा हो जाय ?

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--जी हां, आशा करता हूं कि बहुत शीघ्र ही उसकी घोषणा हो जायगी ।

जियनपुरवा ग्राम की कथित डकैती सम्बन्धी जांच

**२--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के जिलाधीश महोदय को अप्रैल, १९६० में ग्राम जियनपुरवा (रघुबापुर) मशमूले भरथर, थाना महमूदाबाद के कुछ व्यक्तियों का इस आशय का प्रार्थना-पत्र क्षेत्रीय एम० एल० ए० द्वारा भेजा हुआ प्राप्त हुआ था कि दिनांक २३-२४ फरवरी, १९६० ई० को रात को तीन घरों में डाका पड़ा और इस डकैती की रिपोर्ट थाना महमूदाबाद में दर्ज नहीं की गई ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---जी हां ।

*३---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि उपरोक्त प्रार्थना-पत्र की जांच डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (कम्पलेन्ट), सीतापुर द्वारा हुई थी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (कम्पलेन्ट्स) ने जांच में जब यह पाया कि मामले में नियमानुसार वे जांच नहीं कर सकते तो उन्होंने प्रार्थना-पत्र सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को वापस भेज दिया । सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने यह पत्र एक दूसरे अफसर को जांच के लिये भेजा । उक्त अफसर के जांच शुरू करने के पूर्व ही प्रश्नकर्ता महोदय के एक पत्र के आधार पर जिलाधीश ने एस० डी० एम० को इस मामले में जांच करने के आदेश दे दिये थे । एस० डी० एम० द्वारा पूर्ण जांच की गई, जिसमें पाया गया कि प्रार्थना-पत्र में की गई शिकायत में सत्यता नहीं है और प्रार्थियों के यहां कोई डकैती नहीं पड़ी ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने ३० या ३२ आदमियों के बयानात लिये और उसमें डकैती का पड़ना साबित हो गया इसीलिये उन्होंने जांच वापस ले ली ?

श्री रामस्वरूप यादव---सम्भवतः डी० वाई० एस० पी० कम्पलेन्ट्स ने उनके बयानात लिये हों, लेकिन वह जांच केवल चार विषयों के बारे में करते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में, रकम ऐंठने के बारे में, परेशान करने के बारे में और जान-बूझ कर बदला लेने के बारे में । उसमें यह नहीं आता था इसलिये उन्होंने उसे वापस कर दिया ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एस० डी० एम० महोदय ने जांच के सिलसिले में उन औरतों और विशेष कर परवन की लड़की, भगाना, जो सौर में थी उसे डाकुओं ने इतना मारा कि वह मरणासन्न हो गई थी, के बयानात भी कलमबन्द किये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, एस० डी० एम० की रिपोर्ट मेरे पास है । बयानात भी बहुत से लिये हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है, वह तो पूरी रिपोर्ट पढ़ने से मालूम हो सकेगा, जिसमें समय लगेगा ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इसी घटना के सिलसिले में दो व्यक्तियों के टैप रेकार्डिंग बयान जिलाधीश महोदय के यहां हुये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि उस शिकायत में कौन-कौन से अभियोग ऐसे थे जो डी० वाई० एस० पी० कम्पलेन्ट्स की जांच करने की परिधि के बाहर थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने पहले ही बतलाया कि केवल चार विषयों के बारे में डी० वाई० एस० पी० कम्पलेन्ट्स जांच करते हैं--भ्रष्टाचार, रकम ऐंठना, परेशान करना, जान-बूझ कर बदला लेना । यह केस उन विषयों में से नहीं था, इसमें जुर्म को छिपाने वाली शिकायत थी ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---अगर वहां डकैती नहीं पड़ी थी तो वहां बलवा हुआ या मारपीट हुई, किसी निर्णय पर कोई अधिकारी पहुंचा या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जांच इस बात की हुई कि डकैती पड़ी या नहीं और उसका फैसला जो एस० डी० एम० ने किया, वह यह था कि वहां कोई डकैती नहीं पड़ी ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी एस० डी० एम० महोदय की जांच के फलस्वरूप बतायेंगे कि अगर वहां डकैती नहीं पड़ी तो फिर वहां किस प्रकार की घटना हुई, या कोई घटना वहां हुई ही नहीं, इसमें कौन-सी बात सच है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जांच से उनको मालूम हुआ कि असल में कुछ शिकायत जो थी वह भी टेक्निकल डकैती की थी और उनको शहादत के आधार पर मालूम हुआ कि ऐसी घटना नहीं हुई ।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—यह जो रिपोर्ट को घटा-बढ़ा कर लिखा जाता है इसकी जांच करने का अधिकार उन को क्यों नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अधिकार क्यों नहीं है इस का प्रश्न नहीं है । जितने अधिकार उनको दिये गये हैं वह उन के भीतर ही जांच कर सकते हैं और अधिकारों की जहां तक बात है सरकार तय करे और उन को दे दे तब बात दूसरी है, लेकिन अब तक जितने अधिकार उनको हैं उन के बाहर वह जांच नहीं कर सकते ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—प्रश्न में यह भी पूछा गया है कि थाने में डकैती की रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई, इस विषय में जांच से क्या मालूम हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव—शिकायत यह थी कि एक डकैती पड़ी और थाने में उस की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, इस विषय में मेरे पास जानकारी नहीं है कि उस के बारे में क्या फाइंडिंग रही ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी डी० वाई० एस० पी० कम्पलेन्ट्स द्वारा जितनी जांच हुई उसको पढ़कर बताने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उन्होंने तो कोई जांच नहीं की, जांच तो एस० डी० एम० ने की थी उसी की रिपोर्ट आई है । अगर उस के बारे में माननीय सदस्य जानना चाहें तो आ कर देख सकते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा कि जब माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या इस मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं की गई तो इस बात का जवाब सरकार ने क्यों नहीं मंगाया और जांच क्यों नहीं की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—एस० डी० एम० ने इस बात की जांच की थी कि जुर्म को छिपाया गया या नहीं और उसी बात की जांच की यह रिपोर्ट है । डकैती नहीं पड़ी इसलिये उस का प्रश्न नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

ढोरा रिजर्वायर के मजदूरों की सुविधाओं के सम्बन्ध में जानकारी

*१—**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ढोरा रिजर्वायर के मजदूरों के लिये कितने कमरों के क्वार्टरों का प्रबन्ध किया गया है ?

*२—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वहां के मजदूरों के लिये दवा-दारू का कोई प्रबन्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे कि १९-२-६० को प्रश्न दिया गया था और उसमें केवल क्वार्टर्स और मेडिकल व्यवस्था की बात पूछी गई थी ? तो किस एजेंसी के द्वारा सूचना में देर हो रही है जब कि वहां एस० डी० ओ० रहते हैं, उन से टेलीफोन से भी पूछा जा सकता है ?

श्री धर्मसिंह—इस विषय में थोड़ी बहुत सूचना आई थी, लेकिन चूंकि उस में अधिक छानबीन की आवश्यकता थी और सरकार उससे सन्तुष्ट नहीं थी, इसलिये अभी उसकी जांच हो रही है।

श्री प्रतापसिंह—यह सूचना कब तक पूरी आ जायगी ?

श्री धर्मसिंह—शीघ्रातिशीघ्र सूचना मंगाने की कोशिश की जा रही है।

दोहरीघाट का पुल बनाने में विलम्ब

*३—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दोहरीघाट (आजमगढ़) का पुल कब तक बनना शुरू हो जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण उपमन्त्री (श्री महावीरसिंह)—दोहरीघाट के पुल के आगणन पर केन्द्रीय सरकार की प्राविधिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद पुल निर्माण का कार्य आरम्भ किया जायेगा।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट पुल का निर्माण कब तक शुरू होने की आशा है ?

श्री महावीरसिंह—जब केन्द्रीय सरकार से आगणन स्वीकार हो जायगा तो काम आरम्भ कर दिया जायगा।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—इस पुल के बनने में कुल कितना धन लगेगा ?

श्री महावीरसिंह—दो एस्टीमेट भेजे गये हैं पहला है १११.४ लाख का और दूसरा आर० सी० सी० का है १२६.५० लाख* का, केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति पर है जो भी स्वीकार हो जायगा उस के अनुसार दिया जायगा।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि २, ३ वर्ष पहले से जो उस पुल की बात चल रही थी उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को जल्दी करने के लिये कोई अनुरोध पत्र भेजा है कि नहीं ?

श्री महावीरसिंह—केन्द्रीय सरकार खुद तय करती है कि नेशनल हाईवेज पर पुल कब बने, कैसे बने जैसे जैसे धन उपलब्ध होता है वैसे ही देते जाते हैं।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—दो एस्टीमेट भेजने का क्या कारण है, तथा उन एस्टीमेट्स के लिये प्रान्तीय सरकार ने क्या सिफारिश की है ?

श्री महावीरसिंह—प्री स्ट्रेस्ड और आर०सी०सी० यह दो तरह के एस्टीमेट्स भेजे गये हैं। प्री स्ट्रेस्ड में कुछ ऐसी चीजें लगती हैं जिनको बाहर से मंगाना पड़ता है और उसमें फौरन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है इसलिये अगर कहीं फौरन ऐक्सचेन्ज की दिक्कत पड़े तो इस वजह से यह पुल ड्राप न हो जाय इसलिये आर०सी०सी० का ऐस्टीमेट भी भेजा गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दोनों ऐस्टीमेन्ट्स कब कब भेजे गये हैं और उस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई रिमाइन्डर भी भेजा गया है ? यदि हां, तो कब ?

---

*२३ अगस्त, १९६० को सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

श्री महावीरसिंह—१५ जुलाई, १९६०* को भेजा गया है।

फरेन्दा व बांसगांव तहसीलों के नलकूप

*४—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो नलकूप फरेन्दा तहसील में लगे हैं उनकी लागत प्रति नलकूप कितने रुपये पड़ी है और कितने नलकूपों से बालू निकलती है ?

श्री धर्मसिंह—फरेंदा तहसील में बनाये गये नलकूपों की औसत लागत ३७,१८४ रुपये है। तीन नलकूपों से बालू निकलती है किन्तु उनके कुछ और अधिक समय चलने के बाद पानी साफ हो जायेगा।

*५—श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में अब तक कुल कितने नलकूप बने हैं और कितने नलकूपों से पानी का निकास संतोषजनक है ?

श्री धर्मसिंह—अब तक ७५ नलकूप बन चुके हैं और ७३ नलकूपों से पानी का निकास सन्तोषजनक है।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या यह सही है कि १३ नलकूपों में जो बालू निकल रही है उसका कारण यह है कि कुओं को ५०० फीट न गला कर ३०० फीट ही गलाया गया है, लेकिन कागज पर ५०० फीट ही दिखाया गया है ?

श्री धर्मसिंह—शुरू में तो सभी प्रकार के ट्यूबवेलों में बालू निकलती है और जैसे ही समय बीतेगा यह शिकायत समाप्त हो जायेगी।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि कुयें ३०० फीट ही गलाये गये हैं जबकि कागज पर ५०० फीट दिखाये गये हैं ?

श्री धर्मसिंह—यदि माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जांच करा ली जायेगी।

औद्योगिक विकासार्थ बिजली की दरों में कमी करने की प्रार्थना

*६—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सरकार को यह विदित है कि औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उसने बनाई थी उसने यह सिफारिश की थी कि सरकार यहां के औद्योगिक विकास के लिये सर्वप्रथम सस्ती बिजली सुलभ करने का प्रयत्न करे ? यदि हां, तो उसने अब तक इस सम्बन्ध में क्या किया है और आगामी तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये वह क्या करने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां।

पहली अप्रैल, १९५९ से औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली-कर (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी) से मुक्त कर दिया गया है जिससे कि उन्हें सस्ते दामों पर बिजली मिल सके। बिजली की दरों के सवाल पर सरकार ने काफी सोच-विचार करने के बाद एक एक्सपर्ट कमेटी की राय हासिल करना आवश्यक समझा और इस प्रकार से सेंट्रल वाटर एवं पावर कमीशन से उनकी राय मांगी कि इस प्रदेश में बिजली की दरों का क्या ढांचा होना चाहिये। अब इस प्रश्न का सम्बन्ध राज्य विद्युत् परिषद् से है और वे इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

पंचवर्षीय योजना में सरकार का विचार यथासम्भव बिजली का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाने का है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बिजली की दरों का निश्चय करते वक्त इस बात पर विचार किया गया है कि जिन उद्योगों में बिजली फ्यूल की तरह इस्तेमाल की जाती है उसके लिए अन्य उद्योगों से बिजली की दर भिन्न होनी चाहिये ?

---

*२३ अगस्त, १९६० को सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

श्री धर्मसिंह---बिजली की दरों का जहां तक सम्बन्ध है उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कितना कास्ट आफ प्रोडक्शन पड़ा तथा और खर्चे ध्यान में रख कर ही दरें निर्धारित होती हैं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐक्सपर्ट कमेटी से जो राय मांगी गई थी तो उसने क्या राय दी ?

श्री धर्मसिंह---उन्होंने बतलाया कि रेट्स अधिक हैं और उनके बारे में उन्होंने अपनी राय दी। उस पर छानबीन करके उचित कार्यवाही की जायगी।

घोसी अस्पताल की बिजली कट जाना

*७---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री ८ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक डेवलपमेंट अधिकारी, घोसी, जिला आजमगढ़ ने विद्युत् विभाग के अधिकारियों को बिजली लगाने के लिये कब पत्र लिखा तथा परिणाम क्या हुआ ?

श्री धर्मसिंह---सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि दो वर्षों में सन् ५८ से अब तक सूचना एकत्र न होने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है इसमें दूसरे विभागों से थोड़ी पूछताछ की गयी है और उसमें थोड़ी-सी रिपोर्ट आई है, वह अधूरी है। जहां तक बिजली लगाने का सवाल है उसके लगने में काश्तकारों को दिक्कत है। इसलिये थोड़ा समय इन सबमें लग गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---कब तक उम्मीद की जाय कि यह पूरी रिपोर्ट उनके पास आ जायगी और सदन को बतलाई जा सकेगी ?

श्री धर्मसिंह---चीफ इंजीनियर को लिख दिया गया है कि भविष्य में इस तरह की बातें न हों और जहां तक विद्युतकरण का सम्बन्ध है उस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जायगी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---इस प्रश्न में दो बातें पूछी गयीं, एक तो यह कि यह पत्र कब लिखा गया उस तारीख की सूचना देने में दो वर्ष लग गये या बिजली नहीं लगी, इसमें दो वर्ष लग गये ?

श्री धर्मसिंह---पत्र का जहां तक सम्बन्ध है वह एक्जिक्यूटिव इंजीनियर, हाइडल को ३०-१-६० को लिखा गया है।

माताटीला बांध प्रभावित भूमि का मुआवजा

*८---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या सरकार दिनांक ८-३-६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८१ के प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध के भराव में आने वाले गांव वालों को कपड़ेर कलां और कपड़ेर खुर्द को दिये गये रेटों से कम रेटों पर मुआवजा दिये जाने और आम तथा महुआ के ३ वर्ष तक के पेड़ों का एक रुपया और ६ वर्ष के पेड़ों का एक रुपया आठ आने प्रति पेड़ के हिसाब ही मुआवजा दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री महावीरसिंह---सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---सूचना अब तक एकत्र न होने का क्या कारण है ?

श्री महावीरसिंह---दूसरे प्रांत से बहुत-सी जानकारियां हासिल करनी हैं।

परबती ग्राम का नलकूप

*९—श्री बलदेवसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजा परबती, परगना नवाबगंज, जिला गोंडा में कोई सरकारी ट्यूबवेल है ? यदि हां, तो इस ट्यूबवेल से सन् १९५८–५९ में कितने एकड़ भूमि की सिंचाई हुई और उससे सरकार को कितनी आमदनी हुई ?

श्री धर्मसिंह—जी हां। इस नलकूप से १९५८–५९ में केवल ५ एकड़ भूमि की सिंचाई हुई जिसका महसूल १४ रुपये हुआ।

श्री बलदेवसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस नलकूप को बनाते समय कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई का लक्ष्य था ?

श्री धर्मसिंह—जो भूमि है उसका १,३१७ एकड़ क्षेत्रफल निर्धारित था। पहले तो थोड़ा गूल बनाने में दिक्कत हुई और जहां तक इस साल का सम्बन्ध है वर्षा ज्यादा हुई, इसलिये काश्तकारों ने पानी लेना मुनासिब नहीं समझा, जिससे कम आबपाशी हुई।

श्री बलदेवसिंह—यह नलकूप बहुत नीचे स्थान पर बन गया है जिससे पानी ऊंचे स्थान पर नहीं जा सकता। फिर उसमें गूल भी नहीं है। तो इन दोनों चीजों को दुरुस्त कराने के लिये सरकार ने कोई योजना अपनाई है ?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल उसमें गूल बन रही है और जहां तक १९५८–५९ का सम्बन्ध है इस नलकूप से १ मील २ फर्लांग तक गूलें बन गयी हैं।

श्री बलदेवसिंह—यह नलकूप कब से बनना शुरू हुआ है ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक बनने का सवाल है यह तो १९५८ में ही समाप्त हो गया था, उसके बाद ही आबपाशी हुई।

नलकूपों से सिंचाई

*१०–कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से अब तक प्रदेश के किस–किस जिले में कितने–कितने सरकारी ट्यूबवेल लगे हैं तथा उनका जिलेवार सिंचाई का क्या क्षेत्रफल है ?

श्री धर्मसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सूचना जल्द से जल्द कब तक उपलब्ध हो सकेगी ?

श्री धर्मसिंह—सरकार इसके लिये प्रयत्न कर रही है और सूचना शीघ्र से शीघ्र मिल सकेगी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या यह भी सूचना एकत्र की जा रही है कि ट्यूबवेल्स राज्य भर में कितने लगे हैं ?

श्री धर्मसिंह—प्रश्न यह भी है और यह भी है कि कितनी आबपाशी हुई। तमाम प्रदेश का मामला है इसलिये देर हुई है।

अरल नदी का बांध न बन सकना

*११—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में ग्राम अतरछेड़ी के करीब अरल नदी का बांध हर साल सरकार द्वारा सिंचाई के लिये बनाया जाता था वह इस साल रबी की सिंचाई के लिये क्यों नहीं बन सका ?

श्री धर्मसिंह---जनता के विरोध के कारण यह बांध न बन सका ।

*१२८---श्री नत्थूसिंह (बरेली)---क्या यह सच है कि इस बांध के पक्का बनने की भी कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी होगी ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है ।

*१३---श्री नत्थूसिंह (बरेली)---क्या सरकार इस कच्चे बांध के न बनने से रबी फसल का जो नुकसान हुआ उसकी जांच करा के किसानों को छूट देने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह---बांध सिंचाई की सुविधा के लिये ही बनाया जाता था पर जनता के विरोध के कारण १९५९-६० में बांध नहीं बनाया गया । अतः छूट देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री बाबूराम (जिला बरेली)---क्या सरकार बतायेगी कि वहां की जनता चाहती थी कि बांध बांधा जाय, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से नहीं बांधा गया ?

श्री धर्मसिंह---ऐसी बात नहीं है और अधिकारियों की कोई लापरवाही नहीं थी । जैसा कि उत्तर में निवेदन किया गया है वहां की जनता के विरोध के कारण ऐसा हुआ है ।

रामपुर के निकट गंदे नाले पर पुलिया बनाने का आयोजन

*१४---श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतावेंगे कि गन्दा नाला जो रामपुर, जिला प्रतापगढ़ के पास अनेहरा पूरे सेवक राय सड़क को काटता है क्या उस पर किसी पुल के बनाने की योजना उनके विचाराधीन है ?

श्री महावीरसिंह---इस स्थान पर मौजूदा पुलिया के पुनः निर्माण के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री हरकेशबहादुर---अभी हाल में जो वर्षा हुई है उसमें यह पुलिया टूट गई है । क्या मंत्री जी ऐसा प्रबंध करेंगे कि आगे जो वर्षा हो उसमें यह पुलिया न टूटे ?

श्री महावीरसिंह---इसीलिये बनाई जा रही है कि वह न टूटे ।

श्री अध्यक्ष---आप कह देते कि पक्की बनाई जा रही है ।

*१५---श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)---[९ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

मुरादाबाद जिले के नलकूप

*१६---श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद जिले में कितने सरकारी ट्यूबवेल ऐसे हैं जो मोटर या गूल या बोरिंग खराब होने के कारण बन्द हैं ?

*१७---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद जिले में वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में वह कितने नये ट्यूबवेल बनाने जा रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---सूचना एकत्र की जा रही है ।

मछलीशहर तहसील के कुछ तालों से पानी निकासी की योजनायें

*१८---श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मछली शहर (जौनपुर) तहसील के ताल नदवार, बगदहा, कुरैला और बड़ैला के सरप्लस पानी को निकालने के लिये उसने किसी प्रकार की जांच करवाई है और इस सम्बन्ध में कोई एस्टीमेट तैयार करवाया है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, नदवार तथा कुरैला तालों से जल निकासी योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं और बगदहा ताल के लिये योजना बनाने हेतु सर्वे हो रहा है।

जहां तक प्रश्न में कथित बड़ैला ताल का सम्बन्ध है, मछली शहर तहसील में इस नाम के तीन ताल हैं। उनमें से दो तालों, यानी जो मछलीशहर कस्बे के पास है तथा जो तहसील के पश्चिमी सीमा पर स्थित है, के लिये योजनायें बनाने हेतु सर्वे किया जा रहा है।

श्री नागेश्वरप्रसाद---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नदवार और कुरैला ताल की योजनायें कब स्वीकार हुईं और काम कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री धर्मसिंह---अभी तो सर्वे का कार्य किया जा रहा है और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि उसके बाद विचार किया जायगा यदि वह नियम के अन्तर्गत आता है।

श्री नागेश्वरप्रसाद---श्रीमन्, नदवार और कुरैला ताल का सर्वे हो चुका है और दोनों योजनायें मंजूर हो चुकी हैं, तो इन पर कब से कार्य प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल---इसमें पहले तो कुछ श्रमदान से काम होना है। उसके बाद वहां पर जमीन अक्वायर की जायगी। जिस वक्त जमीन अक्वायर हो जायगी तो काम चालू कर दिया जायगा।

श्री नागेश्वरप्रसाद---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बगदहा और बड़ैला ताल का सर्वे कार्य कब से शुरू हुआ है और कब तक पूरा होने की आशा है ?

श्री धर्मसिंह---फिलहाल तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन जैसा बताया गया है सर्वे हो रहा है। उसके बाद उसका एस्टीमेट इत्यादि तैयार किया जायगा।

भुवन परगने में नहरी पानी से क्षति

*१९---श्री गयूर अली खां (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत सन् १९५९ की बरसात में नहर जमन शरकी के टूट जाने से जिला मुजफ्फरनगर के परगना थाना भुवन के कितने ग्रामों की फसल बरबाद हुई थी ?

श्री धर्मसिंह---इस खांदी से जिला मुजफ्फरनगर, परगना भुवन के १४ ग्रामों के कुछ क्षेत्रों में फसल को नुकसान हुआ था।

*२०---श्री गयूर अली खां---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि नहर विभाग ने बरबाद फसल का मुआवजा किसानों को क्यों नहीं दिया और उसकी आबपाशी माफ क्यों नहीं की ?

श्री धर्मसिंह---नहर का पानी हेड से ही बन्द था और बरसाती पानी से सारा क्षेत्र जलमग्न हो गया था। उस क्षेत्र के निवासियों ने बरसाती पानी को निकालने के लिये नहर काट दी जिससे नहर में खांदी हो गई थी। अतएव फसल का मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता। अत्यधिक वर्षा के फलस्वरूप १४ ग्रामों की क्षति ग्रस्त फसल को आबपाशी में छूट दे दी गई।

श्री गयूर अली खां---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि परगना भुवन के जिन १४ गांवों में खांदी हो जाने से नुकसान हुआ उनमें अलग-अलग फी रुपया, फसल में कितना नुकसान हुआ और किस-किस गांव में हुआ ?

श्री धर्मसिंह—मानकपुर में ४१ एकड़, बकेराऊदा में १० एकड़, खेरागदई में १ एकड़, नोजस में ६ एकड़, मानतमाती में १२ एकड़, यारपुर में ३ एकड़, कोलशीक रपुर में ६ एकड़, शिरवा में २ एकड़, औरंगबाद एलाइस गदेंवर में ९ एकड़, जानीपुर में १ एकड़, सोंजनी-उमरपुर में ३ एकड़, खानपुर में ३० एकड़, पट्टीकालरू में ४ एकड़ और पट्टी नौगांव में २ एकड़, इस प्रकार १३० एकड़ के करीब हानि हुई।

श्री गयूर अली खां—क्या सरकार यह जांच करायेगी कि खांदी होने के एक रोज बाद नहर के हेड में पानी बन्द किया गया और जिस वक्त खांदी हुई उस वक्त नहर का पानी पूरा चल रहा था?

श्री धर्मसिंह—जांच करने के फलस्वरूप ही यह निवेदन किया जा रहा है, जैसा कि प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया गया है।

प्रतापगढ़ जिले में नहर के लिये अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

*२१—श्री हरकेशबहादुर—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रतापगढ़ में अप्रैल, १९५४ से लेकर अप्रैल, १९५८ तक नहर निर्माण में लिये गये खेतों का मुआवजा ११-३-६० तक अदा कर दिया है?

श्री महावीरसिंह—इस अवधि में ली गई १,१७९ एकड़ भूमि में से ८७० एकड़ भूमि का मुआवजा, जो १,५६,९९९ रुपये हुआ, अदा किया जा चुका है।

श्री हरकेशबहादुर—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितनी मुद्दत के बाद जमीन लेने के, यह मुआवजा दिया गया?

श्री महावीरसिंह—जाहिर है कुछ देर बाद दिया गया।

श्री हरकेशबहादुर—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इन जमीनों की मालगुजारी भी उन काश्तकारों के खाते से कम कर दी गयी?

श्री महावीरसिंह—जी हां, जैसी सूचना है उस के अनुसार जब से कब्जा नहर विभाग को मिल गया है तब से ऐसा नहीं है। अगर आपकी नोटिस में कोई ऐसी चीज हो तो आप मुझ से कहें, मैं देख लूंगा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहाँपुर)—अभी माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि जाहिर है कि मुआवजा देर से दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि मुआवजा देर से दिये जाने का कारण क्या है और जो अधिकारी देर से मुआवजा देने के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही की है?

श्री महावीरसिंह—इसमें कुछ थोड़े से वाकयात हैं। अगर हुजूर हुक्म दें तो मैं अर्ज कर दूं। इसमें पहले ऐसा था कि जैसी कार्यवाही अब होती है और नियम का खास तौर से पालन करने का आदेश दे दिया गया है पहले ऐसा नहीं होता था। होता यह था कि जल्दी बनाना चाहते थे। तो जो काश्तकार इसके लिये तैयार हो जाते थे कि हम अपनी जमीन देते हैं आप नहर बना लीजिये तो बाद में उनको कम्पेन्सेशन वगैरह दिया जाता था, कब्जा पहले ले लिया जाता था। लेकिन अब आदेश निकाल दिये गये हैं, सन् ५८ से जिनका पालन हो रहा है। उ के अनुसार पहले जमीन बाकायदे एक्वायर की जाती है और उसके बाद कार्यवाही शुरू होती है और इसलिये जो ऐसे केसेज थे उनका नोटिफिकेशन कर दिया गया है और उनको कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है इसीलिये इसमें देर हो गई।

नानक सागर व शारदा सागर में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

*२२—श्री टीकाराम (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में नानक सागर बनाने के लिये कितनी भूमि ली गयी थी और उसके बदले में किसानों को और जगह भूमि दी गई है? यदि हां, तो कहां-कहां और कितनी-कितनी? यदि मुआवजा दिया गया, तो प्रति एकड़ कितना रुपया?

श्री गिरधारीलाल—सूचना एकत्र हो रही है।

*२३—श्री टीकाराम (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शारदा सागर बनाने के समय जो जमीन काश्तकारों से ली गयी है क्या सरकार ने उनको उसका मुआवजा दे दिया है? यदि हां, तो प्रति एकड़ कितना?

श्री गिरधारीलाल—शारदा सागर बनाने के लिये भूमि पीलीभीत तथा नैनीताल जिले में ली गई है। जिला पीलीभीत में ली गई सभी भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है। मुआवजे के रेट की सूची संलग्न है। जिन कृषकों की भूमि जिला नैनीताल में ली गई है उनको उसके बदले में अन्य स्थान पर भूमि दी जा चुकी है। लगभग १०० एकड़ भूमि अभी देना शेष है जिसके लिये कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०६ पर)

*२४—श्री टीकाराम (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह मालूम है कि उस जमीन का लगान अब भी किसानों से मांगा जा रहा है?

श्री गिरधारीलाल—जिस भूमि का कब्जा सिंचाई विभाग को मिल गया है उस भूमि का लगान स्थगित कर दिया गया है।

फैजाबाद जिले में सिंचाई विभाग के निरीक्षण-गृहों के माली व चौकीदार

*२५—श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले में सिंचाई विभाग में किन-किन निरीक्षण-गृहों पर ५ वर्ष से अधिक समय से चौकीदार तथा माली वर्क-चार्ज पर ही कार्य कर रहे हैं?

*२६—क्या सरकार इनको रेग्यूलर में लाने की सोच रही है?

*२७—(क) यदि हां, तो कब तक?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—सूचना एकत्र की जा रही है।

उन्नाव बांच (शारदा नहर) की पुरौना माइनर को बढ़ाने की प्रार्थना

*२८—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला सिंचाई अभियन्ता, उन्नाव ने वर्ष ५७–५८ अथवा ५८–५९ में शारदा नहर की उन्नाव बांच की पुरौना माइनर को डेढ़, दो मील और आगे बढ़ाने के लिये सरकार को सुझाव दिया था?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

*२९—श्री भगवतीसिंह विशारद—यदि हां, तो क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री धर्मसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह नहर जहां से समाप्त होती है उसी जगह एक गांव बसा हुआ है और बरसात के दिनों में सारा पानी उस गांव में गिरता है जिसकी वजह से वह गांव गिर रहा है?

श्री धर्मसिंह—माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसकी जांच करा ली जायगी।

मेंहदावल कछार में राप्ती नदी पर श्रमदान से निर्मित बांध में रेगूलेटर की आवश्यकता

*३०—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मेंहदावल कछार (बस्ती) में नौगो गांव के पास, राप्ती नदी के किनारे के टूटे हुए बांध को २ मील तक श्रमदान से गांव वालों ने बांधा है जिसके श्रम की कीमत १० हजार रुपया है?

श्री धर्मसिंह—नौगों ग्राम के निवासियों ने अपने क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा के लिये श्रमदान से एक छोटा बांध बनाया है। इसकी लम्बाई ५ फर्लांग है। इसी प्रकार श्रमदान से छपिया बुजुर्ग और जरवा ग्राम के निवासियों ने छोटे-छोटे २ बांध बनाये हैं। श्रमदान से किये गये कार्य का मूल्यांकन लगभग १ हजार रुपये हुआ है।

*३१—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार जनता के प्रोत्साहन के लिये उक्त बांध में रेग्यूलेटर लगाने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी?

श्री धर्मसिंह—इस बांध पर रेग्यूलेटर लगाने का कोई विचार नहीं है।

श्री राजाराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन बांधों का मूल्यांकन किस अधिकारी ने किया और कब किया?

श्री धर्मसिंह—यह तो विभागीय अधिकारियों द्वारा होता है।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार नौगों, छपिया, जलवां आदि गांवों की सुरक्षा के लिये रेग्यूलेटर लगाने पर पुनः विचार करेगी?

श्री धर्मसिंह—इस बात की कोई आवश्यकता तो नहीं है क्योंकि इतना छोटा कार्य है कि जिसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

लखनऊ क्षेत्र के एक बिक्री-कर अधिकारी की मुअत्तली तथा बिक्री-कर विभाग में हिन्दी में काम न होने की शिकायत

*३२—श्री देवनारायण भारतीय तथा श्री टीकाराम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रयाग डिवीजन में ऐसे कितने बिक्री-कर अधिकारी हैं जो तीन वर्षों से अधिक समय से मुअत्तल हैं और उनके बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—इलाहाबाद रेन्ज का कोई भी बिक्री-कर अधिकारी मुअत्तल नहीं है।

*३३—श्री देवनारायण भारतीय तथा श्री टीकाराम (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि बिक्री-कर विभाग में हिन्दी में असेसमेंट आर्डर लिखने के कारण मेरठ डिवीजन के सहायक बिक्री-कर अधिकारियों के कैरेक्टर रोल में सालाना इन्दराज विपरीत लिखे गये थे?

श्री सैयद अली जहीर—मेरठ रेन्ज के किसी भी सहायक बिक्री-कर अधिकारी के करेक्टर रोल में हिन्दी में असेसमेंट आर्डर लिखने के कारण विपरीत इन्दराज नहीं किया गया।

*३४—**श्री देवनारायण भारतीय** तथा **श्री टीकाराम** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि प्रत्येक जिले के बिक्री-कर कार्यालयों में हिन्दी के टाइपराइटर मौजूद हैं फिर भी बिक्री-कर अधिकारीगण अपनी आज्ञायें अंग्रेजी में ही दिया करते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—यद्यपि इस समय जिलों के कुछ बिक्री-कर कार्यालयों में हिन्दी के टाइपराइटर नहीं है फिर भी सभी बिक्री-कर कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो बिक्री-कर अधिकारी अब मुअत्तल नहीं हैं बल्कि अब से पहले सन् ५६ में कोई भी बिक्री-कर अधिकारी मुअत्तल था और अब वह बहाल कर दिया गया या उसका क्या हुआ, सरकार इसको स्पष्ट करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—इलाहाबाद रेंज का तो कोई भी मुअत्तल नहीं था।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या कानपुर जिले में जो इलाहाबाद रेंज में ही है कोई बिक्री-कर अधिकारी सन् ५६–५७ में मुअत्तल किया गया और ५९ तक मुअत्तल रहा जब तक यह प्रश्न मैंने किया तब तक वह मुअत्तल था ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, एक अधिकारी लखनऊ रेंज का मुअत्तल था, और अब भी मुअत्तल है। उसका मामला विचाराधीन है, अभी उस पर फैसला नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—वह तो कानपुर का पूछ रहे हैं।

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, कानपुर का कोई नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय—मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि लखनऊ का जो बिक्री-कर अधिकारी मुअत्तल है वह कब से मुअत्तल है, उसका समय बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—लखनऊ में आप दिलचस्पी कब से लेने लगे हैं ?

श्री देवनारायण भारतीय—क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने ऐसा उत्तर दिया। प्रश्न यह है कि एक बिक्री-कर अधिकारी तीन वर्ष से मुअत्तल है और उसका निर्णय नहीं किया जा रहा है। चाहे जो भी हो, चाहे वह लखनऊ का हो, इलाहाबाद का हो या कानपुर का हो तो जो बिक्री-कर अधिकारी तीन वर्ष से मुअत्तल है, सरकार ने अभी तक उसको मुअत्तल क्यों रखा और अगर रखा है तो उसका क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर—एक बिक्री-कर अधिकारी लखनऊ रेन्ज का २ जून, १९५६ से मुअत्तल ह और उसमें देरी यों हो रही है कि हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी राय में और विभाग की राय में कुछ मतभेद था। उसकी वजह से वह मामला अभी तक तय नहीं हो सका।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो हिन्दी को बढ़ाने का बिक्री-कर कार्यालयों में उत्तरोत्तर प्रयत्न किया जा रहा है वह प्रयत्न क्या है और उसकी परिभाषा माननीय मन्त्री जी करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—वह यह है कि वहां से जो खत वगैरह जारी होते हैं वह जहां तक होते हैं हिन्दी में लिखे जाते हैं। आर्डर भी हिन्दी में होते हैं। असेसमेंट भी हिन्दी में ही होता है, लेकिन बाज जगह यह सम्भव नहीं होता क्योंकि अगर कोई ऐसा आदमी है जो हिन्दी नहीं समझता है तो उसकी वजह से वहां पर अंग्रेजी में या किसी और जबान में काम किया जाता है।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार इस बात को जानते हुए कि जिन पर बिक्री-कर लगाया जाता है, वे अंग्रेजी नहीं जानते, इस बात का आदेश देने की कृपा करेगी कि जो बिक्री-कर अधिकारी हैं वे अपनी आज्ञा बजाय अंग्रेजी के हिन्दी में लिखा करें ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो मैंने कहा कि जहां तक हो सकता है वह सब हिन्दी में ही लिखा जाता है।

माताटीला बांध सम्बन्धित ठेकेदारों का पेमेण्ट तथा टेण्डर्स

*३५---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध पर काम करने वाले ऐसे कितने ठेकेदार हैं जिनका पेमेंट दिसम्बर, १९५९ तक बाकी है और कितना-कितना तथा कब से ?

श्री धर्मसिंह---सूचना एकत्र की जा रही है।

*३६---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर, १९५९ से जनवरी, १९६० तक माताटीला बांध पर किन-किन कामों के लिये कितने बार टेण्डर मांगे गये और प्रत्येक बार कितने-कितने टेण्डर आये ? उनमें कितने स्वीकार किये गये ?

श्री धर्मसिंह---सूचना एक की जा रही है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फरवरी से जुलाई तक यह सूचना एकत्र होने में कौन-सी बाधा रही है ?

श्री धर्मसिंह---सरकार के पास कुछ सूचना अवश्य आई थी, लेकिन सरकार उस से सन्तुष्ट नहीं थी यही कारण था। इसलिये असमर्थता प्रकट की गई।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सूचना गलत भेजते हैं, सन्तोषजनक नहीं भेजते उन अधिकारियों को दंड देने की कोई व्यवस्था सरकार सोच रही है ?

श्री धर्मसिंह---दंड देने की व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता। जो सूचना वह भेजते हैं वह ठीक भेजते हैं, लेकिन इन्क्वायरी भी करनी पड़ती है। छानबीन करनी पड़ती है उसमें दिक्कत हो जाती है। इसलिये देर हो जाती है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो असन्तुष्ट जवाब वहां से आया उसके लिये सन्तुष्ट जवाब मंगाने के लिये उनको कब पत्र लिखा गया ?

श्री धर्मसिंह---तिथि के कोई आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि यह सूचना कब तक एकत्र हो जायगी और सूचना आने पर प्रश्नकर्ता को बतलाई जायगी ?

श्री अध्यक्ष---सूचना प्राप्त होने पर तो यहां पर जवाब दिया जायगा। मंत्री जी पहले भाग का जवाब दे दें।

श्री धर्मसिंह---कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैंने निवेदन किया था, सूचना आई थी, लेकिन उसमें कुछ कमी थी, जिसके बारे में पूछा गया है। देर लगने का कोई सवाल नहीं है।

मथुरा में यमुना के पुल के पास पशु मेले की जमीन

*३७--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या यह सही है कि जिला मथुरा में यमुना नदी के पुल के पास जो हर हफ्ते पशु मेला लगता है उस मेले में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क पर खाद्य पदार्थ, वस्त्र एवं कृषि औजार विक्रेता जो बैठते हैं उनसे जो आय होती है लगभग ३,००० रुपया वार्षिक उसे कौन वसूल करता है ?

श्री महावीरसिंह--यह सही नहीं है कि उक्त मेला सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क या जमीन पर लगता है। कथित आय न तो सार्वजनिक निर्माण विभाग वसूल करता है और न नगरपालिका, मथुरा ही करती है। संभवतः उसे मेला मालिक वसूल करता है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि मेले की जमीन और सड़क में कितना फासला है ?

श्री महावीर सिंह--मुलहक है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जांच किसके द्वारा कराई गयी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क पर मेले के व्यापारी नहीं बैठते ?

श्री महावीरसिंह--यह आपने कैसे मान लिया कि बैठते नहीं, बैठ जाते होंगे।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)--श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो प्रश्न पूछा गया है वह मेला जमुना नदी के पुल के पास लगता है। मेले में से कुछ खोंमचे वाले और दुकानदार उस सड़क पर बैठते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि क्या वे सड़क पर बैठते हैं, लेकिन उत्तर दिया गया है मेले का। तो मैं अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में दोबारा सूचना मंगाई जाय।

श्री महावीरसिंह--जी, ऐसा नहीं है। मेले की जमीन पर मेले के आदमी बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग चलते-फिरते आ जाते हैं सड़क पर और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वे आकर बैठ जाते हों। लेकिन हमारा विभाग उनसे कुछ वसूल नहीं करता है और न हमारी इजाजत से बैठते हैं।

कुसहारी माइनर का कुलाबा

*३८--श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मौरावां ब्रांच नहर शारदा और उसी ब्रांच से निकलने वाली सहरावां रजबहा से जो कुसहारी माइनर निकली है उसके कुलाबों के सम्बन्ध में १९५९ में कोई प्रार्थना-पत्र सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को मिला है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मसिंह--जी हां। उस पर जांच कराने के पश्चात् ज्ञात हुआ कि कुलाबा तमाम आपत्तियों को ध्यान में रखकर उपयुक्त स्थान पर लगाया गया है।

श्री सजीवनलाल--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन तमाम बातों में मुख्य-मुख्य कौन हैं ?

श्री धर्मसिंह--इस में एक आपत्ति यह है कि मोतीराम मलकानी नाम के एक व्यक्ति हैं, जिनका एक फार्म है वह अपने यहां से कुलाबे को नहीं बनाने देते। दूसरा कारण कहा जाता है कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर उनके दोस्त हैं, लेकिन जांच कराने पर पाया गया कि यह आपत्तियां निराधार हैं।

श्री सजीवन लाल--क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जांच किस अधिकारी के जरिये हुई ?

श्री धर्मसिंह---यह चीफ इन्जीनियर को भेजा गया था और उन्हीं के द्वारा यह जांच की गयी है ?

आजमगढ़ जिले में बेसों गांगी योजनान्तर्गत सिंचाई-कर

*३९---श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में बेसों-गांगी योजना से कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होती है ?

श्री धर्मसिंह---इस योजना से गत ५ वर्षों में निम्नलिखित सिंचाई हुई है:---

				एकड़
१९५५-५६	..	..	..	३७३
१९५६-५७	..	..	..	१,६२७
१९५७-५८	..	..	..	५,४७५
१९५८-५९	..	..	..	१,३३४
१९५९-६०	..	..	..	१,०७१

*४०---श्री विश्रामराय---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९५८-५९ और १९५९-६० में आजमगढ़ बेसों-गांगी सिंचाई योजना द्वारा कितने एकड़ क्षेत्र में सिंचाई के लिये जल प्राप्त हो सका और सिंचाई कर कितना वसूल हुआ ?

श्री धर्मसिंह---सन् १९५८-५९ और १९५९-६० में कितनी सिंचाई हुई यह सूचना ऊपर के प्रश्न में दी जा चुकी है। सन् १९५८-५९ और १९५९-६० में क्रमशः ३९८.४४ रुपये तथा १,३११.९० रुपये सिंचाई कर की वसूली हुई ।

श्री विश्रामराय---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९-६० में पूरे आजमगढ़ में कितनी सिंचाई हुई और कितना कर वसूल किया गया ?

श्री धर्मसिंह---यह तो देखना पड़ेगा, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि इस योजना से इस क्षेत्र की जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है और सिंचाई का जो कर है वह अब जबरदस्ती बिना पड़ताल किये ही वसूल किया जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह---ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य इस तरह की कोई शिकायत लिखकर देंगे तो उसकी जांच करा ली जायगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री, जिलाधीश, आजमगढ़, तथा वहां की जिला परिषद् से इस बात की जांच करायेंगे कि परिषद् में इस सम्बन्ध में कई बार प्रस्ताव पास हुये हैं और वहां के डिस्ट्रिक्ट इन्जीनियर को सलाह दी गई है कि वे इस प्रकार के टैक्सों को वसूल न करें ?

श्री धर्मसिंह---इसकी जांच करा ली जायगी ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७-५८ में ५,४७५ एकड़ सिंचाई हुई और दूसरे साल १,३३४ एकड़ की सिंचाई हुई तो इस कमी का एक ही साल में क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह---किसानों ने पानी नहीं लिया होगा यही कारण है ।

गोंडा जिले में सिंचाई विभाग का आय-व्यय

*४१—श्री बलदेवसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में सिंचाई विभाग से वित्तीय वर्ष १९५८–५९ में कुल कितनी आमदनी हुई और इस विभाग पर कुल कितना खर्च वित्तीय वर्ष १९५८–५९ में हुआ ?

श्री धर्मसिंह—आमदनी २,०३,५८३ रुपये और खर्च २,८३,६९१·०१ रुपये ।

श्री बलदेवसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में जो आमदनी २ लाख ३ हजार और खर्चा २ लाख ८३ हजार हुआ तो यह ८० हजार का वार्षिक घाटा क्यों हुआ ?

श्री धर्मसिंह—इसका एक कारण तो यह है कि जो नलकूप इत्यादि बनाये गये हैं उनको डेवलप करने में टाइम लगता है । एक ट्यूबवेल में कम से कम ८ साल का समय लगता है जब कि वह डेवलप होता है । फिर जहां तक पूर्वी जिलों का सम्बन्ध है, विशेषकर गोंडा जिले का, वहां पर लोग सिंचाई माइन्डेड नहीं हैं और कहीं-कहीं पर तो जहां पर डीजेल के द्वारा बिजली का प्रबन्ध नहीं कर सके हैं वहां पर इस प्रकार के ट्यूबवेल लगाने पड़े हैं जिसके कारण चार्जेज ज्यादा हो गये हैं । यही कारण है ।

श्री बलदेवसिंह—क्या मानीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो रिजरवायर बनाये गये हैं, गोंडा जिले में, उनमें फरवरी के बाद पानी नहीं रहता जिसकी वजह से यह घाटा हुआ है ? इसके अलावा वहां कर्मचारी बेकार बैठे रहते हैं और पानी नहीं मिल पाता है ? क्या सरकार को इस तरह की कोई शिकायत मिली है कि कुछ अधिकारियों ने लोगों के खेत सींच दिये हैं, लेकिन कागज में दर्ज नहीं हैं ?

श्री धर्मसिंह—ऐसी तो कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे और कोई इस्पेसीफिक इन्सटान्स बतायेंगे कि किसी व्यक्ति के खेत की आबपाशी तो हो गई, लेकिन उसको दर्ज नहीं किया गया तो उसकी जांच करा ली जायगी और उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जो एक साल में यह करीब २ लाख ८३ हजार रुपये खर्च हुये उसमें कितना खर्चा डीजेल पर तथा दूसरे इन्वेस्टमेंट पर हुआ ?

श्री धर्मसिंह—इन सब डिटेल्स के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि गोंडा जिले में नलकूपों की सिंचाई में घाटे का एक यह भी कारण है कि वह नलकूप ऐसे ब्लाकों में लगे हैं जहां पर सिंचाई की आवश्यकता कम होती है और वे लोग पानी नहीं लेते ह ?

श्री धर्मसिंह—यह तो देखना पड़ेगा कि कहां-कहां लगे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वे लोग बिल्कुल ही पानी नहीं लेते हैं । जहां जहां जरूरत होती है वे लोग पानी लेते हैं ।

मनसरवर नाला को नियंत्रित करने की प्रार्थना

*४२—श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)—क्या सरकार को पता है कि देवरिया जनपद, तहसील हाटा के अन्तर्गत मड़ारविन्द, बलिया, कुर्मीपट्टी के बीच जो मनसरवर नाला छोटी गन्डक से निकलता है उससे तमाम गांवों की जनता की बाढ़ के समय काफी फसल डूब जाती है और बरबाद हो जाती है ?

श्री धर्म सिंह—छानबीन से पता चला कि कुछ पानी खेखड़ा नाले द्वारा और कुछ छोटी गन्डक से एक नाले द्वारा मड़ार विन्दौलिया ग्राम में फैल जाता है जिससे कुछ फसल नष्ट हो जाती है ।

*४३--श्री राजदेव उपाध्याय--यदि हां, तो अब तक सरकार ने इस नाले के मुंह को बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री धर्मसिंह---सम्बन्धित क्षेत्र का प्राथमिक सर्वेक्षण (Preliminary survey) हो चुका है और योजना बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

*४४--श्री राजदेव उपाध्याय--क्या सरकार को पता है कि पारसाल उन तमाम गांवों के किसानों के प्रार्थना-पत्र पर सिंचाई विभाग ने नाले का सर्वेक्षण भी कराया था ?

श्री धर्मसिंह---इस सम्बन्ध में श्री रामजी राय, सभापति ग्राम मड़ार, विन्दौलिया का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसके आधार पर क्षेत्र का प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया था ।

श्री राजदेव उपाध्याय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने हजार एकड़ में पानी का फैलाव हो जाता है, इसका कोई आंकड़ा है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है कि कितने एकड़ में पानी भर जाता है लेकिन थोड़ी बहुत क्षति आवश्य हुई ।

श्री राजदेव उपाध्याय--यह जो बताया गया है कि योजना विचाराधीन है, क्या सरकार बतायेगी कि इस योजना को कब तक चालू करेगी ?

श्री धर्मसिंह---जैसा कि उत्तर में कहा, इसका प्रिलिमिनरी सर्वे इत्यादि हुआ है, लेकिन सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुँची है, बाद में विचार किया जा सकेगा ।

मेरठ तथा वाराणसी डिवीजनों में नलकूपों से सिंचाई

*४५--कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५१ से १९६० तक मेरठ डिवीजन में कितने ट्यूब-वेल लगे और इस अवधि में उनके द्वारा कितने एकड़ सिंचाई की गई ?

श्री धर्मसिंह--मेरठ डिवीजन में सन् १९५१ से १९६० तक ४५१ नलकूप बने और इस अवधि में इन नलकूपों द्वारा ५,९५,३८९ एकड़ भूमि की सिंचाई हुई ।

*४६--कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी डिवीजन मे १९५१ से १९६० तक कितने ट्यूब-वेल लगे और उनसे कितने एकड़ सिंचाई की गई ?

श्री धर्मसिंह---वाराणसी डिवीजन में सन् १९५१ से १९६० तक ७४९ नलकूप बने और इस अवधि में इन नलकूपों द्वारा ५,८६,२७१ एकड़ भूमि की सिंचाई हुई ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी डिवीजन में कम सिंचाई और मेरठ में अधिक सिंचाई होने का क्या कारण है, जबकि २९८ ट्यूबवेल वाराणसी डिवीजन में अधिक होते हैं ?

श्री गिरधारीलाल--मेरठ जो है, पहले तो केन का एरिया है और केन में सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता होती है । दूसरी बात यह है कि मेरठ डिवीजन की तरफ कम बारिश होती है बनारस के मुकाबले में । बनारस में केन बहुत कम हो रहा है और बारिश काफी होती है, इसलिये वहां जरूरत नहीं है । तीसरे यह कि बनारस में इरिगेशन मांइडेड लोग इतने नहीं हैं जितने कि मेरठ डिवीजन में हैं । इन तमाम बातों के कारण मेरठ में थोड़े ट्यूबवेल्स से ज्यादा सिंचाई हुई जब कि वहां ज्यादा से कम हुई ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बनारस डिवीजन में इस कारण से कम सिंचाई हुई है कि वहां इर्रिगेशन चैनल्स बहुत अच्छे नहीं बन पाये हैं और बिजली की कमी थी जिससे बिजली के कुयें चालू नहीं हो सके ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री---क्या मन्त्री जी मेरठ डिवीजन के कृषकों की उत्पादन शक्ति और वहां पानी की चाह को ध्यान में रखते हुये वहां अधिक ट्यूब-वेल लगाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह---जहां-जहां जैसी-जैसी आवश्यकता होती है उसके आधार निर्धारित किये जाते हैं । अगर वहां पर ज्यादा आवश्यकता होगी और ट्यूबवेल देने के लिये हमारे पास होंगे तो उसके लिये प्रयत्न करेंगे ।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री---आवश्यकता के अभाव से माननीय मन्त्री जी ने कैसा अभाव माना है ?

श्री धर्मसिंह---आवश्यकता से तात्पर्य पानी की कमी से है । यदि वह हो जाय तो उसे आवश्यकता कहते हैं ।

श्री गेंदासिंह---बनारस डिवीजन में कम जमीनों में पानी कम लेने का क्या एक कारण यह भी है कि मेरठ के किसानों को पानी का कर कम देना पड़ता है जब कि बनारस के लोगों को ज्यादा देना पड़ता है ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक रेट्स का सम्बन्ध है, फिलहाल तो यह हमारे पास यहां नहीं हैं, वाराणसी डिवीजन में क्या रेट्स हैं और मेरठ डिवीजन में किस तरह के हैं उसके आंकड़े नहीं हैं इसलिये किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता ।

श्री गेंदासिंह---क्या सिंचाई मन्त्री जी ने जिस वक्त माननीया श्रद्धादेवी ने प्रश्न किया था सिंचाई के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में इस बात की जानकारी नहीं की कि बनारस में क्यों ट्यूबवेल्स से पानी कम लिया गया ?

श्री धर्मसिंह---मैंने अभी तो सदन के सम्मुख कारण बता दिया है ।

बलिया जिले में घाघरा का कटाव

*४७---**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के अन्तर्गत नदी घाघरा के कटान से कौन-कौन गांव खतरे की स्थिति में आ गये हैं ?

श्री धर्मसिंह---खतरे की स्थिति में कोई भी गांव नहीं आये हैं ।

*४८---**श्री जगन्नाथ चौधरी**---क्या यह सही है कि बलिया के जिलाधीश ने घाघरा के कटान से खतरे में पड़े हुये गांवों का निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो उन ग्रामों की सुरक्षा के लिये सरकार कौन-सी कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, जिलाधीश बलिया कुछ गांवों को देखने गये थे और यह ज्ञात हुआ कि इधर उधर कुछ मामूली-सा भूमि कटाव हुआ है और कथौड़ा नाले में घाघरा से पानी वापस आ जाता है । चूंकि भूमि कटाव नगण्य है इसके बारे में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी किन्तु कथौंड़ा नाले में घाघरा से वापस आने वाले पानी को रोकने के लिये एक रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री जगन्नाथ चौधरी---डूहां, बेहरा, कंठौरा, कठौरा जंगली बाबा की कूटी जिसकी लागत १० लाख रुपये है और जिसे हथुहा रियासत ने बनवाया है यह तमाम कटान में पड़े हैं, तो क्या सरकार मेरी बात को सूचना मान कर इसकी जांच करवायेगी और इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करवायेगी ?

श्री धर्मसिंह---माननीय सदस्य यदि पूरे तरीके से मेरे कमरे में आकर मुझे बता देंगे तो उस मामले पर विचार किया जायगा और जांच करा कर जो सम्भव हो सकता है किया जायगा ।

श्री जगन्नाथ चौधरी---मैंने पिछले साल इस सम्बन्ध में लिख कर दे दिया था, लेकिन खेद है कि अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सत्य है कि बेहरा ग्राम का आधे से अधिक कट गया है जिसके फलस्वरूप हजारों एकड़ पर खरीफ की फसल नष्ट हो जायेगी ? तो क्या माननीय मन्त्री जी बता सकते हैं कि अब तक इस बांध की मरम्मत कराने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

श्री धर्मसिंह---जैसा कि उत्तर में निवेदन किया गया है उस पर यह आवश्यक नहीं है कि वही कार्यवाही की जा सके जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं ।

श्री गौरीशंकर राय---इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि जिले के सिंचाई विभाग ने जिलाधीश को लिखकर दे दिया है और जिलाधीश ने भी लिखकर सरकार को भेज दिया है कि यह खतरनाक है । मैं भी जाकर देख आया हूँ । लेकिन माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि नहीं ।

श्री अध्यक्ष---अब उनको लिखकर जानकारी दे दीजिये ।

देवरिया में हाइडल विभाग द्वारा अध्याप्त भूमि का प्रतिकर

*४९---श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया नगरपालिका के अन्तर्गत देवरिया में हाइडल विभाग द्वारा जो भूमि प्राप्त की गयी थी उसका मूल्य उसने अब तक किसानों को क्यों नहीं दिया है और इसमें ५ वर्ष से ऊपर की देर क्यों हुई है ?

श्री गिरधारी लाल---हाइडल विभाग ने जो भूमि अगस्त, १९५४ में अध्याप्त की थी उसका सम्पूर्ण प्रतिकर ६०२ रु० ३१ न० पै० था । उसमें से १७३ रु० ४२ न० पै०, १० दिसम्बर, १९५७ को, २९१ रु० ७५ न० पै०, १२ दिसम्बर, १९५७ को, तथा ३८ रु० ३१ न० पै०, २९ अप्रैल, १९६० को दिया जा चुका है और शेष ९८ रु० ८३ न० पै० के लिये भूमि के मालिकों को अपना प्रतिकर प्राप्त करने के लिये पुनः सूचना दी गई थी पर वे निश्चित दिन व स्थान पर उपस्थित न हुए ।

बेलसड़ी वन की भूमि

*५०---श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या यह सही है कि गाजीपुर जिले में बरहपुर-बेलसड़ी गांव में ६० बीघा जंगल होते हुए भी कागज लेखपाल में भूतपूर्व जमींदारों का सीर दर्ज है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर---इस संबंध में हाल ही में प्राप्त रिपोर्ट से ऐसा मालूम हुआ है कि बेलसड़ी वन का क्षेत्र फल ३८ बीघा, १४ विस्वा १५ धुर है न कि २६ बीघा जैसा कि प्रश्न संख्या ४९ के उत्तर में बताया गया था । इस क्षेत्रफल में से ४ बीघा ५ विस्वा ६ धुर जंगल दर्ज है शेष क्षेत्रफल में से जिसमें कहीं-कहीं जंगल के टुकड़े भी पाये जाते हैं कुछ

नोट---तारांकित प्रश्न ४८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

भाग जिसे भूतपूर्व जमींदारों ने कुछ व्यक्तियों की जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से ही मौरूसी पट्टे पर दे रक्खा था, जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् उन व्यक्तियों के नाम सीर दर्ज हो चुका है और शेष भाग सन् १८८२ के बन्दोबस्त से ही भूतपूर्व जमींदारों के नाम सीर दर्ज था जिसके कि वह अब भूमिधर हो गए हैं।

काठगोदाम का झूले वाला पुल टूटना

*५१—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) तथा श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सत्य है कि गत २३, २४ मई, को नैनीताल जिले में काठगोदाम का प्रसिद्ध झूले वाला पुल टूट गया ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त पुल किन कारणों से टूटा तथा उस पुल के टूटने से आस-पास के कितने गांवों की सिंचाई तथा पेयजल की व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, काठगोदाम रेलवे स्टेशन के निकट आर० सी० एक्वीडक्ट प्रबल आंधी में २४-५-६० को टूट गया था। पुल के टूटने के परिणाम स्वरूप नैनीताल जिले के गोला पार क्षेत्र में पानी की व्यवस्था भंग हो गई जिससे ४२ गांव प्रभावित हुए।

*५२—श्री मदन पांडेय तथा श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त पुल टूटने के कारण जो अव्यवस्था हुई उसे दूर करने के लिये क्या व्यवस्था की गई ?

श्री गिरधारीलाल—पीने तथा सिंचाई के लिये पानी की व्यवस्था को चालू रखने के लिये तुरन्त ही अस्थाई प्रबन्ध कर दिया गया। ६,५०० एकड़ के क्षेत्र में से ५,५०० एकड़ भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध गौला नदी से एक बरसाती (feeder) द्वारा २५-५-६० को कर दिया गया। बची हुई लगभग १,००० एकड़ भूमि (जो कि इस प्रबन्ध से नहीं सींची जा सकती थी) की सिंचाई के लिये पुराने नल की लाइन, जो कि पहले पीने के पानी की व्यवस्था के लिये लगाई गई थी और कई वर्षों से खराब पड़ी थी, को तुरन्त ही ठीक कराया गया और २९-५-६० से चालू कर दिया गया। इसके अतिरिक्त पानी के घुमाव के अस्थाई प्रबन्ध के लिये गौला नदी में एक्वीडक्ट के कुछ फर्लांग ऊपर की ओर कंकरीट ब्लाक की वीअर (weir) का निर्माण और अस्थाई नहर का निर्माण गोला नदी के पानी के घुमाव से गोला नहर में ले जाने के लिये तुरन्त ही बनाना आरम्भ किया गया और यह काम अब पूरा हो गया है तथा नहर धान सिंचाई के लिये ७-७-६० को खोल दी गई है।

*५३—श्री मदन पाण्डेय तथा श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सत्य है कि उक्त पुल टूटने का कारण मरम्मत कराने वाले अधिकारियों की लापरवाही है?

श्री गिरधारीलाल—सरकार ने इस एक्वीडक्ट के टूटने के कारणों की छानबीन करने के लिये एक जांच समिति बैठाई है। इस समिति की अन्तिम रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

रोड़ी कुटाई की जाने वाली सड़कें

*५४—श्री कैलाशप्रकाश (जिला मेरठ)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्या कुछ ऐसी सड़कें स्वीकृत थीं जिनकी केवल रोड़ी कुटाई होनी थी और पेंटिंग नहीं ? यदि हां, तो उनकी लम्बाई क्या थी और किस-किस जिले में कितनी ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—इन सड़कों की जिलेवार लम्बाई सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११०-१११ पर)

इलाहाबाद में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना का निश्चय

*५५—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—विधान सभा के दिनांक ३-५-६० के प्रश्न संख्या ४१-४२ के लिखित उत्तर के क्रम में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभियन्त्रण महाविद्यालय (इंजीनियरिंग कालेज) की स्थापना वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में न हो सकने के क्या कारण हैं और जब कभी इस विद्यालय की स्थापना होगी तो क्या उसके लिये स्थान का चयन हो गया है? यदि हां, तो उक्त स्थान का नाम क्या है?

श्री गिरधारीलाल—अभियन्त्रण महाविद्यालय की स्थापना इलाहाबाद में होगी। वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में महाविद्यालय की स्थापना न हो सकने के मुख्य कारण यह हैं कि उसके लिये अभी भूमि की व्यवस्था पूर्णतः नहीं हो पाई है और उसका मुख्य अधिकारी (Principal) नहीं मिल पाया है।

*५६—श्री रामसुन्दर पांडेय—[९ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

रिहन्द बांध से बिजली मिलने की अवधि

*५७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विदेशी विनिमय मुद्रा के अभाव में रिहंद बांध से बिजली मिलने की मियाद एक वर्ष और बढ़ गई है?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

*५८—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—[९ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*५९—श्री रामसुन्दर पांडेय—[९ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*६०—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[९ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*६१-६२—श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)—[९ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*६३—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—[९ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*६४—श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)—[९ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*६५-६७—श्री ऊदल (जिला वाराणसी), श्री मदन पांडेय, श्री गोविन्द सिंह विष्ट—[९ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग की वित्तीय आज्ञा

*६८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने कार्यों तथा अपनी मांगों और योजनाओं के लिये वित्तीय आज्ञा पहले प्राप्त कर लेता है और अपनी प्रशासकीय स्वीकृति बाद में देता है?

श्री गिरधारीलाल—पहले योजना स्वीकृत होती है। बाद में उसकी वित्तीय आज्ञा प्रदान की जाती है।

आगरा-मथुरा सड़क को सीमेण्टेड करना

*६९—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या आगरा-देहली सड़क को सीमेंट की बनाने के लिये कोई नया डिवीजन पी० डब्लू० डी० का नियुक्त किया गया है ? क्या आगरा शहर में बाई-पास बनाने का कार्य भी इसी डिवीजन को सुपुर्द किया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, आगरा-देहली सड़क को आगरा से मथुरा तक सीमेण्ट की बनाने के लिये एक नया डिवीजन आगरा में खोला गया है। बाई-पास बनाने का काम इस डिवीजन को सुपुर्द नहीं किया गया है।

*७०-७१—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—[९ अगस्त, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

प्रश्न ८ के उत्तर के स्पष्टीकरण की प्रार्थना

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—अभी माननीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न संख्या ८ के उत्तर में यह उत्तर दिया है कि दूसरे प्रान्तों से सूचना एकत्र करनी है। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि ८-३-६० को मैंने जो प्रश्न संख्या ८१ किया था उसके सन्दर्भ में सूची दी गई थी कि किन गांवों में कौन से रेट हैं....

श्री अध्यक्ष—आप उस वक्त चूक गये जब कि उन्होंने जवाब दिया था, अब आप आखिर में पूछते हैं। उस वक्त आप पूरक प्रश्न पूछ सकते थे अब नहीं पूछ सकते।

१९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था नियमावली के अन्तर्गत प्रख्यापित संशोधन*

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—आपकी आज्ञा से मैं सन् १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३८६ ए-आर जेड १-क—३६१७-५९, दिनांक २४ मई, १९६० के अधीन प्रख्यापित संशोधन को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश नियमावली, १९६०*

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश नियमावली, १९६० को सदन की मेज पर रखता हूं।

प्राक्कलन समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन*

†श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से मैं प्राक्कलन समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन, जो राजकीय सीमेण्ट फैक्टरी के संबंध में है, सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

---

* छापे नहीं गये।

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकी नन्दन विभव]

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर में उद्योग धंधों के संबंध में जो बुनियादी सवाल हैं, उनकी चर्चा इस प्रतिवेदन में की गई है और सरकार को उनके संबंध में निर्णय करने का सुझाव दिया गया है। मुझे आशा है कि सरकार इन प्रश्नों पर बिचार करेगी और कुछ निर्णयों पर पहुंचेगी।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं जो कि प्राक्कलन समिति की कार्यविधि से संबंधित है। प्राक्कलन समिति ने अपनी कार्य विधि में थोड़ा परिवर्तन किया है और वह इस दृष्टि से किया है कि अब तक की प्रथा में यह रहा है कि सन् १९५२ और उससे पहले प्राक्कलन समिति न जो कार्य उठाये उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत हुए उन पर सरकार अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी। उसका परिणाम यह हुआ कि प्रतिवेदन में जिन प्रश्नों को उठाया गया था उस संबंध में अब चूंकि समय और परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं और मैं समझता हूं कि उस कार्य के संबंध में अब सारा दृष्टिकोण ही बदल गया है। उस पर जो परिश्रम हुआ है उसका उतना अधिक उपयोग नहीं होगा जितना कि उपयोग उसके अधिक शीघ्र होने से हो सकता था। तो इस ओर प्राक्कलन समिति ने ध्यान दिया है और इस बात का प्रयत्न किया है और करेगी कि जिन प्रश्नों को वह उठाये उन पर वह अपना प्रतिवेदन उसी वर्ष प्रस्तुत कर दे। यहां सूचना देने का मेरा विशेष कारण यह था कि मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता था कि यह आवश्यक है कि उस कार्य की पूर्ति के लिये सरकार से जो भी सामग्री मंगाई जाय, जो प्रश्न किये जायं उनका उत्तर शीघ्र वहां से प्राप्त हो जाय ताकि उन पर शीघ्र कार्यवाही की जाय। मेरा खयाल है और मुझे खुशी है कि मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है और वह इस संबंध में कुछ ऐसी कार्यवाही अवश्य करेंगे जिससे प्राक्कलन समिति की नई विधि में उसे कुछ सफलता प्राप्त हो सके।

द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति का षष्ठ प्रतिवेदन*

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहने से पहले आपसे आज्ञा चाहूंगा कि कल २२ आश्वासनों के बारे में मैं जो कह गया था उसकी ठीक स्थिति यह है कि उन २२ आश्वासनों के अधूरे उत्तर आये। २-३ वर्ष भी बीत गए और कार्यवाही पूरी नहीं हुई है इसे ठीक कर दिया जाय।

मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति का षष्ठ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। यह प्रतिवेदन उन आश्वासनों से संबंध रखता है जो ९-२-५९ से २-४-५९ तक दिये गये। इनकी कुल संख्या २३५ है। इनमें से ६१ ऐसे हैं जिनकी पूर्ति हो चुकी है, ६७ ऐसे हैं जिनकी पूर्ति अभी तक नहीं हुई है। कुछ की प्रगति से समिति संतुष्ट नहीं है। ४-५ ऐसे हैं जिनके बारे में संबन्धित विभागों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि संबंधित विभाग उत्तर देने का कष्ट नहीं करते। इस ओर मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इन आश्वासनों की पूर्ति में आवश्यकता से अधिक समय लगा है और कुछ आश्वासन ऐसे हैं जिनकी पूर्ति इस समय तक हो जानी चाहिये थी, परन्तु अभी तक नहीं हुई है। इस प्रकार मुख्य आश्वासनों का उल्लेख प्रतिवेदन में किया गया है। मैं नहीं चाहता कि मैं ज्यादा समय लूं। परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आश्वासनों के बारे में पत्र-व्यवहार का उत्तर विभागों से जल्दी आया करे।

एक बात और है। मैं आपकी आज्ञा से आश्वासन समिति के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उनकी कर्त्तव्यनिष्ठा, सहयोग, और सदप्रयास के कारण ही हम यह रिपोर्ट सदन के सामने रख सके हैं और धन्यवाद के पात्र विशेषकर श्री भोलादत्त उपाध्याय और श्री गिरधारी लाल जी तथा अन्य कर्मचारी हैं।

---

*छापा नहीं गया।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष--कार्य-स्थगन प्रस्ताव तो आज मैंने कोई स्वीकार नहीं किया क्योंकि आम बहस ४ दिन होने वाली है। वे विषय ऐसे थे जिनकी चर्चा राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में विवाद में हो सकती है। कुछ ऐसे भी विषय थे जो विधान सभा की अधिकार परिधि के बाहर थे।

गांधी फैजाम इंटर कालेज, शाहजहांपुर के इंटर साइंस के विद्यार्थियों का परीक्षाफल रोकने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--जहां तक नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकृष्ट करने के प्रश्न उठाये गये हैं उनमें से केवल एक प्रश्न मैंने स्वीकार किया है जो देवनारायण भारतीय जी का है। वह इस प्रकार है--"गांधी फैजाम इंटर कालेज, शाहजहांपुर के इंटर साइंस के कुछ विद्यार्थियों ने प्रयोगात्मक परीक्षा के साथ फरवरी, सन् ६० में दुर्व्यवहार किया। विद्यार्थीगण जिनकी संख्या १९५ है शेष परीक्षा में सम्मिलित हुए। बोर्ड ने उनका परीक्षाफल रोक दिया जिसके कारण विद्यार्थी आगे की शिक्षा का कार्यक्रम आरम्भ नहीं कर सकेंगे और आगे के भविष्य अन्धकार में हैं। अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर नियम ५२ के अन्तर्गत स्पष्टीकरण की मांग करता हूं।"

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मान्यवर, एक शब्द गलत पढ़ने में आया। "प्रयोगात्मक परीक्षक" है "परीक्षा" नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--'परीक्षक' ही होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--वह आपकी टाइप की गलती है। "प्रयोगात्मक परीक्षक के साथ" ऐसे शब्द होना चाहिए।

शिक्षा उप-मंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)--श्रीमन्, इस मामले की जांच की गई और माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने हमें इत्तला दी है कि इस केन्द्र का परीक्षाफल आज निकल जायगा, निकल गया है।

श्री देवनारायण भारतीय--मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि एक प्रैक्टिकल परीक्षक फरवरी में इस कालेज में गए। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि कुछ विद्यार्थियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के परिणाम में १९३ विद्यार्थियों का परीक्षाफल रोक लेना इंटरमीडिएट बोर्ड के लिये कहां तक उचित था और बोर्ड की इस गलती की सजा विद्यार्थियों को भोगनी पड़ रही है। अब तक उनमें से कुछ मेडिकल कालेज में दाखिल होते, कुछ इंजीनियरिंग में और दूसरी टेकनिकल लाइनों में जाते। कम से कम एक दर्जन विद्यार्थी ऐसे थे जो फर्स्ट डिवीजन में पास होने की आशा रखते थे। वे वंचित रह गए हैं। उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

***श्री कमलापति त्रिपाठी**--मान्यवर, यह मामला इंटरमीडिएट बोर्ड का है। शिकायत हुई कि लड़कों ने वहां कुछ अनुचित बर्ताव किया। इस पर परीक्षा समिति ने जांच समिति कायम की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष को दी। यह फैसला किया गया है कि इनका परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया जाय। वह अगर प्रकाशित नहीं हुआ है तो आज हो रहा होगा क्योंकि उन्होंने यह सूचना दी थी कि २५ और २६ तारीख के बीच में प्रकाशित हो जायगा। हमारे सामने अब कोई दूसरा सवाल नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या सरकार को मालूम है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में अभी हजारों विद्यार्थियों के किसी न किसी कारण से परीक्षाफल रुके हुए हैं ? क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र उनके परीक्षाफल निकलवाने का प्रयास करेगी ?

श्री अध्यक्ष--यह इससे सम्बन्धित नहीं है ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो विद्यार्थी अब पास होंगे, अच्छे नम्बरों से उत्तीर्ण होंगे, उनकी सुविधा के लिये सरकार विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अगर कोई मामला ऐसा आया और सरकार के अधिकार क्षेत्र में हुआ तो हम उस पर विचार करेंगे ।

श्री देवनारायण भारतीय---१५ फरवरी को परीक्षक के साथ दुर्व्यवहार हुआ, १० जुलाई तक या जुलाई के शुरू में उनका परीक्षाफल घोषित हो जाना चाहिए था ताकि उन विद्यार्थियों का नुकसान न होता जो कि इस मामले में दोषी नहीं थे । अगर बोर्ड की गलती है तो सरकार उनके खिलाफ क्या करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---माध्यमिक शिक्षा परिषद् एक स्वतंत्र संस्था है । मैं यह जरूर समझता हूं कि परीक्षाफल के प्रकाशित करने में इतना विलम्ब नहीं होना चाहिए । यह न शिक्षा परिषद् के लिये मुनासिब है और न विद्यार्थियों के लिये । इसकी ओर सरकार उनका ध्यान आकर्षित करेगी और मैं समझता हूं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् अब इसके लिये उचित व्यवस्था करेगी ।

(कई लोगों के खड़े होने और बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री कमलापति त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरा उत्तर अभी समाप्त नहीं हुआ । माननीय सदस्य बड़े उतावले हो रहे हैं ।

अब इसका उत्तर, कि उनके प्रति दंड की कोई व्यवस्था करेंगे या नहीं, यह है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् एक स्वतंत्र संस्था है, यह प्रश्न उनके सामने है । अगर उसमें कोई ऐसी बात उठेगी जिसका संबंध सरकार से होगा तो उस पर सरकार विचार कर सकती है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों के विषय में प्रार्थना

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---श्रीमन, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । आपने जो कामरोको प्रस्ताव पर व्यवस्था दी है, वह सर्वथा उचित है । मान्यवर, कम से कम कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें पांच मिनट की देरी होने से बहुत गड़बड़ी हो सकती है । मैंने अभी बताया कि तिब्बत के जितने भी व्यापारी दर्रे हैं, वे सब खोल दिये गये हैं और सीमा के बाहर लोग आ जा रहे हैं । यह ठीक है कि आपने कामरोको प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन आप सरकार से यह तो पूछ लें कि अगर वह उसको खतरा समझती है तो उसके लिये क्या कर रही है । उसमें एक मिनट की देरी होने से खतरा पैदा हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष--आपने जो प्रश्न उठाया है उसका उत्तर यह है कि अगर मैं उसको मंजूर कर लेता तो चार बजे ही उसका आप जिक्र कर सकते थे, पांच मिनट के बाद नहीं कर सकते, जैसा कि अब आप १५ मिनट के बाद ही, जब राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू होने पर आप कर सकेंगे । अगर सरकार जिम्मेदार होगी और जनता के लिये खतरा महसूस करेगी तो तत्काल ही, जैसे ही आपके मुंह से वह खतरे की बात सुनेगी, वह कार्यवाही शुरू कर देगी । इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । आपने जो रूलिंग दी है उसकी अवहेलना करने की नीयत से मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कामरोको प्रस्ताव की एक अहमियत है और राज्यपाल जी का जो भाषण है वह भी एक अहमियत रखता है । राज्यपाल जी का भाषण स्वतः ही बहुत लंबा है और मैंने जो चीज दूसरे साथियों के साथ दी वह भारत सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के समय राज्य सरकार द्वारा जो दमन किया गया उससे संबंधित थी । जो कुछ उसने किया वह उसे नहीं करना चाहिये था । वह राज्य सरकार की प्रतिष्ठा के विरुद्ध था, इसकी चर्चा मैं उसके द्वारा करना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष—आप अपने भाषण का पूरा समय इसी बात पर लगा दीजिये ।

श्री गेंदासिंह—यह जो आपकी व्यवस्था हुई, यह परम्परा का स्थान ले लेगी और अगर परम्परा का स्थान ले लेती है तो मेरा विचार है कि कामरोको प्रस्ताव के साथ न्याय नहीं हो सकेगा । मैं इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं और आप, आज नहीं तो पुनः इस पर विचार करके फैसला देने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—मैंने विचार करके ही फैसला दिया है । मैं समझता हूं कि ऐसा कोई कारण नहीं है । क्योंकि राज्यपाल जी के प्रस्ताव के बाद एक प्रस्ताव आता है धन्यवाद का और उसके बाद संशोधन भी आते ह और इस रूप में आते ह कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में अनेक चीजों का जिक्र नहीं किया, यह चीज मैं समझता हूं संकल्प के रूप में आने से अधिक महत्व रखती है क्योंकि चार रोज तक आपके संशोधन पर बहस होगी । लेकिन कल को मैं अगर यह देखूं कि काम-रोको प्रस्ताव का विषय ऐसा है कि राज्यपाल जी के अभिभाषण के विवाद के समय उस पर महत्व नहीं दिया जा सकेगा । ऐसा देखूं तो मैं उस पर अलग से निर्णय ले सकता हूं, लेकिन जब मैं देखता हूं कि आप उस पर बहस कर सकते हैं और समय भी है और मैं समझता हूं कि इसमें कई संशोधन भी इस किस्म के मौजूद हैं जिन पर बहस हो सकती है और होगी । मैंने संशोधन में काफी विषयों को देख लिया, मुझे ऐसा विषय कोई नहीं मिला जिसको कि मैं अभिभाषण के विवाद में महत्व न दे सकूं, इसलिये मैंने कामरोको प्रस्ताव नामंजूर कर दिया ।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कामरोको प्रस्ताव है कि जब १७ तारीख को मैं गिरफ्तार किया गया तो अदालत से जबरदस्ती पुलिस द्वारा मुझे वहां की हवालात में ठूंसा गया जो बहुत ही गन्दी जगह थी और साथ ही मुझे क्रिमिनल कैदियों के साथ बन्द किया गया ।

श्री अध्यक्ष—आप अपने मुंह से जब यह बात कहते हैं तो इस बात को ज्यादा महत्व देते हैं और उसे विवाद में कह सकते हैं ।

श्री भजनलाल—मेरे साथ अन्याय किया गया है और उसकी जाँच माननीय मंत्री जी निष्पक्ष रूप से करावें ।

श्री अध्यक्ष—आप अपने भाषण में कहें ।

अधिष्ठाता मंडल के सदस्यों का मनोनयन

श्री अध्यक्ष—मैं अधिष्ठाता मंडल के संबंध में कुछ सूचना देना चाहता हूं । मैंने यह अधिष्ठाता मंडल अब की सत्र के लिये मनोनीत किया है—

१—श्री बेचनराम गुप्त,
२—श्री जगदीशशरण अग्रवाल,
३—श्री मलखानसिंह,
४—कुंवर श्रीपालसिंह,
५—श्री चन्द्रजीत यादव,
६—श्री गयाबख्श सिंह,

७—श्री गेंदासिंह,
८—श्री लक्ष्मीनारायण बंसल,
९—श्री वीरसेन, तथा
१०—श्रीमती चन्द्रावती ।

आगरा यूनिवर्सिटी के सेनेट तथा इंटरमीडिएट बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—कल एक प्रस्ताव आगरा यूनिवर्सिटी के सेनेट के सदस्यों तथा इंटरमीडिएट बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के संबंध में था । उनके लिये जो तिथि मैंने निश्चित की है वह यह है—

१—नाम निर्देशन-पत्रों के प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय ..	.. ५ अगस्त, १९६० के ५ बजे तक,
२—नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय	.. ८ अगस्त, १९६० के २ बजे । (सचिव, विधान सभा के कमरे में),
३—नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	२२ अगस्त, १९६० के ५ बजे तक,
४—निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो	दिनांक २६ अगस्त, १९६० को १२ बजे से ५ बजे तक विधान वाचनालय में होगा ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—अब श्री मदन मोहन अपना प्रस्ताव उपस्थित करेंगे ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह वेदन करना चाहता हूं कि भाषण का समय और उसका क्रम भी पहले तय कर दिया जाय तो विवाद में अधिक सुविधा होगी । क्रम से मेरा मतलब यह है कि क्या यह क्रम अपनाया जायगा कि प्रस्तावक के भाषण के बाद सब संशोधन पेश कर दिये जायें लेकिन उन पर भाषण करना आवश्यक न हो, सारे संशोधन जब पेश हो जायें और यह प्रस्ताव भी पेश हो जाय उसके बाद प्रस्ताव और तमाम संशोधनों पर आम बहस हो तो उससे अधिक सुविधा होगी बजाय इसके कि जो संशोधन करने वाले हैं वे अपना संशोधन पेश करने के साथ-साथ उस पर पूरी तरह से चर्चा करते जायं । मैं समझता हूं कि समय और क्रम के बारे में आप निर्धारण कर दें तो अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप जरूर चाहेंगे कि जिनके संशोधन हैं उनको कभी न कभी भाषण का फिर मौका दिया जाय बाद में ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—यह मेरे सुझाव में है ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं होगी कि पहले यह प्रस्ताव पेश कर दिया जाय, उसका समर्थन भी हो जाय और उसके बाद मुख्य संशोधन जो श्री त्रिलोकीसिंह जी का है, उनका तो भाषण होगा और फिर तमाम संशोधन उपस्थित कर दिये जावें । दूसरा रास्ता यह भी है कि सब संशोधन उपस्थित करने के लिये मैं इजाजत दे दूं और फिर श्री त्रिलोकीसिंह जी का पहला भाषण हो अपने संशोधन पर और फिर सिलसिले से भाषण हों । पहिले तरीके में कोई आपत्ति तो नहीं है ?

(किसी ने आपत्ति नहीं की)

समय के बारे में यह है कि जो प्रस्तावक हैं उसको २५ मिनट मिलते हैं और बाकी सदस्यों को १५ मिनट ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि भक्ति में तो ५-७ मिनट काफी हैं, ईश्वर भक्ति इतनी देर ही हो जाय तो अच्छा है, इसलिये अधिक समय नहीं लेना चाहिये . .

श्री अध्यक्ष—आपको भी मौका मिलेगा ।

श्री टीकाराम पुजारी—मेरा नाम भी उसी में होता तो अच्छा होता ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, जो बातें अभी कही गईं उनसे मेरी कठिनाइयां तो बहुत बढ़ जायेंगी । मैं अपने संशोधन पर बोल सकता हूं और राज्यपाल के अभिभाषण पर भी, मेरा हक है कि इस अभिभाषण में जिन बातों का उल्लेख है या नहीं है उन पर विचार प्रकट करूं लेकिन जब अन्य संशोधन उपस्थित हो जायेंगे और उसके बाद . . .

श्री अध्यक्ष—फिर आप सुनिये मत ।

श्री त्रिलोकीसिंह—अभी तक मेरे कान मान्यवर, काम करते हैं यह मुसीबत है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यदि आपकी यह व्यवस्था है कि सारे संशोधन उपस्थित हो जायें तो मैं अर्ज करूंगा कि मेरा संशोधन पेश होकर मेरा भाषण हो जाय तब ऐसा हो ।

श्री अध्यक्ष—बाकी लोगों को मैं सिर्फ पेश करने का ही मौका दूंगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि नेता विरोधी दल को पहले भाषण का अधिकार होगा ।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि बोलने क समय के बारे में नेताओं को २० मिनट और दूसरे सदस्यों को १० मिनट दिये जायें ।

श्री अध्यक्ष—इस बारे में तो नियम स्पष्ट है कि २५ मिनट प्रस्तावक को मिलेंगे और बाकी लोगों को १५ मिनट मिलेंगे या किसी को यदि अध्यक्ष अधिक समय के लिये अनुज्ञा दे दें तो दूसरी बात है ।

श्री जगवीरसिंह—हमारी सब विरोधियों से बात हो गई है, हम सब इससे सहमत हैं ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—इस प्रकार का विचार अवश्य हुआ था लेकिन आपने अभी जो नियम बताया, उसके अनुसार यदि हम नियमानुकूल ही चलें तो कोई आपत्ति न होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—उसमें तो यह है कि संकल्प का प्रस्तावक और उससे सम्बन्धित भार साधक मंत्री पहली बार २५ मिनट बोल सकते हैं या उससे अधिक बोलने की मैं उनको अनुज्ञा दे सकता हूं लेकिन बाकी लोगों के लिये १५ मिनट का विधान है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—श्रीमन्, नियमानुकूल ही चलें तो अच्छा है ।

श्री त्रिलोकीसिंह—प्रजासमाजवादी दल के व्हिप ने जो तजवीज पेश की है अन्य दलों के सदस्य तथा जनसंघ के नेता इस बात पर पुनः विचार करें कि नेताओं के लिये २० मिनट रखें ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अगर सब लोग सहमत हों तो मुझे २० मिनट नेताओं को देने में आपत्ति नहीं है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मुझे अपने बोलने के विषय में आपत्ति नहीं है लेकिन जो नियम है उसके अनुसार चलें तो अच्छा है । नियमानुकूल सदस्यों का समय १५ मिनट है, इसलिये मैंने कहा कि अगर नियमानुकूल हो तो ज्यादा उचित होगा ।

श्री अध्यक्ष---मैं इतना तय कर देता हूं कि १० मिनट आमतौर पर दूंगा लेकिन अगर देखूंगा कोई महत्वपूर्ण विषय छिड़ा हुआ है तो ५ मिनट बढ़ा दूंगा, उसका समय १५ मिनट कर दूंगा ।

(श्री जगवीर सिंह से) २० मिनट आपने नेताओं के लिये बताया और नेता विरोधी दल के लिये क्या समय बताया ?

श्री जगवीरसिंह---उनके लिये कोई समय की कैद नहीं बतायी ।

श्री अध्यक्ष---२५ मिनट की तो कैद लगेगी ही ।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)---मेरी प्रार्थना है कि नेताओं के अलावा साधारण सदस्यों के लिये अगर १५ मिनट रखे जायें तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष---मैंने कह तो दिया कि उनको लैटीट्यूड दे दूंगा ।

मेरा ख्याल है कि २५ मिनट रखिये प्रस्तावक के लिये और वही नेता विरोधी दल के लिये भी रखें । (श्री त्रिलोकीसिंह जी से) आप कितना समय लेना चाहते हैं ?

श्री त्रिलोकीसिंह---मैं तो ४०, ४५ मिनट लेना चाहता हूं । साथ ही यह भी अर्ज करूंगा कि इस सदन की परम्परा रही है कि नेता विरोधी दल पर समय का प्रतिबन्ध न लगाया जाय ।

श्री अध्यक्ष---वह बजट के लिये है, इसके लिये नहीं । इसमें तो प्रस्ताव है । और समय निर्धारण राजीनामे से होता रहा है, परम्परा कोई नहीं रही ।

श्री त्रिलोकीसिंह---जैसी आपकी व्यवस्था है, मैं तैयार हूं १५ मिनट ही बोलने के लिये ।

श्री अध्यक्ष---(मुख्य मंत्री से) अगर आप समझते हैं कि नेता विरोधी दल को ४५ मिनट दे दिये जायें तो मैं तैयार हूं ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, परम्परा तो वही है जिसका आपने जिक्र किया है । लेकिन यदि माननीय नेता विरोधी दल अन्य लोगों से ज्यादा समय चाहते हैं तो उनको ४५ मिनट का मौका होना चाहिये, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---१९५९ के राज्यपाल के अभिभाषण के समय माननीय सुरथबहादुर शाह ने यह प्रस्ताव किया था "श्रीमन्, आपकी इजाजत से मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं, वह यह है कि मोशन को उपस्थित करने वाले सदस्य तथा नेता विरोधी दल को ३० मिनट का समय, अन्य नेताओं को २० मिनट और अन्य वक्ताओं को १० मिनट का समय दिया जाय" ।

श्री त्रिलोकीसिंह---तो मैं चाहूंगा कि जो परम्परा चली आयी है उससे सदन न हटे । मैं ३० मिनट ही बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष---यह परम्परा सदन की मरजी से कायम हुई है और होती रहेगी । बजट के लिये तो यह परम्परा है कि नेता विरोधी दल के लिये कोई समय नहीं है । इसमें चूंकि संकल्प उपस्थित है और नियम में भाषण का समय दिया गया है इसलिये मैं सदन से पूछ लेता हूं, और सदन ने आज तक विरोधी दल के नेता के भाषण के लिए ३० मिनट दिये । अगर आप इस साल बढ़ाना चाहते हैं और सदन सर्वसम्मति से इजाजत दे देता है तो उनको ज्यादा समय दिया जा सकता है । (श्री त्रिलोकीसिंह जी से) तो आप आधा घंटा चाहते हैं ?

श्री त्रिलोकीसिंह---जी हां ।

श्री अध्यक्ष—तो ठीक है नेता विरोधी दल और प्रस्तावक आधा घंटा ले सकते हैं और २० मिनट अन्य नेता लेंगे। अन्य सदस्यों के लिये मैं कह ही चुका हूं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—कुछ संशोधन छप चुके हैं, और बाकी संशोधन छपे नहीं हैं। जब चार रोज तक बहस चलेगी तो ३६ घंटे पहले संशोधन दिये जा सकते हैं। तो जो संशोधन भेजे हैं वह भी शामिल कर लिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—जो संशोधन आ गये हैं उनको मैं ले लूंगा, मूव करा दूंगा।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुए हैं श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं।"

मान्यवर, इस राज्य का सौभाग्य रहा है कि यहां के राज्यपाल योग्य, अनुभवी और जन-समुदाय से निकट सम्पर्क रखने वाले महानुभाव होते रहे हैं। ये गुण हमारे वर्तमान राज्यपाल में भी हैं लेकिन इसके साथ-साथ उनकी एक विशेषता यह है कि उनको कक ऐसी पार्टी के क्रिया कलापों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ कि जिस पार्टी का दर्शन, विचारधारा, लोकतंत्रात्मक परम्परायें और काम करने की शैली शेष भारत के राज्यों से विभिन्न थी। हमें विश्वास है कि जो अनुभव वर्तमान राज्यपाल ने इस सम्बन्ध में प्राप्त किये हैं उनसे हम लाभान्वित होते रहेंगे।

श्रीमन्, यह दावा हमारी तरफ से नहीं किया जाता कि धन्यवाद का प्रस्ताव जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वह इसलिये कि इस राज्य का प्रशासन उच्चतम आदर्श विन्दु को उपलब्ध कर चुका है। हमारा सौभाग्य है कि अगर मुख्य मंत्रियों की—जो भारत के विभिन्न राज्यों में हैं—तुलना की जाय तो कदाचित् उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बौद्धिक क्षमताओं की दृष्टि से, प्रशासकीय अनुभवों की दृष्टि से अद्वितीय नहीं तो किसी से कम नहीं ठहरेंगे। तो भी जहां मानव कार्य होते हैं, उनमें दोष उत्पन्न होते ही हैं, दोष रहते हैं, और हम यह दावा नहीं करते कि हमारा आदर्श हमें उपलब्ध हो चुका है। लेकिन इस धन्यवाद के प्रस्ताव की मंशा यह है कि हमारे प्रदेश के साधनों, परिस्थितियों तथा उपलब्ध सामग्रियों को दृष्टि में रखते हुए, इस सदन से मेरा विनम्र निवेदन है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रयासों का अवलोकन किया जाय तो, श्रीमन्, इस कसौटी पर कसने पर राज्यपाल का सम्बोधन जो उत्तर प्रदेश के प्रशासन की नीति से सम्बन्धित है, अवश्यमेव धन्यवाद का पात्र हो जाता है।

श्रीमन्, जैसा मैंने निवेदन किया कि मानव कार्यों में दोष हो सकते हैं, आलोचनायें हो सकती हैं लेकिन हमारा निवेदन यह है कि आलोचनायें हों, टीकायें हों तो इस आधार पर हों कि प्रशासन के पास वह अवसर थे, वह उपलब्धियां थीं, वह साधन थे जिनसे वह दोष निवृत्त हो सकते थे और शासन, प्रमाद के कारण और गलती के कारण इन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाया और इस प्रकार से वह गलती हुई। श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि गलती को दिखाना या केवल दोष को दिखाना बिला इस बात को प्रकाशित किये हुये कि किस प्रकार से वह दोषपूर्ण स्थिति निवृत हो सकती थी। श्रीमन्, ऐसी आलोचनायें निरर्थक और व्यर्थ दो प्रकार से होती हैं। एक तो यह कि हम समझेंगे कि यद्यपि प्रशासन में दोष था, व है लेकिन आलोचक महोदय के पास कोई सुझाव नहीं है जिससे हम यह अनुमान कर सकेंगे कि अगर उनके हाथ में प्रशासन होता तो उन दोषों से उनका प्रशासन विमुक्त रहता। मैं चाहूंगा कि विरोधी दल के या किसी भी आलोचक महोदय के जो कुछ हमारे ऊपर कटाक्ष हों, वह ऐसे हों कि जिनसे यह विदित हो सके कि अगर वह हमारी जगह पर होते तो यह दोष न हो पाते।

[श्री मदनमोहन]

दूसरा कारण श्रीमन्, यह है कि हमारी क्षितिजों पर आज रक्त वर्ण मेघ मंडरा रहे हैं और उनके साये में बैठे हुये आज अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा एक दूसरे के साथ एक सहयोग, एक रचनात्मक संवाद होना चाहिये और अगर किसी समय में शासन को हमारे शास्त्रों के आदेश के पालन का समय था तो आज है। "संगच्छध्वम्, संवदध्वम्" तुम्हारी गतिविधि सम्यक हो, तुम्हारा विचार विनिमय सम्यक हो, अब समय नहीं है कि विवाद रहे और तुम्हारी गतिविधि में एक दूसरे से विरोध हो।

इस दृष्टि से श्रीमन्, मेरा विनम्र निवेदन यह है कि हम देखें कि हमारा सम्बोधन और हमारी नीति अन्यवाद के पात्र हुआ नहीं। श्रीमन्, सब से पहली बात जो इस समय मेरी तुच्छ बुद्धि के समक्ष है वह अभी हाल की घटना है जिसमें राजकीय और अर्द्ध राजकीय कर्मचारियों ने एक स्ट्राइक किया, एक हड़ताल की और उससे अव्यवस्था और उलझन उत्पन्न हुई। श्रीमन्, मेरी समझ में यह एक चुनौती थी और एक आंतरिक ऐसा आन्दोलन था जो सारी राज्य व्यवस्था को ठप्प कर सकता था। राज्यपाल महोदय ने संतोष प्रगट किया कि हमारे प्रदेश के कर्मचारी इसमें सम्मिलित नहीं हुये। उन्होंने सन्तोष प्रगट किया कि साधारण जनसमुदाय ने उससे सहानुभूति नहीं प्रगट की। परन्तु मुझे ऐसा भान होता है कि नीचे-नीचे एक लहर थी, जो कदाचित प्रेरणा दे रही थी राजकीय कर्मचारियों को कि वह भी उस तरफ झुकें। मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि राजकीय कर्मचारी इस बात को समझने का प्रयत्न करें कि किस प्लेन पर वह काम कर रहे हैं। उनके प्लेन आफ ऐक्टिविटी और ट्रेड यूनियनिज्म के प्लेन आफ ऐक्टिविटी में बड़ा अन्तर है। श्रीमन्, ट्रेड यूनियनिज्म का स्तर लाभ और स्वार्थ पर आधारित है। मुनाफा और मुनाफे के बटवारे पर आधारित है। मुनाफा रुपये, आने पाई में गिना जाता है। मजदूर यह कह सकता है कि तुम्हारे व्यापार और मुनाफे में हम साझीदार हैं, तुम्हारा मुनाफा जो रुपये आने पाई में है, उसमें हम साझीदार हैं। ट्रेड यूनियनिज्म उस स्तर पर सोचता और काम करता है। सरकारी कार्य, मालिक और मजदूर, मुनाफा और बटवारा के स्तर पर नहीं होता। सरकारी कर्मचारी सरकार का साझीदार अवश्य है लेकिन सरकार की उपलब्धियां रुपये आने पाई में नहीं गिनी जातीं। उसकी उपलब्धियां होती हैं---जनहित, लोक सेवा, प्रजा का सुख और शान्ति। सरकारी खजाने का धन सरकार का नहीं है। वह राज्य का है जिसमें प्रत्येक करदाता का हिस्सा है और वह उन्हीं के सुख और हित में खर्च हो सकता है। ऐसी मेरी भावना है, सरकारी कृत्यों के बारे में। सरकारी उपलब्धियों में अगर कर्मचारी सम्मिलित होता है तो उसकी साझेदारी केवल लोकहित, जनहित, प्रजा की सुख शान्ति में हो सकती है। और कहीं साझेदारी नहीं हो सकती।

एक दृष्टिकोण और है। अगर मजदूर मालिक के साथ हड़ताल करता है तो उस समय मालिक और मजदूर के परिवार पर आघात पड़ता है। उससे देश का भी अनहित होता है। लेकिन अगर सरकार से सरकारी कर्मचारी असहयोग करता है तो सरकार के बीबी और बच्चे नहीं, उस सरकारी कर्मचारी के बीवी बच्चे नहीं अपितु सारा राज्य अव्यवस्थित हो सकता है और जिस उद्देश्य से सरकार स्थापित हुई है वह मंशा ही टूट जाती है। इसका मतलब यह होता है कि एक स्ट्राइक एक परिवार नहीं दस परिवार नहीं, अपितु सारा देश और सारा प्रदेश अव्यवस्थित हो सकता है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया हमारे आज के प्रयास और प्रयत्न जो अपने भाग्य-निर्माण के लिए हो रहे हैं उनमें ऐसा व्यवधान पड़ता है कि जिससे एक-एक क्षण के नष्ट होने से सारा देश और प्रदेश कुप्रभावित हो सकता है। इस वजह से श्रीमन् मैं कह रहा था कि दोनों सरकारी कर्मचारी व मजदूर के स्तर भिन्न हैं, दोनों की स्थितियां भिन्न हैं, दोनों की कार्य-शैली भिन्न हैं, दोनों का इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक स्तर भिन्न है, दोनों के कर्तव्य भिन्न हैं। ऐसी अवस्था में, श्रीमन्, मेरा ऐसा विचार होता है कि राज कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने का मतलब यह हुआ कि जिस व्यवस्था द्वारा वह सम्पन्न होना चाहते हैं, जिस व्यवस्था द्वारा हम देश और प्रदेश को सम्पन्न करना चाहते हैं, उसी व्यवस्था का विध्वंस करके वह देश को और प्रदेश को और निर्धन बनाते हैं, और यह यह कहा जाय तो अनुचित न होगा कि जिस मुर्गी के अंडे से वह जीवित रहना चाहते हैं, उसी का वह हनन करते हैं।

दूसरा एक और दृष्टिकोण है और वह यह है श्रीमन्, कि वह लहर जो नीचे चल रही थी उससे हमें खेद और दुख इस कारण से होता है कि पिछले बजट के अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री दोनों ने इस बात का आश्वासन दिया था कि हम अपने कर्मचारियों के प्रति उनकी आपदा, उनकी परेशानियों, और उनकी कठिनाइयों के प्रति जागरूक हैं और हम सोच रहे हैं कि अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये किस प्रकार से हम उन्हें लाभ पहुंचा सकते हैं और यही नहीं, श्रीमन्, आप देखेंगे राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में भी इसका उल्लेख किया है कि हमारे यहां ५० रुपये तक वेतन पाने वाले की हमने साढ़े पांच रुपया वृद्धि की है। ५० से १०० रुपया पाने वाले की ढाई रुपया वृद्धि की है और सौ से साढ़े चार सौ रुपये वाले को जिसको कोई महंगाई भत्ता सन् १९५७ और १९५९ में नहीं मिला था उसके लिए भी हमने पांच रुपया मासिक की व्यवस्था की है, और इसके साथ-साथ श्रीमन्, रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट पहली अप्रैल, सन् १९६० से दिया है। तो जहां पर इतनी सहानुभूति रखने वाली सरकार हो और उस सरकार के कर्मचारी चाहे राजकीय हों चाहे अर्द्ध राजकीय उनके अन्दर इस प्रकार की लहर उठे यह श्रीमन् खेद ही नहीं बल्कि इस बात का साफ द्योतक है कि आज हम अपने उत्तरदायित्व को, अपने देश की परिस्थिति को, अपने देश की सुख-शान्ति को, लोक-सेवा और लोक-हित सब को विस्मृत करके केवल स्वार्थ में लीन हो रहे हैं। मैं किसी के ऊपर लांछन नहीं डालता। लेकिन श्रीमन्, इस सदन में चारों तरफ ऐसे महानुभावों को मैं देखता हूं जिन्होंने स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए अपना जीवन, अपने ऐम्बीशन, महत्वाकांक्षायें, सब कुछ बलि कर दिया है। उन महानुभावों से हमारी आशा है, जनसमुदाय की आशा है कि स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए भी वह मिल कर ऐसा वातावरण उत्पन्न करेंगे कि जहां हमें सुख समृद्धि उपलब्ध हो सके।

श्रीमन्, मैं सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में कह कर अब दो एक बातों की ओर अवश्य ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी प्रमुख आवश्यकतायें क्या हैं? एक तो श्रीमन्, खाद्यान्न की समस्या है जो एक विकराल रूप हमारे सामने धारण किये हुये हैं। बेरोजगारी की समस्या भी हमारे सामने उपस्थित है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इन दोनों को देख कर यह भी सोचें और समझें कि हमारी आवश्यकताओं के जो मूल्य हैं वह कितने चढ़ गये और इसका समन्वय किस प्रकार से किया जाय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक खाद्यान्न का प्रश्न है हमारी पंचवर्षीय योजनायें प्रारम्भ से इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये बनाई जा रही हैं। हो सकता है इसमें मैं कदाचित कोई एतराज भी न करूं, इस बात को मान लूं कि हमें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कुछ कमी रही। जिन परिस्थितियों में हमने पंचवर्षीय योजनायें प्रारम्भ की थीं उसके ऊपर भी दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। हमारे देश में इन पंच-वर्षीय योजनाओं को चलाने के लिये हमें स्वयं कोई अनुभव नहीं था। बहुत वर्ष पहले से एक योजना बनाते चले आ रहे थे लेकिन उनके संचालन का उच्च प्रशासन विभाग को भी अनुभव नहीं था। हमारे पास योजनाओं के सम्बन्ध में योग्य जानकार, प्राविधिक परसोनेल प्राप्त नहीं थे। उस समय हमको ऐसा कोई आधार नहीं मिल रहा था कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के प्रति जनसमुदाय की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या रिएक्शन होगा और कदाचित अगर, मैं यह कहूं तो यह गलत नहीं होगा कि विदेशीय राज्यसत्ता की पराधीनता में रहते हुये, दीर्घकाल की परतन्त्रता से, भारतीय जन-समुदाय की स्थिति निष्प्राणप्राय थी। यद्यपि एक उत्साह से स्वतन्त्रता के लिये लड़े थे और उसको प्राप्त करने के समय उत्साह से भरपूर थे तब भी हमें इस बात की जानकारी नहीं हो सकती थी, कि यह होते हुये भी, दीर्घकाल की पराधीनता का, क्या प्रभाव उनके दिमाग और दिल पर पड़ रहा है। उसको आंका नहीं गया था। इन परिस्थितियों में हमने पंचवर्षीय योजना चलाई।

इसमें हमें कुछ सफलता भी हुई और कुछ असफलता भी हुई। कहीं हम जीते और बाज मदों में हम हारे। यह तो प्रत्येक देश के और प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में हार और जीत, सफलता और असफलता लिखी हुई है। चाहे आप अमेरिका को ले लीजिये और चाहे आप रूस के इतिहास का अध्ययन कीजिये, सब जगह सफलता और असफलता चलती है लेकिन

[श्री मदनमोहन]

आज हमारा सौभाग्य है कि हम दस वर्षों में ऐसी संख्या में लोगों को तैयार कर सके हैं कि जो प्रशिक्षित कहे जा सकते हैं। हमारे पास ऐसे कर्मचारी हैं कि जो प्लानिंग के महत्व को समझ चुके हैं। हम ऐसी स्थिति में हैं कि यद्यपि आज भी हमारा जन समुदाय थोड़ा-सा सशंकित है तो भी वह इच्छुक है कि हम इससे लाभ उठायें। हमने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है और अभिभाषण में हमारी इस योजना की ओर स्पष्ट संकेत किया गया है। हम आज देखते हैं कि हमारी योजनायें जिन पर आज तक यह लांछन आरोपित किया जाता था और सही तरीके से, कि वे आफिसियल प्रोग्राम हैं और जनता में उत्साह पैदा करने वाले नहीं हैं, उनमें हमने परिवर्तन किया है। हमने जनता के बीच एक नया नारा लगाया था कि हमारा जीवन स्तर, स्टैंडर्ड आफ़ लिविंग ऊंचा हो और हम समझते हैं कि यही एक रास्ता है कि जिससे जनता में स्फूर्ति जीवन स्तर ऊंचा करने की हो सकती है। हो सकता है कि इस नारे के साथ भी बहुत-सी गड़बड़ी हुई हो, मैं उसे मानता हूं, लेकिन वही एक तरीका हमारी समझ में ठीक था। जैसा किसी ने कहा है----ए गुड कस्टम मे करप्ट दी होल वर्ल्ड (A good custo n may corrupt the whole wor ld), एक अच्छी बात से भी हो सकता है कि तमाम दुर्व्यसन पैदा हो जायें। श्रीमन्, हर गुल के साथ खार होता है, हर मनुष्य में दोष हो सकते हैं, लेकिन हमने एक वातावरण पैदा किया। आज हम कहते हैं कि तुम्हारा जीवन-स्तर ऊंचा जरूर हो लेकिन स्तर ऊंचा करने के लिए आवश्यक है कि तुम्हारे पास दौलत हो, सम्पत्ति हो, और सम्पत्ति उसी सूरत में हो सकती है कि जब तुम अपने खून का पसीना करके श्रम में बहाओगे। इस नये नारे को हम थर्ड प्लान में आरम्भ कर रहे हैं और उसके लिये हम कहते हैं कि हमारा नारा यह है कि श्रम दो।

आप देखेंगे श्रीमन्, कि जो थर्ड प्लान में हमने उनसे कहा है वह यह है कि तुम्हारी जरूरत क्या है इसे तुम जानो। तुम उन जरूरतों को कैसे पूरी करोगे तुम बताओ। तुम अपनी नीड्स जानो, तुम अपना प्लान बनाओ और हम तुम्हारे सेवक की तरह से उपस्थित हैं। हम सर्विस कोआपरेटिव का निर्माण करके तुम्हारे धन की कमी पूरी करना चाहते हैं। हम प्राविधानिक मंत्रणा देने के लिये तैयार हैं, हमारे पास एक्सपर्ट कर्मचारी हैं, वह सब तुम्हारी सेवा में समर्पित हैं, लेकिन तुम अपने पैर पर खड़े हो। अपने भाग्य का निर्माण तुम करो और तुम अपने भाग्य का निर्माण करके अपने जीवन को बनाओ। श्रीमन्, आज १० वर्ष के अनुभव के बाद, १० वर्ष की हार और जीत के, सफलताओं और विफलताओं को देख कर हम उस स्थिति में पहुंचे हैं कि अपने ग्रामीण भाइयों के ऊपर अब हम सब कुछ छोड़ सकते हैं कि अब तुम स्वयं अपने जीवन का निर्माण करो।

मुझे क्षमा किया जाय, मैं कुछ समय और ले रहा हूं। मैं अब कोआपरेटिव को लेता हूं। कोआपरेटिव के प्रति आप लोगों को शंका है। मैं मानता हूं और यह जानता हूं कि यहां पर कोई भी यह नहीं स्वीकार करेगा कि कोआपरेटिव का काम सन्तोषजनक नहीं है। लेकिन जरा इस पर विचार किया जाय। यह कोआपरेटिव ऐक्ट जो है वह ३०-४० वर्ष पहले बना था। उस पुराने कानून में रोज नये-नये नियमों का समावेश करके उसको वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया है। किन्तु, श्रीमन्, एक कुत्सित कानून में कितने ही नियमों का समावेश किया जाय, वह अच्छा नहीं हो सकता। एक बोसीदा मकान को रंगने से ही अच्छा नहीं बनाया जा सकता। मैं इस सम्बन्ध में, श्रीमन्, इतना कह दूं कि सहकारिता का जन्म पूंजीवादी देश में हुआ। जब पूंजीपतियों ने एक विशेष व्यापार के ऊपर एकाकी आधिपत्य प्राप्त कर लिया तो इंगलैण्ड के २६ जुलाहों ने सहकारिता का बीज बोया और उस पूंजीवादी देश में यह सहकारिता काफी फली और फूली। पूंजीवाद का अगर कोई उत्तर है तो वह सहकारिता है। गरीबों को आराम पहुंचाने तथा पूंजीपतियों के हाथ से व्यापार लेने का अगर कोई तरीका है तो वह सहकारिता है। अपने पैरों पर खड़े होकर अपने जीवन और भाग्य का निर्माण

करने का अगर कोई साधन है तो वह सहकारिता ही है, और अगर हम सोशलिस्टिक स्टेट का निर्माण करना चाहते हैं, जिसकी कि हमने कल्पना की है, तो उसकी पहली सीढ़ी, श्रीमन्, सहकारिता है। उसके प्रति कोई किसी प्रकार की शंका करना गलत है।

श्रीमन्, आज जो हमारी विभिन्न प्रकार की योजनायें हैं और किस प्रकार से हम हर प्रकार की सुविधा खाद आदि की उत्पादन के लिये दे रहे हैं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, किन्तु प्राइसेज के सम्बन्ध में जरूर कुछ कहूंगा। श्रीमन्, यह निर्विवाद है कि डेवलपमेंट एकोनामी में प्राइसेज का बढ़ना स्वाभाविक है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया सर्वे ने अपनी सन् १९५७-५८ की रिपोर्ट में लिखा है जिसका एक अंश मैं पढ़ देना चाहता हूं। उसमें लिखा है--

"Stress and strain are to some extent unavoidable in a developing economy."

अनिवार्यता मुद्रास्फीत होना, रुपये की खरीदने की ताकत कम होना स्वाभाविक है। श्रीमन्, १२ मार्च, १९५८ को माननीय अशोक मेहता का जो बजट पर भाषण हुआ है उसका भी एक उद्धरण मैं आपकी सेवा में पढ़ना चाहता हूं--

"Despite inflation and drop in the purchasing power of money, a recent world survey showed that India's record was the best in this respect barring Switzerland."

मतलब यह है कि संसार में इस समय जो सर्वेक्षण हुआ है, वह कहते हैं कि भारत केवल स्विटजरलैंड से कम रहा है और किसी से कम नहीं रहा है "Despite inflation and drop in the purchasing power of money,"

अब किस तरह से कीमतें बढ़ीं, उनके बारे में कहते हैं,

"Inflation was bad if it led to stagnant economy, but if it released dynamism in the economy and propelled the productive forces farther and farther forward, there was nothing to be worried about. A sense of awareness had to be imparted so that every scheme may keep to the schedule."

श्रीमन्, हम भारतीय जनता, इस प्रदेश की जनता को आज इसी के ऊपर लाना चाहते हैं, उनको अनुप्राणित करना चाहते हैं और उनमें एक अवेयरनेस और जागृति लाना चाहते हैं कि तुम्हारा काम है, तुम करो और हमें विश्वास है कि हमारे देशवासी उसे करेंगे।

(लाल बत्ती बुझने पर)

श्रीमन्, एक शब्द पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--कहिये।

श्री मदनमोहन--पुलिस के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि पुलिस बेईमान है, पुलिस कर्त्तव्य विमूढ़ है, पुलिस संरक्षण नहीं कर सकती, लेकिन वह आई कहां से ? श्रीमन्, पुलिह का फोर्स इस समय हमारे बच्चों में से है, हमारे भाइयों में से और परिवारों में से है। श्रीमन्, वह खान कैसी है जिस खान से यह दल पैदा हुआ जो पुलिस में घुसते ही इतना कर्त्तव्य विमूढ़ हो गया, कार्य में च्युत हो गया और गिर गया, मैं यह जानना चाहता हूं ? मैं मानता हूं कि पुलिस वह है जिसने आज से १० वर्ष पहले एक विदेशी राज सत्ता का उपकरण बन कर हमारे साथ अत्याचार किया, लेकिन आज पुलिस कोई विदेशी सत्ता का उपकरण नहीं है, हमारी है और तुम्हारी सेवा कर रही है। इसलिये अगर हम अपनी भावनायें उनके प्रति वैसा ही घृणात्मक और द्वेषपूर्ण रखें तो उसकी प्रतिक्रिया यह होगी कि वह भी हमसे द्वेष रखेंगे। हम उनको अपना भाई समझें। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि यहां के प्रत्येक सदस्य के पास एक क्वेश्चनेयर (प्रश्नावली) भेजी गई है। हमें हर्ष होगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो पुलिस के सम्बन्ध में कुछ विचार रखता हो वह प्रश्नावली के ऊपर दे। हम अत्यन्त आदर और

[श्री मदन मोहन]
नम्रता के साथ विश्वास दिलाते हैं कि हम उनके विचारों को पढ़ेंगे, बातों को सुनेंगे, उनसे विचार विनिमय करेंगे और यत्न करेंगे कि तुम्हारी पुलिस तुम्हारी हो, तुम्हारी पुलिस तुम्हारी सच्ची सेवा करे और हमारे देश की सेवा करे और देश के डेवलपमेंट, प्लानिंग में प्रत्येक प्रकार का सहयोग दे ।

इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिये रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष---श्री रामचन्द्र विकल । आपके लिये १५ मिनट हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के सम्भाषण पर जो माननीय मदनमोहन जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैं अपना यह कर्त्तव्य समझता हूं कि महामान्य राज्यपाल ने हमारे प्रदेश की तमाम प्रगतियों की चर्चा जहां अपने संभाषण में की है, वहां एक महत्वपूर्ण चर्चा यह भी की है कि जो यह देश-व्यापी हड़ताल, जिसके बारे में चर्चा की है कि हमारी प्रदेशीय सरकार से कोई संबंध नहीं है मगर फिर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रदेश की जनता, यहां के सरकारी कर्मचारी और यहां के सभी लोगों से उसका पूरा वास्ता रहा है । मैं इस सम्बन्ध में उन लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन लोगों ने या जिन राजनीतिक दलों ने, इस प्रदेश की जनता ने इस हड़ताल को देश के लिये खतरनाक समझा और उसके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट नहीं की ।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मी नारायण बंसल, पीठासीन हुये ।)

मैं यह कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल ने इसी सम्बन्ध में एक बार नहीं कई बार कहा था कि "हड़ताल एक बहुत बड़ा खतरा देश के लिये है और इस देश को जब भी कभी खतरा होगा तो वह अन्दरूनी खतरा बहुत बड़ा होगा बाहरी हमलों से"। आज जब चीन का हमला हमारे दरवाजे पर हो, हमारे देश के कुछ लोग चाहे वे अपनी समझ से या मैं यह भी कह सकता हूं कि किन्हीं बाहरी लोगों के सुझाव से देश और प्रदेश की जनता को खतरे में डालना चाहते हैं तब उसकी जो चर्चा महामान्य राज्यपाल ने की है, उसके लिये मैं उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन दिनों यह हड़ताल इस देश में प्रारम्भ हुई यहां की जनता की यह आवाज थी कि आखिर यह प्रदेशीय कर्मचारी भी हैं जिनको तनख्वाह बहुत कम मिलती है । इनके सम्बन्ध में तमाम लोगों की सहानुभूति थी । हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश की जनता की इस आवाज को समझा और प्रदेश के छोटे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की है, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिये धन्यवाद के पात्र हैं । कल महामान्य राज्यपाल जी ने जो छोटे कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में घोषणा की है मैं समझता हूं कि उससे इस प्रदेश के कर्मचारियों को बहुत बड़ा संतोष होगा ।

उन्होंने इसी के साथ-साथ प्रदेश की जनता के लिये भी यह कहा है कि प्रदेशीय कर्मचारियों के अलावा भी इस प्रदेश की जनता में बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनकी हालत इन कर्मचारियों से भी बहुत बदतर है । तो जहां यह कर्मचारियों के संतोष की बात है वहां उनके सम्बोधन से संतोष मिलता है इस प्रदेश की गरीब जनता को कि उनकी ओर महामान्य राज्यपाल का ध्यान है । मैं महामान्य राज्यपाल के इस विचार के लिये जो उन्होंने इस प्रदेश की गरीब जनता के लिये ध्यान दिया है, कृतज्ञता प्रकट करता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की गरीब जनता की ओर उनका ध्यान जाना बहुत आवश्यक है ।

महामान्य राज्यपाल ने अपने संबोधन में जो हमारी ६ सौ करोड़ की तीसरी योजना है उसकी भी चर्चा की है और उसके सम्बन्ध में यह भी कहा है कि यह योजना ग्राम स्तर से बनने जा रही है । ग्राम स्तर से लेकर प्रदेशीय स्तर तक इस योजना में तरक्की हुई है । ग्राम स्तर

पर योजना बनने के मानी यह होते हैं कि इस प्रदेश की जनता का एक भारी सहयोग इन योजनाओं के लिये प्राप्त होगा। आज जो योजनायें गांव सभाओं द्वारा तैयार की जा रही हैं उनमें सहयोग जनता का होगा। कुछ लोगों का यह विश्वास था और सम्भवतः आगे भी होगा कि जो योजनायें सरकारी तैयार होती हैं उनमें जनता का सहयोग नहीं होता है। लेकिन पहली बात इस जनता द्वारा, गांव सभाओं द्वारा तैयार योजनाओं में यह है कि गांव के लोग अपनी उन आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे सकें और देते हैं लेकिन उसके साथ-साथ उसमें दूसरी भावना यह भी है कि जहां योजनायें ग्रामीण स्वयं तैयार कर रहे हैं उनके संचालन में और उनको पूरा करने में उन्हें इतनी अधिक दिलचस्पी होगी जितनी सरकारी कार्यों के लिये नहीं होती।

जहां महामान्य राज्यपाल ने तीसरी योजना की चर्चा की है वहां इस प्रदेश के औद्योगीकरण वहां इस प्रदेश की अन्य योजनाओं में जो शिक्षा के सम्बन्ध में है या जो अन्य योजनायें हैं, जो सड़क और पुलों की विभिन्न योजनायें हैं, उनकी भी चर्चा की है। इस प्रदेश में चलने वाली जो योजनायें हैं उन सब में किसी न किसी रूप में कुछ लोगों को काम अवश्य मिल जाता है। तो मैं यह समझता हूं कि महामान्य राज्यपाल ने जहां इन योजनाओं की चर्चा की वहां इस प्रदेश की बेकारी की तरफ भी इशारा किया है और वह संकेत यह है कि जब हमारे यहां पुल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, स्कूल और कालेज खुलेंगे, कारखाने खुलेंगे, वहां लोगों को साथ-साथ काम भी मिलेगा। जब इस प्रदेश में हमारी योजनायें सफल होंगी तो बेकारी का सवाल भी जो कि, हमारे सामने भूत की शकल में खड़ा है, किसी न किसी रूप में अवश्य हल होगा।

महामान्य राज्यपाल ने खेती के विकास की योजनाओं की भी चर्चा की है जिसका अर्थ मैं यह समझता हूं कि जिस देश और प्रदेश में खेती की तरफ अधिक ध्यान होगा उसके कारण वहां कारखाने लगेंगे और दूसरे काम भी तेजी से बढ़ेंगे। जहां पैदावार कम होगी वहां कारखाने और दूसरे कामों का चल सकना असम्भव होगा। तो जब यहां पर खेती की योजनाएं तेजी से चालू होंगी तो कारखाने और दूसरी बहुत सी बातें भी तेजी से चालू होंगी। खेती के साथ-साथ सिंचाई की योजनाओं की उन्होंने जो चर्चा की है, मैं समझता हूं वह एक अच्छा विषय है।

महामान्य राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में बड़े पुलों की चर्चा की है जोकि इस प्रदेश की समृद्धि के लिये बहुत आवश्यक है। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर में गंगा पर, अयोध्या में सरयू पर, बरेली के पास रामगंगा पर, मथुरा में यमुना पर, कैराना में यमुना पर और झांसी में नौतघाट पर बेतवा नदी के ऊपर पुल बनने की चर्चा की है। यह बड़े-बड़े पुल तो केवल संकेत मात्र हैं, इनके अतिरिक्त छोटे-छोटे और बहुत से पुलों की व्यवस्था बजट तथा योजना में है। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि थी लेकिन क्या उनके जमाने में वहां कभी पुल बने, रामेश्वरम् में चाहे बने हों, लेकिन यहां नहीं बने। मैं समझता हूं कि इनसे इस प्रदेश और देश का बहुत बड़ा कल्याण होगा।

उन्होंने अपने अभिभाषण में उद्योगों की तरफ भी ध्यान दिया है। मैं यह मानता हूं कि केन्द्रीय सरकार की कुछ उपेक्षा हमारे प्रदेश पर रहती है, हमारे प्रदेश को यहां के क्षेत्रफल, आबादी और यहां के विकास के कामों की आवश्यकता को देखते हुये जो सहायता मिलनी चाहिये वह इस प्रदेश को नहीं मिल सकी। लेकिन बावजूद केन्द्रीय सरकार की उपेक्षा के, यहां की सरकार इस प्रदेश की जनता से जो कर वसूल कर सकती थी और उसके द्वारा जो विकास की योजनायें चालू की जा सकती थीं, उनके लिये सरकार पूरी दिलचस्पी, सतर्कता, और सावधानी से काम कर रही है। उद्योग के सम्बन्ध में हमारा सूबा पहले "नहीं" के बराबर था लेकिन आज बहुत तेजी से कारखाने लगाये जा रहे हैं। आज जो किसान हैं वह भले ही सरकारी नौकरियों को पसन्द करते हों, लेकिन मैं आज देखता हूं कि कितने ही सरकारी अफसर नौकरियों को छोड़कर कारखाने लगा रहे हैं। आज गाजियाबाद, मोदीनगर और कानपुर जैसे शहर बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। देहरादून में जहां पहले कोई कारखाना नहीं था वहां पर लोग बराबर छोटे-छोटे कारखाने लगाते चले जा रहे हैं। इन कारखानों से जहां प्रदेश के लिये आवश्यक सामग्री उत्पन्न होती है वहां साथ ही साथ प्रदेश के गरीब मजदूरों को काम में लगाने में भी सहायता होती

]श्री रामचन्द्र विकल]

है । माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में जो प्रदेश की प्रगति की चर्चा की उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उसके साथ-साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री त्रिलोकीसिंह--अधिष्ठाता महोदय, पेश्तर इसके कि जो संशोधन मैंने भेजा है उसको पेश करूं, आपकी आज्ञा से जो उसमें एक गलती हो गई है, उसको दुरुस्त करना चाहता हूं । पहली पंक्ति में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है "संभाषण" उसके स्थान पर शब्द "अभिभाषण" कर दिया जाय तो मैं बड़ा कृतज्ञ हूंगा ।

अधिष्ठाता महोदय, संशोधन को प्रस्तुत करने के पहिले पढ़ूं, फैजाबाद जिला के जिन माननीय सदस्य ने धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उनकी योग्यता की मैं सराहना करना चाहता हूं । उन्होंने बड़े सुन्दर ढंग से अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और उसी कदर सुन्दर ढंग से और योग्यता से बुलन्दशहर जिले के माननीय सदस्य ने उसका समर्थन किया ।

मेरा संशोधन उस प्रस्ताव में इस प्रकार है :---

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ दी जांय--

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने, जीवन निर्वाह की आवश्यक सामग्रियों के बढ़ते हुये भाव को रोकने, न्याय तथा प्रशासन के पृथकीकरण, शिक्षा के गिरते हुये स्तर को रोकने, पुलिस तथा उसके संरक्षण में बढ़ती हुई अराजकता को रोकने, हरिजन व पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये समुचित योजना के अभाव को दूर करने, बढ़ती हुई महंगाई के कारण राजकीय तथा अर्धराजकीय कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के लिये वेतन आयोग की नियुक्ति करने तथा भू-अभिलेखों के शुद्धीकरण की समुचित व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है ।"

मान्यवर, मुझे दुःख है कि प्रस्तावक महोदय से मैं पूर्णतया सहमत नहीं हूं, कारण मैंने अपने संशोधन में लिख दिये हैं । मुझे एक बात का और दुःख है । मैं प्रस्तावक महोदय का कृतज्ञ हूं । उन्होंने अपने भाषण में कुछ तरीके भी हमको बताये कि किस प्रकार वाद-विवाद में हिस्सा लेना चाहिये ।

राज्यपाल के अभिभाषण में न्यूक्लीअर वार का जिक्र है । दो लाइनों में उसे खत्म कर दिया गया । लेकिन माननीय प्रस्तावक ने और जिन सदस्य ने उसका समर्थन किया उन्होंने सरहद पर जो खतरा है उसका जिक्र किया । मैं लड़ाई-दंगों के मामलों का माहिर नहीं हूं, यों भी हाथ पैर से कमजोर हूं, अगर कोई नौबत आ जाय तो ठीक नहीं उतरूंगा । मगर आज के युग में यह मानना कि लड़ाई सरहद पर होगी, ठीक नहीं है । आज की लड़ाई हर घर में होगी । अगर चीन ने हमला किया तो गढ़वाल में उसका फैसला नहीं होगा बल्कि लखनऊ, बनारस और कानपुर आदि की गलियों में होगा । मैं पूछना चाहता हूं कि उसके लिये क्या इन्तजाम किया गया है । यह कहा जाता है कि हम अपने पुराने सिद्धान्तों पर ही कायम हैं । यह भी कहा गया कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले बहुत से लोग इधर या उधर मौजूद हैं लेकिन क्या माननीय सदस्य इस बात को नहीं जानते हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई के सैनिकों ने यह प्रस्ताव पास किया था कि आर्म्स ऐक्ट को रिपील कर दिया जाय । उसके द्वारा राष्ट्र को निहत्था बनाया गया है । लेकिन आर्म्स ऐक्ट अभी तक बदस्तूर कायम है । भगवान न करे वह दिन आये, लेकिन अगर वह दिन आया और देश पर हमला हुआ तो सरहद की तैयारी काम नहीं देगी, तैयारी काम देगी देश के ४० करोड़ आदमियों की । लेकिन उनकी हिम्मत पस्त है, टूटी हुई है क्योंकि उनको निहत्था रखा गया है । मैं समझता था कि इतनी बड़ी बात का अवश्य ही जिक्र होगा । उसके साथ ही यह भी सोचना चाहिये था कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे वाकई अगर कोई खतरा आ जाय तो हम उससे बच सकें । कहा जाता है कि अगर आर्म्स ऐक्ट को रिपील कर दिया गया तो खतरा पैदा हो जायगा । लेकिन १९४७ के पहले मान्चर, ग्वालियर, हैदराबाद तथा और कई छोटी छोटी स्टेट्स में आर्म्स एक्ट की ऐसी व्यवस्था नहीं थी । क्या वहां अमन नहीं था । जब तक कौम निहत्थी रहेगी उसकी सुरक्षा होना सम्भव नहीं ।

प्लान का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि अगली योजना में ६०० करोड़ रुपया खर्च करने का लक्ष्य है कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के संसद के सदस्यों की बैठक में यह प्रश्न आया था। अगर अखबार की रिपोर्ट सही है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो तस्वीर वहां पेश की गई थी वह दूसरी है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में दूसरी तस्वीर पेश की है। दोनों की तुलना से यह बात स्पष्ट हो जायगी। सेकेन्ड फाइव ईयर्स प्लान में उत्तर प्रदेश के लिये जितना पया रखा गया था तकरीबन २५३ करोड़, उसमें से २३० करोड़ रुपया ही खर्च हो सकेगा। यानी ५ साल में २३ करोड़ रुपया कम खर्च किया जायगा। ऐसी हालत में मुझे आशा नहीं है कि यह ६०० करोड़ रुपये की योजना कामयाब होगी।

कृषि के उत्पादन के सम्बन्ध में राज्यपाल के अभिभाषण में आया है कि इस बजट साल में १ करोड़ २१ लाख एकड़ जमीन सींचने का इन्तजाम है। सन् १९५८-५९ में भी इतनी ही सिंचाई का इन्तजाम था। यह हाल है, फिर क्या आशा की जाय। द्वितीय योजना की कई योजनायें ठप्प हो गयी हैं। मान्यवर, इस द्वितीय योजना के कार्यकाल में जिससे कि हम गुजर रहे हैं, अगर बाहर से अनाज न आवे तो हम भूखों मर जायं। योजना के चार साल गुजर गये और आज भी बाहर से अनाज मंगाने की बात है। मंत्रिमंडल को चाहिये कि वह इस बात पर गौर करे। इस प्रदेश में १० परसेंट भी वेरिफाइड सीड नहीं है, जो अच्छा बीज कहा जा सके। खाद का भी जिक्र किया गया है कि कारखानों से आ रहा है। अगर सिंचाई हो तभी खाद का सही उपयोग हो सकता है। कुल क्षेत्रफल का मुश्किल से २५ प्रतिशत ही सिंचाई के अन्तर्गत आता है। सिन्दरी जैसे कितने भी बड़े-बड़े खाद के कारखाने लगाते जायं लेकिन उससे आम जनता को उत्पादन की दृष्टि से कोई फायदा नहीं पहुंच सकता है जब तक कि सिंचाई का भी प्रबन्ध न हो। सलाह दी गई है कि हम ऐसी बात कहें, जिस पर अमल किया जा सके। बजाय इसके कि कोई रुकावट पैदा हो। बावजूद इसके कि करोड़ों रुपये खर्च हुये हैं लेकिन सिंचाई का क्षेत्रफल नहीं बढ़ सका है। मैं अपनी बात को हवाला नहीं देना चाहता क्योंकि यह किसी सभासद के लिये अच्छी बात नहीं है। मैं अर्ज करूंगा कि लाखों कुयें जो पहले बने थे वे बेकार हो गये हैं और आज उनको चालू करने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है और न इस अभिभाषण को देखते हुये उनकी मरम्मत की संभावना ही है।

दिलचस्पी की बात है कि पांच करोड़ मछलियों के बच्चे होंगे। इससे भी ज्यादा दिलचस्पी की बात यह है कि कठपुतलियों के जरिये इस सरकार की कारगुजारियों को प्रदर्शित किया जायगा। इस मौके पर मुझे शेख चिल्ली का किस्सा याद आता है। मैं जब अपना नोट लिख रहा था तब एक बच्चे ने कहा कि इसके आगे लिल्ली घोड़ी लिख लीजिये। यानी सरकार आइन्दा लिल्ली घोड़ी के तमाशे द्वारा अपने कारनामों को प्रदर्शित करे। कुछ माननीय सदस्य अचम्भे से देखते हैं कि लिल्ली घोड़ी क्या बला है। एक आदमी अपने पेट पर कपड़ा बांध कर घोड़े की शक्ल लगा लेता है, उसके पैर में घुंघरू होते हैं और वह दर-दर जाकर अपनी हालत को दर्शाता है। वही हालत इस सरकार की है वह कठपुतलो का तमाशा करके अपने कारनामों को प्रदर्शित करना चाहती है। सिर्फ लिल्ली घोड़ी के तमाशे की कसर रह गई है।

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि यह सरकार बेरोजगारी को दूर करने में असफल रही है। सरकार की कृषि की योजना है, उद्योगों की योजन है तथा निर्माण योजनायें हैं जिससे काफी लोगों को रोजगार मिल सकेगा। लेकिन जो लेटेस्ट किताब है, उससे मालूम होता है कि करीब २ लाख ४ हजार बेरोजगारों का नाम एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में फरवरी, १९६० में था। सन् ५९ में १ लाख ५४ हजार बेरोजगारों का नाम दर्ज था। ४६,००० बढ़े, और वे ही किताबें इस बात को भी सिद्ध करती हैं कि प्रदेश के मेल लेबर पोटेन्शियल का १६ परसेंट बेकार रहता है। एकोनामिक ऐण्ड स्टैटिसटिक्स डायरेक्टरेट से जो किताबें प्रकाशित होती हैं उनके अनुसार इतना लेबर पोटेंशियल बेरोजगार रहा लेकिन खेद है कि उसको कम करने की कोई झलक अभिभाषण में नहीं है। यह तो मालूम होता है कि दास्ताने अमीर हमजा है।

[श्री त्रिलोकीसिंह]

मुझे हमदर्दी है माननीय राज्यपाल से कि उन्हें पहली ही बार इतनी बड़ी दास्तान कि ४ बार करवटें बदलीं डेढ़ घंटे तक पढ़ना पड़ा। जिसमें केवल दो बातें, एक तो कोआपरेटिव ऐक्ट और दूसरा क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक है। यही दो नये कार्य उसमें हैं और कोई नई बात का जिक्र नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण में प्रोग्राम आता है निश्चित रूप से कि सरकार क्या करना चाहती है। भ्रम में डालने के लिये लिख दी गई इस प्रकार की बातें जैसे ५ करोड़ मछली की पैदावार। मैं कहना चाहता हूं कि सरहद का खतरा जो चीन की दोहाई दी जाती है उस से ज्यादा खतरा है बेरोजगारी की समस्या का। अगर इसको हल नहीं किया जाता है तो मुझे अन्देशा है कि योजना की सफलता तो दूर रही, मंगलकारी राज्य की स्थापना की प्राप्ति तो क्या, हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये विशेष ध्यान देने की कृपा करेगी।

अन्न की समस्या है, माननीय प्रस्तावक ने अन्न की समस्या के बारे में खूबी के साथ कुछ बातें कहीं हैं। कुछ दावे अभिभाषण में भी किये गये हैं। कहा गया है कि पिछले साल से इस साल अन्न का भाव कम है। अभी थोड़े दिन पहले एक प्रेस कान्फ्रेंस में भी माननीय खाद्य मंत्री ने दावा किया था इसी तरह का, मालूम नहीं वह दावा करते वक्त महज अखबार वालों को ही देखते हैं या अपनी किताबों को भी देखते हैं कि उनमें अनाज का क्या भाव लिखा है। कहते हैं कि अनाज के भाव पिछले साल से कम हैं। अव्वल तो वह कोई तुलना नहीं क्योंकि सरकार की राय में गेहूं का मुनासिब भाव १५ रुपया १० आना मन है और अगर नहीं है तो वह क्यों इस भाव पर अपना माल बेचती है। गौर किया जाय तो गेहूं का बाजार भाव २४ जुलाई को थोक में १८,१९ रुपया मन का है, जिस भाव को वह मुनासिब भाव समझते हैं उससे यह ढाई, साढ़े तीन रुपया मन ज्यादा है। हमें नहीं भूलना चाहिये कि सरकारी दूकानों से करीब एक पाव रोजाना गेहूं मिलता है और इतने में किसी की भी गुजर नहीं हो सकती। हर आदमी को दूसरे अनाज लेने होते हैं और यू० पी० में जितनी कुल अन्न की खपत है उसमें से गेहूं कि खपत २० प्रतिशत है और ८० प्रतिशत चावल और दूसरे अनाज की है। मैं आपकी इजाजत से कहूंगा कि चावल के भाव पिछले साल से ज्यादा है तो गलत न होगा। चावल का भाव पहले था २४ रुपया ८ आना मन और आजकल भाव है २४–२५ रुपये के बीच में। कुल अन्न की खपत का एक तिहाई चावल है। चने का पारसाल भाव था १३ रु० ११ आना मन और इस महीने में उसका भाव है १५ रु० २५ नये पैसे मन। जौ का भाव था १२ रु० ६२ नये पैसे, इस समय १२ रु० ७५ नये पैसे फी मन। तो क्या यह दावा सही है? मैं बड़े अदब से कहूंगा कि नहीं, मैं नहीं उम्मीद करता था कि इस आदरणीय सदन के सदस्यों के साथ इस प्रकार के गलत आंकड़े दे कर खिलवाड़ किया जायगा। आखिर सदस्य चुन कर आते हैं, कुछ संसदीय जीवन की पवित्रता है, कुछ भलमनसाहत होती है। गलत आंकड़े देकर उस भलमनसाहत को जितना ठुकराया गया है उसकी जितनी भी निन्दा की जाय वह कम है, यह मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं।

मान्यवर, मैंने अपने संशोधन में जिक्र किया है बढ़ते हुये भाव का। कपड़े के दाम साल भर के अन्दर २० से ३० फीसदी बढ़ गये हैं। सीमेंट का दाम डेढ़ रुपया फी बोरी बढ़ गया है, वह भी अधिकतर ब्लैक मार्केट से मिल रही है। लोहे का दाम, आज भी कन्ट्रोल रेट पर अधिकतर को उपलब्ध नहीं है, परमिट १० फीसदी आदमियों को भी नहीं मिलते हैं। तो अनाज, कपड़ा, मकान बनाने के सामान सब के दाम बढ़े हैं। चीनी जिसका उत्पादन बढ़ रहा है उसके दाम भी बढ़ रहे हैं। तो क्या बात है, इनकी क्या पालिसी है? अशोक मेहता का हवाला दिया गया। सम्भवतः यह समझ कर कि इधर के बैठने वाले उसे जानकर चित हो जायेंगे लेकिन है क्या? हमारे यहां १९४७ में जब कर्मचारियों की सरकारी सेलेरीज मुकर्रर की गई थी उस समय कास्ट आफ लिविंग २९८ था अब ४६४ हो गया है। ५४ फीसदी का इजाफा है। मैं उन माननीय सदस्य से पूछूंगा कि क्या उन्होंने अशोक मेहता से जानने का प्रयत्न किया है कि किसी भी सभ्य देश में

जहां डेमोक्रेसी हो, १२-१३ साल के अन्दर कास्ट आफ लिविंग ५४ फीसदी बढ़ गई हो ? स्विट्जरलैंड का जिक्र किया है, मुमकिन है कि एक साल की बात हो। लेकिन अगर पूरे हवाले को देखा जाय तो क्या वहां ५४ फीसदी कास्ट आफ लिविंग में बढ़ावा हुआ है। बतायें क्यों बढ़ा है ? सरकार की नीति है दाम बढ़ने न पावें, यह इनके इलेक्शन मैनीफेस्टो, रेजोल्यूशन्स और ऐलानात में है। जब घटते हैं तो कहते हैं दाम घटने न पावें।

मान्यवर, इसी स्ट्राइक के सिलसिले में जिस पर अभी भाषण सुनने को मिला है उस सिलसिले में प्रधान मंत्री ने ऐलान किया था कि अगर इन कर्मचारियों की तनख्वाह को मांग के अनुसार बढ़ा देंगे तो उससे इनफ्लेशन हो जायगा, दाम बढ़ जायेंगे मगर उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ायी फिर भी दाम बढ़ गये। उन्होंने कहा कि अगर इनकी बातें मान ली जायं तो इनफ्लेशन हो जायगा, १४० करोड़ रुपये साल का व्यय बढ़ जायगा। यह न समझा कि १४० करोड़ रुपया बटेगा ४० करोड़ आदमियों पर। लेकिन यहां तो पहले ही से दाम बढ़े हैं। इसका क्या कारण है ? असल बात यह है कि यह सरकार अयोग्य है मैं अपनी कमजोरी मानता हूं, हम जनता में इतनी चेतना नहीं उत्पन्न कर सके कि वह अपनी भलाई-बुराई को ठीक तरह समझ सके। अगर आज सरकार कायम है तो इसलिये कि हम, जो एहसास पैदा होना चाहिये, जो चेतना होनी चाहिये, उसके अभाव को दूर करने में सफल नहीं हुये हैं। और जिस दिन सफल हो जायेंगे उस दिन सभी देखेंगे कि कौन किधर जाता है। कुछ कहने की बात नहीं है।

मेरे संशोधन में पुलिस का भी जिक्र है। मेरा सौभाग्य है कि पुलिस मंत्री जी यहां मौजूद हैं। पेश्तर इसके कि मैं उनकी बात पर आऊं निवेदन करूंगा कि अभिभाषण के अनुसार ३४ जिलों में न्याय और प्रशासन का पृथक्कीरण हो गया। मालूम नहीं इस सरकार की राय में जुडीशियरी का स्वरूप क्या है ? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस सरकार के मातहत हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के मातहत है या नहीं। १४४,१०७ की कार्यवाही करने वाले एस०डी०एम० और ११७,१५१ तथा १४५ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही करने वाले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के मातहत हैं या नहीं। मुझे मालूम है कि जिस पुलिस की कार्यवाही की मैं निन्दा करने जा रहा हूं उसके अधिकार आज के मुकाबिले में न्याय तथा प्रशासन के पृथकीकरण में १० गुना बढ़ जायेंगे। वह तलाशी तथा गिरफ्तारी के वारन्ट जारी कर सकेगी और जेल में कैदियों को दाखिल करवा सकेगी। पुलिस को इतने अधिकार देने के बावजूद मुझे यकीन है कि अगर वह उन अधिकारों का दुरुपयोग करेगी तो उसका जज होगा एक मैजिस्ट्रेट जो हाई कोर्ट के मातहत होगा, वह उत्तर प्रदेश सरकार के मातहत नहीं होगा, इसलिये कि न्याय प्रशासन से अलग होगा। जुडीशियरी और एक्जिक्यूटिव का कोई उसूल इस प्रदेश का बनाया हुआ नहीं है और न यही माना जा सकता है कि एक नया तजुर्बा यह सरकार करने जा रही है। दुनिया का तजुर्बा है। इंगलैण्ड में एक्जिक्यूटिव और जुडीशियरी अलग है और पुलिस के पास तमाम शक्ति है। लेकिन यहां जिला मैजिस्ट्रेट शांति व्यवस्था का जिम्मेदार है। अगर कोई माननीय सदस्य यह कहे कि नहीं है तो मैं उनके आगे सर झुकाऊंगा। मैजिस्ट्रेट शांति व्यवस्था का जिम्मेदार है और जुडीशियरी व एक्जिक्यूटिव के प्रथक् होने की बात कही जाती है।

उत्तर प्रदेश पुलिस की पिछले व त्योरस साल की रिपोर्ट मिली। उसमें ६,००० से ज्यादा शिकायतें पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ आईं। उनमें से ४९ फीसदी भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं। १० फीसदी ऐसी शिकायतें थीं जिस शब्द के समझने में मुझे माननीय पुलिस मंत्री की मदद लेनी पड़ी 'बलात ग्रहण' और जो माने मुझे बतलाए गये हैं जबर्दस्ती ठोंक पीट कर रिश्वत लेना। तो ४९ में १० और जोड़ दिये जायं यानी ५९ फीसदी रिश्वत लेने वाले हैं। इस तरह से ६,००० में से ३,६०० शिकायतें रिश्वत लेने के सम्बन्ध में आईं और मेरा ख्याल है कि इसकी पंचगुनी ऐसी होंगी जिनकी शिकायतें नहीं आईं अगर पंचगुनी नहीं तो दो गुनी जरूर होंगी। इसीलिये जानबूझ कर मेरे संशोधन में है "पुलिस और उसके संरक्षण में बढ़ती हुई अराजकता को रोकना।" कहा गया है कि पुलिस कमीशन के सामने बयान करो। मालूम हुआ कि कमीशन कुछ कर भी सकता है। मैं जरूर उसके सामने हाजिर होऊंगा। लेकिन अदब के साथ अर्ज

[श्री त्रिलोकीसिंह]

करना चाहता हूं कि छोटे-छोटे मामलों में पुलिस दखल नहीं देगी। किसी के दस डंडे पड़ गये तो पुलिस दखल नहीं देगी, अगर किसी के हाथ-पैर भी टूट जायं तो जब तक पुलिस कप्तान नहीं कहेगा पुलिस दखल नहीं देगी। अजीब बात है शांति भंग होने को पुलिस रोकेगी। हुजूर फौजदारी के नामी वकील रहे हैं और जानते हैं कि अगर कहीं शांति भंग होने का अंदेशा होगा तो १०७ और ११७ की कार्यवाही की जायगी मगर, अगर किसी के हाथ पैर तोड़े जायं तो जब तक कप्तान पुलिस नहीं कहेगा तब तक थानेदार थाने से नहीं खिसकेगा।

मैं निहायत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि जितने कत्ल होते हैं अगर उनका पता लगाया जाय तो उनकी शुरुआत छोटी-छोटी बातों से होती है। उनको बढ़ने दिया जाता है। यह नहीं कि लोग पुलिस तक नहीं पहुंचते हैं। एक फरीक पहुंच जाता है। वक्त नहीं है, अगर पुलिस मंत्री जी चाहेंगे तो मैं उनको लिखकर भेज दूंगा। मेरा जैसा आदमी जो कभी पुलिस के पास नहीं गया उसने अगर कप्तान पुलिस से कह दिया कि कत्ल होने वाला है, और वह हो गया किन्तु उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं अर्ज करता हूं कि क्राइम्स बढ़ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी पुलिस की अयोग्यता ही है।

(इस समय १ बजकर ५५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

उसके काम करने का ढंग है। एक नहीं ७२ कमीशन मुकर्रर कीजिये लेकिन कुछ नहीं होगा। आखिर उसकी सिफारिश तो यही सरकार मंजूर करेगी। वह कहेगी कि कमीशन ने कुछ भी कहा लेकिन उसकी राय में अमन व चैन है।

इसलिये मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर देश को पुलिस की सख्तियों से बचाना है तो न्याय और प्रशासन का प्रथकीकरण किया जाय। आज थानेदार के खिलाफ किसी साधारण डिप्टी की हिम्मत नहीं है कि वह कुछ कार्यवाही कर सके इसलिये कि वह चोरी करा देगा। यही कारण है कि ६,००० शिकायतों में २५ फीसदी सही पाये गये। लेकिन मुकदमें नाममात्र पर ही चले। १,५०० केसेज सही पाये गये। मैं अर्ज करता हूं कि अगर एक व्यक्ति किसी के डंडे मारे और अगर दूसरा मुकदमा कर दे तो उसे अदालत से सजा हो सकती है। लेकिन अगर पुलिस वाला डंडा मारता है और यह सिद्ध हो जाता है तो उसका मामला विभाग में ही रह जाता है। यह एक तबका है, अगर उसका डंडा मारना साबित होता है तो उस पर डिपार्टमेन्टल कार्यवाही होती है लेकिन दूसरे को अदालत से सजा कराई जा सकती है। मैं अदब से कहता हूं कि यह मनोवृत्ति बदलने का सवाल है, रुख बदलने की बात है, अगर नहीं बदलते हैं तो भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता है और ५० साल तक यह चीज नहीं हो पायेगी। पुलिस वाले अगर कोई ऐसा कार्य करें जो भारतीय दंड विधि के अनुसार जुर्म हो तो उन पर बजाय डिपार्टमेन्टल कार्यवाही करने के मुकदमा चलाया जाय। जब तक ऐसा नहीं होगा पुलिस की मारपीट वगैरह नहीं रुक सकती है।

मैंने शिक्षा का भी जिक्र किया और पिछड़ी जाति और हरिजनों का भी जिक्र किया। रिजल्ट खराब हो रहे हैं। पिछले साल इंटर का ५१ फीसदी था जो इस साल केवल ४१ फीसदी रह गया और हाई स्कूल का सिर्फ ३८ फीसदी ही है। बेसिक पाठशाला की दशा ऐसी है कि बैठने तक को जगह नहीं है। अगर कहीं बैठने को जगह है तो टाट-पट्टी साबित नहीं हैं, मास्टर साहब की तनख्वाह कम है। वह भी ठीक समय से नहीं मिलती। तो कैसे चल सकता है ?

कहते हैं कि हरिजनों और पिछड़ी जातियों की भलाई करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो प्रारंभिक शिक्षा पर सरकार का सबसे ज्यादा जोर होना चाहिये। मगर प्रारंभिक स्कूलों की जो दशा है उससे भगवान ही बचाये। अगर कोई चाहे कि अच्छा प्रारंभिक स्कूल बनाये जहां टाट फट्टा हो, मेज कुर्सी हो तो सरकार के ऐसे नियम हैं कि एक कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। कहेंगे कि नियम बीच में हायल होते हैं। तो हरिजन और पिछड़े हुये लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है ? जायदाद उनके पास नहीं, पढ़े-लिखे वे नहीं, दस पांच फीसदी तन्दुरुस्त

जरूर हैं, बाकी अगर खेतिहर मजदूर हैं या ३–४ एकड़ के किसान हैं, तो उनको पूरा खाने तक को नहीं मिलता, रूखे सूखे हैं, मेरे ऐसे भी नहीं हैं। उनकी भलाई के लिये सरकार क्या सोचती है? क्या यह महज फीस माफ करके हो सकता है, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह असम्भव है। यह तभी हो सकता है जब कि इन में जो तेज विद्यार्थी हों चाहे तीसरे दर्जे के अथवा दसवें दर्जे या इंटरमीडियट के हों, उनकी सारी तालीम सरकार के खर्चे पर की जाय। तभी, मान्यवर, आप देखेंगे कि इस प्रदेश में हरिजन और पिछड़ी जाति के लड़के किसी दूसरी जाति के लड़के से मुकाबला कर सकेंगे।

मुझे महज एक बात और निवेदन करनी है और वह यह है कि आज जरूरत इस बात की है कि राज कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाय और कितनी की जाय इसके लिये एक कमीशन की नियुक्ति की जाय। मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि १९४७ में जब इन की तनख्वाहों में वृद्धि की गयी थी उससे अब ५० फीसदी से अधिक कास्ट आफ लिविंग में इजाफा हो गया है। यह पांच या ढाई रुपये देकर काम नहीं चल सकता है। जरूरत इस बात की है कि इस मामले की अच्छी तौर पर जांच की जाय।

मेरा दुर्भाग्य है कि इस समय माल मंत्री जी मौजूद नहीं हैं। एक सी०एल०आर०डी० की स्कीम चली है। एक तरफ सरकार के आंकड़ों से सिद्ध है कि ७५ फीसदी गलतियां भू-अभिलेखों में हैं। दूसरी तरफ सी०एल०आर०डी० की कार्यवाही की बेसिस यह है कि जो लैंड रेकार्ड्स में दर्ज है वह सब सही है। इस प्रकार हजारों नहीं बल्कि लाखों की जमीनें छिन गयीं, जिस कागज में ७५ फीसदी गलतियां हैं, उसी कागज को सरकार सही मान कर लाखों आदमियों के उनके अधिकारों से वंचित करे, यह न्याय के बिलकुल विपरीत है। इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिये और अगर इस प्रदेश की जनता बर्दाश्त करती है तो यह उसकी कमजोरी है।

इन शब्दों के साथ जो संशोधन मैंने उपस्थित किया है, उसको स्वीकार करने की प्रार्थना सदन से करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अब एक-एक करके जो प्रस्तावकर्त्ता हैं वह अपने-अपने संशोधन केवल पेश करेंगे। उसके बाद भाषण होंगे।' माननीय उदयशंकर।

श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)—मैं जाब्ते से तो अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहता हूं। पर उसमें लिखी हुई बातों . . .

श्री उपाध्यक्ष—अगर आप पेश नहीं करना चाहते हैं तो बैठिए। बाद में आपको अवसर मिलेगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं धन्यवाद के प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं।

प्रस्ताव के अन्त में निम्न जोड़ दिया जाय—

"किन्तु सदन को खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रान्त के किसानों के विरोध करने पर भी तथा किसानों के लिये अहितकर होते हुए भी सहकारी खेती लागू करने की चर्चा की है तथा निम्नांकित बातों पर प्रकाश नहीं डाला अथवा उनकी समुचित व्यवस्था करने की बात नहीं कही—

(१) प्रदेश की सुरक्षा के समुचित उपाय तथा आन्तरिक अरक्षा की समाप्ति,

(२) खाद्यान्न तथा जीवन की आवश्यक वस्तुओं के अभाव व बढ़ते मूल्यों तथा सरकारी फिजूलखर्ची की रोक-थाम और बेरोजगारी को दूर करने के उपाय तथा लघु उद्योगों की उन्नति,

(३) शिक्षा तथा चरित्र के गिरते हुए स्तर को उठाने के उपाय,

(४) वेतन व आर्थिक विषमताओं की समाप्ति।"

श्री हरिदत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा)---मैं अपना प्रस्ताव पेश नहीं कर रहा हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय---

"किन्तु खेद है कि संबोधन में निम्नलिखित विषय पर प्रकाश नहीं डाला :

चीन की आक्रामक और विस्तारवादी नीति से उत्पन्न संकट को देखते हुए प्रदेश की जनता और सरकार की सारी शक्ति राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की भावना को प्रबल करने और जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करके उसे संतुष्ट रखने की ओर लगनी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये राज्य व्यापार योजना, शामिल सहकारी खेती आदि अत्यन्त विवाद-ग्रस्त बातों को छोड़कर पंचवर्षीय योजनाओं की जगह वार्षिक कार्यक्रमों द्वारा अन्न, वस्त्र, आवास और पीने के लिये स्वच्छ पानी की समस्याओं को हल करना चाहिए।

संदिग्ध और हानिकर समाजवादी प्रयोगों द्वारा किसानों के खेती की पैदावार बढ़ाने से निरुत्साहित करने के बजाय उनके लिये कम ब्याज पर कर्ज का सिंचाई, खाद (उर्वरक) अच्छे बीज, उन्नत औजारों, लाभप्रद सफल खेती संबंधी आविष्कारों तथा फसल के बीमे आदि का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। खेती की पैदावार और मिलों के माल की कीमतों पर तारतम्य स्थापित किया जाना चाहिए। गांवों और किसानों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टैक्सों द्वारा प्राप्त रुपया उन्हीं की भलाई में खर्च किया जाना चाहिए तथा गांवों और किसानों के साथ सौतेले व्यवहार बन्द होना चाहिये।"

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय---

"सदन को खेद है कि ---

(१) बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ते हुए मूल्यों की रोकथाम का कोई वर्णन नहीं है।

(२) प्रदेश की सुरक्षा के समुचित उपाय तथा आन्तरिक अरक्षा की समाप्ति का कोई जिक्र नहीं है।"

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं :

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :---

"किन्तु खेद है कि---

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जन-सहयोग का अभाव तथा दूसरी कमजोरियों के अनुभव के आधार पर तृतीय पंच वर्षीय आयोजना की नीतियों में क्या परिवर्तन किया जाने वाला है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के संबंध में शासन ने आगे क्या नीति निर्धारित किया है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। राज्य के पिछड़े हुए क्षेत्रों को विकसित करने के लिये सरकार भविष्य में क्या करने जा रही है, उसका संकेत तक नहीं है।

शिक्षा के गिरते हुये स्तर, परीक्षाओं में विद्यार्थियों की असफलता के बढ़ते हुए प्रतिशत और शिक्षा संस्थाओं में होने वाले गैरजनवादी हमलों को रोकने के लिये सरकार क्या करेगी इसकी चर्चा नहीं है।

जीवनोपयोगी सामग्रियों के बढ़ते हुए मूल्यों को देखते हुए राज्य के सरकारी कर्मचारियों की बहुत दिनों से मांग है कि एक "वेतन आयोग" की स्थापना की जाय, परन्तु उस संबंध में अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया।

शासन के हर अंग पर नौकरशाही के बढ़ते हुए प्रभाव, शासन की गिरती हुई क्षमता और शासन में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार एवं खर्चे को रोकने के लिये, भविष्य में सरकार कौन से कदम उठाने जा रही है।"

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---मान्यवर, प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

"किन्तु महामान्य राज्यपाल जी ने यदि दलबन्दी के दोषों को मिटाने के लिये सुझाव भी दिये होते तो भाषण और उत्तम होता।"

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि उस प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"किन्तु सदन को खेद है कि :

(१) माननीय राज्यपाल ने सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी आन्दोलन की पांच मांगों---(क) संतुलित दाम बांधना--खलिहान और बाजार के भाव में एक आना प्रति सेर से अधिक का अन्तर न हो, उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्री के लागत खर्च से डेढ़ गुना से अधिक पर जीवनोपयोगी सामग्री की बिक्री न हो, कृषि जन्य पदार्थों तथा मिलों से पैदा होने वाली सामग्री की कीमतों में संतुलन हो, (ख) भाषा नीति, अंग्रेजी का प्रयोग सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक अंग में समाप्त किया जाय, (ग) जाति नीति, पिछड़े लोगों, (हरिजन, शूद्र, मुसलमान, आदिवासी, औरतों) को जीवन के नेतृ स्थानों में कम से कम ६० फीसदी जगह दी जाय, (घ) कर नीति, अलाभकर जोत पर से लगान माफ किया जाय, (ङ) विदेशी चीनी कम्युनिस्टों के कब्जे से भारत भूमि वापस ली जाय, की चर्चा न कर महत्वपूर्ण प्रश्नों को सरकार की दृष्टि से ओझल किया है।

(२) सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित आन्दोलन में हजारों सत्याग्रहियों को जिस अवैधानिक, गैर कानूनी तथा अमर्यादित ढंग पर गिरफ्तार कर उन्हें दूर जंगल तथा निर्जन स्थानों में छोड़ा गया उसकी ओर माननीय राज्यपाल ने सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया।

(३) राज्यपाल महोदय ने केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल को जिस दमनात्मक ढंग पर कुचलने तथा गलत-गलत मुकदमों में कार्यकर्ताओं को फंसाने और हड़ताल वापस होने के बाद भी हड़ताली बन्दियों की आम रिहाई न करने की गलत तथा गैर जनतान्त्रिक नीति से प्रान्तीय सरकार ने काम लिया और ले रही है उसकी ओर तनिक भी प्रकाश नहीं डाला।

(४) राज्यपाल महोदय ने जातीयता, प्रान्तीयता तथा दल-बन्दी के जिस व्यापक रोग से सरकार ग्रस्त है, उसकी ओर ध्यान तक नहीं दिया।

(५) इलाहाबाद, मथुरा, कानपुर, मिर्जापुर में निहत्थी जनता पर सरकारी पुलिस द्वारा की गयी गोली वर्षा की अनावश्यकता पर प्रकाश नहीं डाला।

(६) कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के सत्यतः अलगाव पर इस समय भी जोर नहीं डाला।

(७) राज्यपाल महोदय ने ग्राम पंचायत राज की सुदृढ़ स्थापना कर चौखम्भा राज द्वारा शक्ति के साकार विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता पर जोर नहीं दिया।

(८) शराब बन्दी की योजना को कार्यान्वित करने के लिये सरकार को सलाह नहीं दी।

(९) सहकारी आन्दोलन की विफलता की ओर भी राज्यपाल महोदय ने अपनी सरकार का ध्यान नहीं खींचा।

[श्री देवनारायण भारतीय]

(१०) कपड़ा, चीनी उद्योगों की गिरावट पर भी सरकार का समुचित ध्यान राज्यपाल महोदय ने नहीं दिलाया।

(११) खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा धन के अपव्यय की ओर भी राज्यपाल महोदय ने सरकार का ध्यान नहीं खींचा।

(१२) पशु-धन, मत्स्यधन, वन, धन की वृद्धि के लिये भी सरकारी योजना का प्रारूप राज्यपाल महोदय ने नहीं दिया।

(१३) कानपुर में जो कपड़े की मिलें बन्द हैं सरकार ने उनको खुलवाने या रिसीवर नियुक्त करने में जो विलम्बकारी अराष्ट्रीय कदम मिल मालिकों से मिलकर अब तक उठा रखा है उसके लिये सरकार की भर्त्सना राज्यपाल महोदय ने नहीं की।

(१४) गन्ना उद्योगों के हित की जो उपेक्षा सरकार की ओर से अब तक की गयी उसके लिये भी अपनी सरकार की निन्दा राज्यपाल महोदय ने नहीं की।

(१५) भूमि वितरण की व्यवस्था, पूर्ण रूप से बेदखली रोकने की व्यवस्था लागू करने में सरकार ने जो विलम्ब किया है और उसका जो समाज हित विरोधी प्रभाव पड़ा है उसकी ओर भी राज्यपाल महोदय ने सरकार का ध्यान नहीं खींचा।

(१६) चुर्क सीमेंट फैक्टरी का समुचित हिसाब आज तक सदन में न रखने के अनौचित्य पर राज्यपाल महोदय ने सरकार की निन्दा नहीं की।

(१७) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर जिस प्रकार प्रदेश की आय गिरी है, बेकारी बढ़ी है, केन्द्र द्वारा प्रदेश की उपेक्षा हुई है उन सबकी ओर भी राज्यपाल महोदय ने सदन के सदस्यों तथा सरकार का ध्यान नहीं दिलाया।

(१८) इलाहाबाद, लखनऊ के छात्र आन्दोलनों में जिस ढंग पर प्रमुख प्रोफेसरों तथा वाइस-चान्सलरों ने दिलचस्पी दिखलाई और अनावश्यक ढंग पर अपनी स्वेच्छाचारिता तथा असामाजिक कार्यों से आन्दोलन का सूत्रपात कराया उसकी ओर भी राज्यपाल महोदय ने चुप्पी साध ली।

(१९) प्रदेश में नित्य-प्रति बढ़ने वाले भ्रष्टाचार, डाका, कत्ल, राहजनी का न तो राज्यपाल महोदय ने उल्लेख ही किया है न उनको रोकने का कोई उपाय बताया है।

(२०) राज्यपाल महोदय ने प्रदेश में बढ़ती हुई गरीबी, भुखमरी तथा बेकारी को रोकने का कोई उपाय नहीं बताया।

(२१) राज्यपाल महोदय ने प्रदेश की सरकार के उस प्रयत्न की निंदा नहीं की जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की भर्ती पर रोक लगाने का दुष्प्रयास सरकार कर रही है।"

श्री ब्रजनारायण तिवारी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन पेश करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने संबोधन में निम्न बातों पर ध्यान नहीं दिया--(१) जमींदारी विनाश के बाद भूमि पर किसानों को रेहन का अधिकार नहीं मिला और काबिज इन्तराज के कारण किसानों को अधिक क्षति हुई है और जिनके पास कुछ खेती थी वह भी निकलती जा रही है। (२) सी० एल० आर० डी० ने मनमाने तौर पर लगान निश्चित किया और कृषक वर्ग को कोई सूचना नहीं है। (३) सिंचाई का पूर्ण प्रबंध करना तो दूर रहा जहां नलकूप हैं वहां भी नालियां गलत ढंग से बनाई

गई हैं जिसके कारण कोई भी नलकूप पूर्ण सिंचाई नहीं कर पाता। (४) पूरे प्रदेश में वाटर लॉगिंग से बचाव की कोई योजनापूर्वक कदम उठाना सरकार आवश्यक नहीं समझती और न तो सरकार यह मानती है कि वाटर लॉगिंग के प्रभाव को दूर करने से उत्पादन पर बुनियादी असर पड़ेगा।"

(श्री उपाध्यक्ष ने कुंवर श्रीपालसिंह तथा अन्य कई सदस्यों के नाम पुकारे।)

श्री उपाध्यक्ष--जो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं उनका अवसर समाप्त हो गया और वह संशोधन नहीं गिने जायेंगे।

अब जो माननीय सदस्य इस विवाद में भाग लेना चाहते हैं वे अपनी इच्छा जाहिर करें।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सदन में माननीय वर्मा जी ने महामान्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन के रूप में मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूं। माननीय नेता विरोधी दल ने इस अभिभाषण को एक ऐसी उपाधि देकर अपना भाषण दिया और इस अभिभाषण को दास्तानें अमीर हमजा कह कर अपनी दास्तान शुरू की जिसकी कि मैं उन जैसे प्रकृति वाले मनुष्य से आशा नहीं करती थी। खैर, कभी-कभी ऐसी प्रकृति वाले मनुष्य के मुख से जब ऐसी बातें निकलती हैं तो इसको शुभ लक्षण माना जाता है।

उन्होंने इसके बाद जो अपनी दास्तान शुरू की वह इतनी कटुता के रूप में थी जिसकी उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती थी। उन्होंने हथियारों के वितरण के बारे में जो कहा कि वह इतनी सहज में और सरलता से हो जाना चाहिये कि व्यक्ति अपने देश की रक्षा स्वयं कर सके। मैं निहायत नम्रता के साथ उनसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह वही भारत है जिस पर कि अंग्रेजों के जमाने में भी हथियारों के देने पर इतना प्रतिबन्ध था, लेकिन उसके होते हुए भी भारत ने आजादी हासिल की। मैं सोचती हूं कि मनुष्य की शारीरिक शक्ति से ज्यादा बलवान आत्म शक्ति होती है और सशस्त्र बल से ज्यादा उनका स्वयं का बल होता है। आज के युग में सशस्त्र द्वारा जीत होना असम्भव-सी जान पड़ती है। आज बहुत से देशों में इनको हटाने की कोशिश की जा रही है और यह प्रयत्न किया जा रहा है कि इस सशस्त्र बल से जितना ही दूर रहा जा सके उतना ही अच्छा है और उससे उतनी ही मानवता की सेवा हो सकेगी। मैं इस पर यदि और कुछ कहने लगूं तो मैं अपने ही लक्ष्य को भूल कर समय खो बैठूंगी। इसलिये, जहां तक इस चीज का प्रश्न है जिसे कि यहां पर उन्होंने कहा है, उसके सबूत में मैं केवल अभी हाल की घटना का ही एक सबूत पेश करना चाहती हूं और वह यह है कि अभी विभिन्न पार्टियों द्वारा सामूहिक रूप से जो हड़ताल कराने का प्रयत्न किया गया था उसके पीछे क्या कोई हथियारों की शक्ति ऐसी लगायी गयी थी जिससे कि उसका निराकरण हो सके। वह तो केवल विचारों से ही और अपने गुड ऐक्शन्स के द्वारा ही किया गया और इसके द्वारा ही हम जनता पर एक अच्छी छाप बिठा सकते हैं।

अभिभाषण के ऊपर चर्चा करते हुए एक बात मुझे यह कहना है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है उसको देखते हुए सभी यह मानने को बाधित होंगे कि आज का हिन्दुस्तान वह हिन्दुस्तान नहीं है जो आज से कुछ वर्ष पूर्व था। आज के हिन्दुस्तान में और पहले के हिन्दुस्तान में जमीन आसमान का अन्तर है। यह नहीं कहा जा सकता कि हम लोगों ने तरक्की नहीं की है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि हम लोगों का जीवन स्तर (स्टैंडर्ड आफ लिविंग) ऊंचा नहीं हुआ है। यह सब हुआ है और यह भी सही है कि इस प्रकार अगर विरोधी दलों की तरफ से आलोचनायें न हों तो हमारी सरकार जागरूक न हो। लेकिन वह इतनी आलोचना करते समय इन बातों पर पूर्णतया एक पटाक्षेप कर देते हैं और ऐसी भावनाओं से वह देश के लिये कोई अच्छी विचार शक्ति नहीं देते।

[श्रीमती चन्द्रावती]

मैं यहां पर थोड़ा सा दिग्दर्शन यह कराऊं कि आज देहात में जहां पर ८० फीसदी जनता रहती है, यह सही है कि वहां शहर के मुकाबले में तरक्की बहुत कम हुई है, लेकिन यह कहने के लिये जगह नहीं है कि वहां की जनता में कोई भावना जगी नहीं है या उनका जीवन स्तर ऊंचा नहीं हुआ है, यह सर्वथा अन्याय संगत बात होगी। आज जैसा कि व्यक्त किया जा रहा है कि हर एक चीज के दाम बढ़ गये हैं, अभी माननीय वर्मा जी ने उसके समर्थन में एक लेख भी पढ़ा और कुछ बैंक की रिपोर्ट को भी जाहिर किया। यह सही है कि आज की जनता बहुत ही महंगी चीज खरीद रही है, लेकिन यह भी सही है कि क्रय शक्ति उसके पास है और खरीदने की शक्ति भी रखती है। अगर यह शक्ति मौजूद है तो वह भी बनाकर उसके हाथ में दी गयी है जिससे साफ जाहिर है कि महंगी लेकर खरीद सकती है तभी जब कि उसके पास आय होती है।

यहां पर दो तीन चीजों का जिक्र भाषण में आया। एक कृषि उत्पादन का जिक्र आया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में दो बातों का विशेष रूप से ध्यान दिया जायगा—एक कृषि उत्पादन के लिये, दूसरा औद्योगीकरण के लिये। यह सही है कि हम लोग बाहर से बहुत सा अन्न अपने पेट की क्षुधा का निवारण करने के लिये मंगाते हैं और जब तक हम उस अन्न उत्पादन की समस्या को हल नहीं कर पायेंगे तब तक हमें किसी और चीज में जाने से कोई फायदा नहीं होगा।

दूसरा कदम पैसा कमाने के लिये औद्योगीकरण का आता है। इसमें एक चीज का यह भी विवरण दिया गया कि जब कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायगा, साथ ही यह भी दर्शाया गया कि बिजली उत्पादन पर अधिक जोर दिया जायगा। बिजली उत्पादन से गांव की जनता को भी सुविधा दी जा सकती है और काटेज इंडस्ट्री में भी एक यूनिट वाइज ग्राम स्तर पर अगर उनको प्रोत्साहन मिले तो उससे ज्यादा आमदनी से लोगों का स्तर ऊंचा उठ सकता है। इसके साथ ही साथ यह भी बताया कि एक नया बिजली पैदा करने का कारखाना संगरौली में, मिर्जापुर से दक्षिण में एक थर्मल स्टेशन बनाकर बिजली बढ़ाने के लिये खोला जायगा। कानपुर 'केसा' बिजली घर में लगभग एक लाख किलोवाट बिजली पैदा की गयी, उसमें एक लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार मिला। यह जो नया स्टेशन है इसमें साढ़े चार लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। तो मैं समझती हूं कि इसमें बहुत से मजदूर भाइयों को रोजगार मिलने की संभावना है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि और इसमें आ सकती हैं। इरिगेशन है, बिजली है, सिंचाई के काम में भी वितरण किया जायगा। बिजली का जितना भी उत्पादन किया जाय, मैं सोचती हूं, आज की जनता में उतना ही थोड़ा है। साथ ही उसमें अन्न का उत्पादन भी बढ़ सकेगा।

दूसरे उन्होंने एक और जिक्र किया है कि अब तृतीय योजना ग्राम स्तर से आयेगी। मैं सोचती हूं कि यह चीज प्रथम पंचवर्षीय योजना से आनी चाहिये थी जो कि आज तृतीय पंचवर्षीय योजना में आ रही है। यह सही है कि ग्राम के रहने वालों का जो दुख सुख है उसका सही नकशा वही पेश कर सकते हैं। इसके अलावा खंड विकासों के समन्वय और विकेन्द्रीकरण के लिये नया कदम उठाया जायगा। उसमें पूरी तरह से यह इजाजत दे दी गयी है कि वह नीचे से एक टीम बनाकर के ऊपर की राज्य की योजना का वह एक अंग माना जाय और जो कार्य होंगे उसी के द्वारा हर जिले में किये जायेंगे। इससे मैं सोचती हूं कि हर एक समस्या के हल को प्रोत्साहन मिलेगा। सड़कों के निर्माण का प्रश्न भी इसमें आ सकता है, शिक्षा का भी आ सकता है, कृषि उत्पादन का भी आ सकता है, छोटे-छोटे उद्योग-धंधों का भी आ सकता है। जनस्वास्थ्य के संबंध में भी मैं ऐसा नहीं सोचती हूं कि वह वंचित रह जायगा।

इसके साथ ही राज्यपाल जी ने एक नयी योजना का भी जिक्र किया है जोकि आज देश में टीका-टिप्पणी का एक कारण बन गया है। सहकारिता के नाम पर लोगों के मन में ऐसी भावनायें उत्पन्न कर दी जाती हैं कि यह एक बड़ा भारी दुष्कर्म हो रहा है। आज एक किसान कुछ सुविधायें प्राप्त करके सहकारिता के द्वारा अपने उद्योग-धंधों को उठा सकता है।

इससे लाभ होने के सिवाय हानि की कोई संभावना नहीं है । इतना सब होने पर भी अगर काम का वह लाभ न हो जो हम चाहते हैं तो इसके लिये क्या कहा जाय।

अभिभाषण में भूमि-व्यवस्था के लिये भी जिक्र किया गया है। उसके लिये पहले जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आया था। अब शीघ्र ही सीलिंग ऐक्ट आने वाला है जिससे जो शिकायतें होती थीं वह अब दूर हो जावेंगी ।

तो इस प्रकार की बातें जो कही गयी हैं न कह कर अच्छे सुझाव देकर सदन का समय नष्ट होने से बचाया जा सकता था, यह मैं सोचती हूं ।

श्री देवनारायण भारतीय—श्रीमन्, देखें उधर एक सज्जन सो रहे हैं। मैं समझता हूं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह की परम्परा कुछ अच्छी नहीं है खासकर के सरकारी पक्ष के लिये तो और भी ।

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन इसके यह मानी नहीं हैं कि विरोधी दल के लोगों को सोने की इजाजत हो सकती है। मेरे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्पष्टतः विधान सभा का स्थान सोने के लिये नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—मान्यवर, हमारे प्रदेश में अब यह परम्परा पड़ गई है कि राज्यपाल महोदय सरकारी नीतियों की ही घोषणा नहीं करते बल्कि सरकार जिन नीतियों को कार्यान्वित करना शुरू कर देती है, उनकी कार्यप्रणाली की राज्यपाल महोदय घोषणा करते हैं। राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उससे पूर्ण रूप से यह बात प्रतिबिंबित होती है।

फैजाबाद जिले के माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका भले ही मैं समर्थन न करूं लेकिन मैं राज्यपाल महोदय की इस बात के लिये अवश्य धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों की स्मृति को फिर से ताजा कर दिया है। पिछले ५–६ महीनों से हम लोग जिन बातों को, जिन रिपोर्टों को पढ़ कर भूल से रहे थे उनको फिर अपने भाषण में उन्होंने दोहरा कर हमें स्मरण करा दिया है, इसके लिये मैं उन्हें अवश्य धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हमारे प्रदेश की औसत आमदनी दिन प्रति दिन गिरती जा रही है, यह बात सरकारी आंकड़ों से भी अच्छी तरह से प्रकट होती है। सन् १९५६–५७ में पर कैपिटा औसत आमदनी २५६.८ थी, १९५७–५८ में २४६.८, १९५८–५९ में २५९ और १९५९–६० में इससे कम है। इसके अलावा महंगाई दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अभी हाल में लोक सभा के सदस्यों के सामने इस बात को स्वीकार किया है, जैसा कि समाचार पत्रों में छपा कि हमारे प्रदेश की आमदनी दिन प्रति दिन गिरती जा रही है और दूसरी तरफ महंगाई दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। आज जिस प्रकार से कास्ट आफ लिविंग बढ़ता जा रहा है उससे निम्न श्रेणी और मध्यम श्रेणी तो बिल्कुल ही नष्ट हो गये ह और अब दूसरे लोग भी उसकी चपेट में आते जा रहे हैं। तो एक तरफ हमारी आमदनी दिन प्रति दिन घटती जा रही है और दूसरी तरफ महंगाई दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है, इन दोनों बातों को दूर करने के लिये अगर कोई प्रयत्न न किया गया तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जायगी। जिससे ऐसे भयावह परिणाम निकलेंगे जिससे हमारे प्रदेश को बड़ी क्षति उठानी पड़ेगी।

आज लोगों का जीवन स्तर ही नहीं गिर रहा है, रहन-सहन का ही स्तर नहीं गिर रहा है, बल्कि उनका नैतिक स्तर भी गिर रहा है। आज चोरियां, डकैतियां तथा बटमारियां बढ़ रही हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और समाज में अराजकता फैल रही है जिसके रोक थाम के लिये कोई समुचित व्यवस्था और उपाय नहीं किये जा रहे हैं। मैं अपने जिले की एक मिसाल देना चाहता हूं जहां पर पिछले १८ महीनों से हर तीसरे महीने किसी न किसी स्थान पर चार-पांच

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

कत्ल एक ही साथ, एक ही स्थान, एक ही समय में होते हैं लेकिन अब तक उनके रोक-थाम की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है। सिर्फ उन्नाव जिले की ही यह हालत नहीं है वरन् सारे प्रदेश में इसी तरह की स्थिति पैदा है और उसको रोकने के लिये कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह जो लक्षण आज समाज में दिन प्रति दिन फैलते चले जा रहे हैं उनको दूर करने का प्रयत्न होना चाहिये। इनके दूर करने के प्रयत्नों का कोई न कोई संकेत राज्यपाल महोदय को अपने भाषण में करना चाहिये था लेकिन खेद है कि हम सब को उससे निराशा हुई।

मान्यवर, सारे अभिभाषण में विकास की और नियोजन काल की काफी दुहाई दी गई है। यह सही है कि हम इस समय नियोजन काल से गुजर रहे हैं। हमारे प्रदेश में विकास के कार्यों का बड़ा जोर है, लेकिन इस सरकार की इस सम्बन्ध की कारगुजारियों पर भी ध्यान देना बड़ा आवश्यक है। हम हिन्दुस्तान में नान-डेवलपमेंट एक्स्पेन्डीचर करने में सबसे ऊंचे हैं और डेवलपमेंट एक्स्पेंडीचर करने में सबसे नीचे हैं जैसा कि इन आंकड़ों से सिद्ध होता है :—

प्रदेश	डेवलपमेंट एक्स्पेन्डीचर (करोड़ रु० में)	नान-डेवलपमेंट एक्स्पेंडीचर (करोड़ रु० में)
केरल	२१.६९	११.९९
मैसूर	३८.२४	२१.८१
मद्रास	५०.५६	३०.३९
राजस्थान	२५.८७	१८.७९
बिहार	३८.९७	३९.६४
उत्तर प्रदेश	६२.५७	५८.४६

पिछले ३-४ वर्षों में हमारे प्रदेश में इन दोनों के खर्चों में कोई भेद नहीं रहा है। डेवलपमेंट में हम कम खर्च कर रहे हैं और साथ ही दुहाई देते हैं कि हम प्रदेश का विकास करना चाहते हैं।

मान्यवर, औद्योगीकरण की बड़ी चर्चा की गई। इस बात की पिछले दो-तीन वर्षों से बड़ी चर्चा की जाती है कि हम फलां-फलां जगह पर कारखाना खोलना चाहते हैं। लेकिन इस इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिये केवल १.२५ करोड़ रुपया रक्खा गया है। इसमें कैसे इस प्रदेश का औद्योगीकरण हो सकता है? इस कमी को दूर करने के लिये इस अभिभाषण में संकेत तक नहीं किया गया है।

श्रीमन्, इस अभिभाषण में केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल की चर्चा की गई है। मैं नहीं चाहता था कि इस संदर्भ में जाऊं क्योंकि इस आदरणीय सदन का वह क्षेत्र नहीं है लेकिन चूंकि उसकी चर्चा की गई है इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो चाहे राज्य कर्मचारी हों, चाहे केन्द्र के हों, चाहे मिल का मजदूर हो, सभी महंगाई की पूर्ति की मांग करेंगे। किन्तु खेद है कि सरकार उन लोगों के साथ दमन के साथ पेश आ रही है। आज हड़ताल खत्म हो गई है। केन्द्रीय सरकार ने कुछ अधिकार राज्य सरकार को दिये हैं कि वह जैसे चाहे वैसी व्यवस्था

करे। मुझे आशा थी कि राज्यपाल इस सम्बन्ध में कुछ संकेत करेंगे कि जिन कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया है उनके साथ यह सरकार कैसा व्यवहार करेगी। लेकिन कोई संकेत नहीं किया गया। मैं उनकी सरकार से यह आशा करता हूं कि कर्मचारियों के साथ उदारता का व्यवहार होना चाहिये और जो लोग जेलों में बन्द हैं उनको निजी जमानत पर छोड़ने की सरकार की तरफ से आज्ञा होनी चाहिये।

इस अभिभाषण में कहा गया है कि सेन्ट्रल वेज बोर्ड के फैसले सहारनपुर, कानपुर और मोदीनगर में लागू कर दिये गये हैं लेकिन उनको पूर्ण रूप से, जैसा कि तय हुआ था, लागू नहीं किया गया। उस कान्फ्रेन्स में क्लर्कों को अलग नहीं किया गया था। उसमें यह नहीं था कि उसके फैसले मजदूरों पर ही लागू किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में कानपुर के तमाम यूनियनों के नेताओं के वक्तव्य भी प्रकाशित हो गये हैं। उनमें इस प्रदेश के श्रम मंत्री या मुख्य मंत्री जो भी कहिये, से मांग की गई है कि वह अपना निर्णय क्लर्कों पर भी लागू करें क्योंकि वही निर्णायक नियुक्त हुए हैं और आशा है कि वह क्लर्कों के वेतन में भी वृद्धि की सूचना शीघ्र ही करेंगे।

इस सरकार की एक प्रथा है और मैं आशा करता था कि माननीय राज्यपाल महोदय उसको तोड़ने में सहायक होंगे। यह सरकार हर वर्ष कुछ न कुछ वायदे करती है जो कभी पूरे नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने गत् वर्ष यह आश्वासन दिया था कि इंटरमीडियेट ग्रेट के अध्यापकों का वेतन १५० रु० से १७५ ० कर देंगे। आज १ साल हो गया परन्तु उन्होंने अभी तक सरकार का हिस्सा अदा नहीं किया है। इस तरह के वायदे या तो करने नहीं चाहिये और अगर किये जायें तो उनको पूरा करने का इन्तजाम होना चाहिये।

अभी माननीय नेता विरोधी दल ने सी० एल० आर० डी० स्कीम का कुछ जिक्र किया। माल मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं लेकिन अगर मेरी बात आपके द्वारा उन तक पहुंच जावे तो बड़ी कृपा होगी। इस स्कीम ने किसानों को तबाह कर रक्खा है। पहले बागात पर किसी तरह का लगान नहीं लगता था लेकिन अब यह नई योजना चलाई गई है जसके अनुसार बागों पर भी लगान पड़ेगा और पिछल ७ वर्षों से पड़गा। शिकिमियों को असमी कर दिया गया और उनका लगान दुगुना कर दिया गया लेकिन असली मालिकों को नोटिस तक नहीं दी गई कि तुम्हारी मिल्कियत बदल रही है, या जिनका लगान बढ़ाया गया उनको बतलाया भी नहीं गया। जो सन् ५५ के शिकमी थे और जांच-पड़ताल के बाद गलत मालिक बनाये गये, उनको खारिज कर के असली मालिकों को फिर से दर्ज किया गया। अब सी० एल० आर० डी० की योजना के मुताबिक उनसे फिर से लगान वसूल किया जा रहा है। इसमें अगर किसी की जमीन पर बेटा का कब्जा है तो उसके बाप का नाम शिकमी में दर्ज कर दिया गया और बाप से भी ७ सालों का लगान वसूल किया जा रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि जब मिल्कियत बदल रही है या लगान बढ़ाया जा रहा है, तो सरकार का फर्ज है कि वह पहले नोटिस दे। बगैर नोटिस दिये मिल्कियत नहीं बदलनी चाहिये और न लगान बढ़ना चाहिये। जब सरकार के पास भी चीं पुकार मची—मंत्री जी के पास में भी गया तमाम नेताओं और कार्यकर्त्ताओं ने उनसे कहा कि आपकी यह कार्यवाही गलत हो रही है, तो सरकार की तरफ स एक फरमान निकाला गया है कि जो लोग उजुरदारी करेंगे उनकी वसूली मुल्तवी कर दी जायगी। माल मंत्री जी इस समय यहां नहीं हैं। यह माल के अच्छे वकील भी रहे हैं। वे जानते हैं कि माल की अदालतों में कितनी घूसखोरी है। तो कैसे किसान को राहत मिल सकती है? इसलिये इस योजना को रद्द करना चाहिये।

इस अभिभाषण में खाद्य पूर्ति की बड़ी प्रशंसा की गई है लेकिन आज प्रदेश में जहां पाव भर गेहूं दिया जाता है वहां भी एक नई व्यवस्था लागू की गई है। वहां पर क्या हुआ है, हर आदमी को आधा गेहूं और आधा सड़ा हुआ आटा लेना होता है। अगर वह आटा नहीं लेता है तो उसको गेहूं भी नहीं मिलता। अगर आटा चाहिये तो उसको १०–१५ रुपये का और मिल सकता है। मैं समझता हूं कि कानपुर, लखनऊ और दूसरी जगहों पर जो मिलें हैं उनके

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

मालिकों को संतुष्ट करने के लिये, पैसा पैदा करने के लिये, यह योजना चलाई जा रही है। जब नागरिक उस आटे को लेना नहीं चाहते हैं तो क्यों उनको गेहूं नहीं दिया जाता है। मैं इन शब्दों के साथ माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, एक संसदीय परम्परा पड़ गयी है कि हम राज्यपाल महोदय के संबोधन के बाद एक दल के लोग कृतज्ञता के प्रस्ताव का समर्थन करके सरकार की नीतियों पर प्रकाश डालते हैं और दूसरे दल के लोग उसमें संशोधन उपस्थित करके कदाचित यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि बताये कौन सी कमी उनकी राय में सरकार की नीतियों में रहती है और जिनके पूरा हुए बिना इस प्रदेश की वह उन्नति नहीं हो सकती, जिसकी कि वे स्वयं कल्पना करते हैं। लेकिन मान्यवर, उसी संसदीय परम्परा का कदाचित उल्लंघन न होता यदि विरोधीदल के माननीय नेता एवं दूसरे सज्जनों ने उन नीतियों का, जिनका इस संबोधन में स्पष्ट संकेत है, कहीं समर्थन भी किया होता। अभी जो भाषण हुआ, मान्यवर,उसको सुनकर ऐसा लगता है कि कदाचित् इस तरफ के लोगों द्वारा बनायी हुई सरकार ने जितने भी कार्य किये उनमें कहीं समर्थन की गुंजायश ही नहीं है। मान्यवर, मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय नेता सदन एवं दूसरे विरोधीदल के महानुभाव कम से कम एक बात के लिये महामान्य राज्यपाल एवं सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे ही कि उन्होंने निम्न वर्ग के कर्मचारियों की चिरकाल से विचाराधीन मांग स्वीकार की और उस स्वीकृति की घोषणा इस संशोधन में हुई।

मान्यवर, मेरा व्यक्तिगत विचार तो यह है कि हमारे निम्न वर्ग के कर्मचारी अभी भी जो वेतन पा रहे हैं वह बहुत कम हैं और उनकी निम्नतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, कल जो वृद्धि की घोषणा सरकार की ओर से हुई है, वह भी बहुत कम है। अच्छा दिन तो वह तब होगा जबकि हमारे प्रदेश में किसी निम्नतम स्तर के कर्मचारी का वेतन १०० रुपया से कम न होगा। मैं समझता हूं सभी लोग, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के, इस लक्ष्य को स्वीकार करते हैं। लेकिन मान्यवर, राज्य की एक सीमा होती है, उसके साधन सीमित होते हैं। अगर केवल इच्छा से सब काम होता तो मेरा विश्वास है किसी को कोई आपत्ति न होती। जो इधर के बैठने वाले लोग हैं उनके हृदय में भी मानवता है। मैं नहीं समझ सका कि एक ऐसी वृद्धि जिसके कारण पब्लिक एक्सचेकर पर साढ़े चार करोड़ रुपये वार्षिक का भार पड़ता है, उससे ज्यादा और इस समय क्या करना संभव हो सकता था। जिस सरकार का कुल बजट १०० करोड़ रुपये का हो वह सरकार अगर ५ करोड़ रुपये सालाना की वृद्धि करती है तो मैं कहूंगा कि यह बहुत ही अच्छा कदम है और उसके लिये सरकार और राज्यपाल महोदय बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, अभी इसका भी जिक्र हुआ कि हमारे यहां महंगाई बढ़ती जा रही है। वास्तव में यह ठीक है कि अगर आमदनी की वृद्धि के कुछ माने हैं तो वह मूल्यों को सामने रखते हुए ही हो सकते हैं। अगर हम इस दृष्टि से देखें कि पिछले वर्ष के आरम्भ में चीजों के भाव क्या थे और आज क्या है तो मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता से माननीय नेता विरोधी दल की सेवा में यह निवेदन करूंगा कि वे घटे हैं, बढ़े नहीं हैं इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हमारे यहां जो सस्ते गल्ले की दूकानें हैं, इन पर आज बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है। आज से एक साल पहले इन दूकानों पर ऐसी चीज जो वहां पर उनको सस्ते दामों पर मिलती थी, बाजार के भाव से, कितनी भीड़ होती थी और आज कितनी भीड़ होती है। अगर आंकड़े छोड़ दें, यह प्रत्यक्ष द्योतक है, और प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करता है कि वहां पर जो चीजें बाजार भाव से और जिस भाव से सरकार उस आपत्ति काल में भी उनको संरक्षण के लिये गल्ला देती थी उनका अन्तर कम हुआ, यह इस बात को सिद्ध करता है। लेकिन फिर भी मैं इस बात से सर्वथा सहमत हूं कि हमारी कोशिश केवल यह होनी चाहिये कि प्राइसेस किसी तरह से चीजों की बढ़ने न पावें। मान्यवर, मैं तो यहां

तक कहने के लिये तैयार हूं कि यदि हम अपने प्रदेश की उन्नति चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि इधर के बठने वाले और उधर के बैठने वाले, सब एक मन और एक चित्त से एक लक्ष्य को सामने रख कर ऐसा यत्न करें कि प्राइस किसी तरह से भी न बढ़ सके और जिससे यह वेतन वृद्धि जो आप करते ह उसका मूल्य ही निरर्थक हो जाय।

मैं तो यह निवेदन करूंगा कि जैसे पुलिस कमीशन तथा और अन्य प्रकार के कमीशन हमारे यहां स्थापित हैं उसी तरह से एक परमानेंट हाई पावर प्राइस कमीशन यहां स्थापित किया जाय जो मुस्तकिल रूप में काम करे और जिसका केवल एक लक्ष्य हो, जो चारों तरफ यह देखे कि प्राइस न बढ़ने पावे। मैं यह निवेदन करूं कि प्राइस बढ़ाने की एक प्रवृत्ति कुछ लोगों की होती है। जिन लोगों को प्राइस बढ़ाना होता है वे ऐसी प्रवृत्ति पैदा करते हैं। वे आंकड़ों के जाल सामने रखते जाते हैं। अगर कोई ऐसी परमानेन्ट बाडी न हो तो यह प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती जाती है जिसको यदि कहीं न कहीं न रोका जाय तो वह व्यवस्था बिगड़ती जाती है।

अभी शुगर प्राइस का जिक्र किया गया। मैं इस बात से सहमत हूं कि शुगर का जितना उत्पादन हुआ वह सराहनीय है लेकिन जितनी वृद्धि हुई है उसके अनुपात में हम उसकी प्राइस कम नहीं कर पाये। यद्यपि यह निश्चित है कि जो प्राइस चल रही थी उससे वह नीचे आयी। मैं इस माननीय सदन को एक बात बतलाना चाहता हूं, मैं नहीं कह सकता कि सदन को इसकी कोई जानकारी है या मैं कोई सिक्रेट कह रहा हूं और वह बात यह है कि आज शुगर व्यवसायियों का सारे देश के अन्दर एक सिक्रेट प्रयत्न चल रहा है कि आज जो कंट्रोल की व्यवस्था कायम है उसको एक दम तोड़ा जाय। मैंने अपनी आंखों से देखा कि छपे हुए टेलिग्राम, छपे हुए लेटर्स और रेज्योल्यूशन्स सारे देश के कोने-कोने में भेजे जा रहे हैं। शुगर डीलर्स की तरफ से, या जनता द्वारा कंज्यूमर्स की ओर से जगह जगह जो मर्चेन्ट्स एसोसिएशन की तरफ से एजेंट के रूप में कायम हैं उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि शुगर का डिकंट्रोल किया जाय। मैं स्वयं कंट्रोल किसी चीज का नहीं चाहता। मैं स्वयं इस बात में विश्वास करता हूं कि जहां तक सम्भव हो सके डिकंट्रोल किया जाय, लेकिन मैं इस चीज को समझ नहीं पाया कि जब शुगर का प्रोडक्शन काल समाप्त हो चुका है, शुगर का दूसरे प्रोडक्शन काल में कई महीने बाकी हैं उस वक्त उस वर्ग से एक देशव्यापी प्रयत्न है कि डिकंट्रोल किया जाय।

एक बात तो स्पष्ट ही है कि उनके अन्दर कंज्यूमर्स के लिये, उपभोक्ताओं के लिये कोई प्रेम नहीं जाग्रत हुआ है जिसकी वजह से वे इस तरह के देशव्यापी आन्दोलन कर रहे हों। उनका प्रयत्न केवल एक ही है कि जो प्राइस का स्तर नीचे गिर गया है वह फिर प्राइस स्तर ऊंचा हो जाय। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति की वजह से शुगर इंडस्ट्रीज को पिछले १५ वर्षों की तुलना में इस साल ज्यादा लाभ हुआ। शतप्रतिशत लाभ एक साल में शुगर उद्योग वालों को हुआ, एक एक मिल ने १०–२०–२५ लाख रुपया पैदा किया, यह हमारी सामूहिक नीति का परिणाम है। मैं चाहूंगा कि कीमतों को स्थायी रखने का अधिक प्रयत्न किया जाय।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में दूसरी बात सर्विस कोआपरेटिव्ज के बारे में है जिसका विशेष रूप में उन्होंने जिक्र किया है। यह स्वाभाविक था, क्योंकि हमारे भावी ढांचे का वह आधार है और हमारे लिये बड़े गर्व की बात है कि इस प्रदेश में सारे देश से अधिक सर्विस कोआपरेटिव्ज की थोड़े समय में ही स्थापित हो चुकी हैं। जहां हम इस पर सन्तोष और गर्व करते हैं वहां मैं थोड़े में बड़ी नम्रता से कहूंगा कि इस दिशा में हमें अभी कुछ सोचने की आवश्यकता है। आज एक चेतावनी हमारे सामने है कि हमारा कोआपरेटिव का पुराना ढांचा इतना जर्जर था, इतना टूटा फूटा था कि अगर हमने उसी पर, उन्हीं बुनियादों पर अपने नवभारत का निर्माण किया, नई आर्थिक व्यवस्था को पुराने कोआपरेटिव ढांचे पर खड़ा किया तो कहीं ऐसा न हो कि वह सारा प्रासाद ही आप ही आप गिर जाय। मैं चाहता हूं कि सरकार इससे जागरूक रहे और यह जो नया कोआपरेटिव आन्दोलन हमारी आर्थिक व्यवस्था का आधार है उस को इस तरह से बनाया जाय कि उसको उन दोषों से मुक्त किया जाय जो दोष इस मूवमेंट को पूरा लाभ उठाने से रोकते रहे हैं। मेरा विचार है कि कोआपरेटिव सोसाइटियों में काफी कृत्रिमता

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

रही है, अभी वास्तविक स्प्रिट हम उनमें नहीं भर पाये हैं। मैं चाहूंगा और मेरा विश्वास है कि सरकार इस तरफ पूरे तौर से जागरूक है कि जो नई सर्विस कोआपरेटिव्ज या दूसरे प्रकार की सोसाइटीज बनें वह एक नई व्यवस्था की मजबूत आधारशिला हों। उन में रेडटेपिज्म या आफिशियालिज्म न हो यानी आफिशियल्स का उनमें आधिपत्य न हो जिसके कारण वे अपनी प्रगति में अभी तक वंचित रही हैं।

थोड़े समय में सारी बातों पर प्रकाश डालना सम्भव नहीं है इसलिये मैं केवल दो एक बातों की तरफ ही संकेत करूंगा। अभी माननीय नेता विरोधी दल ने कुछ प्राइस इन्डेक्स के विषय में कहा और कर्मचारियों के वेतन का हवाला दिया। उन का कहना था कि अविलम्ब पे-कमीशन बनने की आवश्यकता है। ठीक है, वह बने लेकिन आज सब से बड़ी बात यह है कि हमारे सूबे की जो टोटल आय है उसके लिहाज से हमारे कर्मचारियों का वेतन जो है उसकी तुलना हमें करनी होगी। यह ठीक है कि दस साल में ५० प्रतिशत प्राइस इन्डेक्स बढ़ गया। मैं इसको मानता हूं और नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस विषय में हमें दूसरे देशों के इन्डेक्स की तरफ भी देखना होगा कि क्या इसी कालावधि में दूसरे देशों का इन्डेक्स भी इतना या इससे अधिक नहीं बढ़ा है? अगर वह बढ़ा है तो इसके माने यह है कि आज सारे संसार में ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके फलस्वरूप उसका बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिये बढ़ते हुये प्राइस इंडेक्स के होते हुये हमें उन परिस्थितियों का मुकाबला करना होगा जैसे भी सम्भव हो।

अभी माननीय नेता विरोधी दल ने आखिर में एक बात बड़े गर्व से कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने नई नई बातों को नये नामों से सम्बोधित किया है, बिल्लियों की चाल का जिक्र किया, घोड़ा चाल का जिक्र किया. . . . . .

श्री त्रिलोकी सिंह--लिल्ली घोड़ी होती है, उसका जिक्र किया था।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--मैं बड़ा आभारी हूँ माननीय नेता विरोधी दल का क्योंकि इस सदन के अधिकांश सदस्यों को कदाचित् उस चाल से परिचय न होगा। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे ऊपर एक अयोग्य सरकार लदी हुई है। नेता विरोधी दल की माडेस्टी मशहूर है, उन्होंने स्वयं कहा कि उनकी अयोग्यता इसका कारण है क्यों कि वे जनता में चेतना पैदा नहीं कर सके हैं। मैं जानता हूं वह बड़े योग्य हैं, लेकिन अपनी योग्यता के बावजूद भी वह यदि उस चेतना को पैदा करने में असमर्थ रहे हैं तो समझना पड़ेगा कि वास्तव में वह बात जिसका वह प्रतिपादन कर रहे हैं, गलत है और उसके समझने में कहीं गलती हो रही है। फिर भी अगर और किसी सबूत की जरूरत हो तो ५, ६ उप-चुनाव जो हुये हैं वे डेमोंस्ट्रेटिव सबूत हैं। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

*श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)---मैं संशोधन पेश करते हुये, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले माननीय राज्यपाल जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि वह पहले राज्यपाल हैं जिन्होंने हमारी इच्छाओं का ख्याल करके देश की भाषा, राष्ट्रीय भाषा में अपना भाषण दिया। यह जरूर है कि उनकी तरफ हमारी थोड़ी-सी सहानुभूति भी थी क्योंकि जो बात वह कह रहे थे वह १ या २ पृष्ठ में कहलायी जा सकती थी। लेकिन सरकार शायद उनकी परीक्षा लेना चाहती थी इसी कारण ३० पृष्ठ का भाषण उनको दिया गया ताकि साबित हो सके कि दूसरे प्रान्त से आते हुये भी वह हिन्दी अच्छी जानते हैं। यही उद्देश्य हम समझते हैं कि रहा होगा अन्यथा १, २ पेज में सारी बातें कह सकते थे।

अब मैं दूसरी तरफ आता हूं। हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि जिस राज्य की कल्पना सरकार कर रही है, वह राम राज्य हो, या कल्याणकारी राज्य हो, लेकिन इतना स्पष्ट है कि कल्याणकारी राज्य की बुनियाद पड़ेगी जिसकी एक पूर्ति उन्होंने समझी है, मछली के उत्पादन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से होगी और दूसरी पूर्ति शराब की भट्ठियों और दूकानों के खोलने से। वह कब आयेगी और कैसे आयेगी इसका राज्यपाल के भाषण में जिक्र नहीं है। लेकिन हम अन्दाजा करते हैं ह सरकार उस राज्य की कल्पना करती है तो वह जल्दी ही आ जायगा।

अब मैं उन बातों का जिक्र करना चाहता हूं जिनका जिक्र स्वयं राज्यपाल ने किया। एक तो अन्न उत्पादन का--देश में अन्न कैसे बढ़ाया जाय इस पर काफी समय राज्यपाल ने लिया। एक चीज मेरी समझ में नहीं आती कि इतने व्याख्यान भी दिये जाते हैं, क्या किसान इतना भोला-भाला है कि वह स्वयं अन्न का उत्पादन नहीं कर सकता। अगर सरकार के कहने पर, इतने साधनों के देने पर भी किसान ज्यादा अन्न पैदा नहीं कर रहा है तो मैं कहूंगा कि सरकार को अपनी नीति की तरफ ध्यान देना चाहिये। किसान को बारबार कहने पर, सरकार द्वारा इतने साधन दिये जाने पर, कि तुम ज्यादा अन्न उपजाओ, फिर भी अगर ज्यादा अन्न पैदा न हो तो कमी किसान में नहीं मालूम होती बल्कि कहीं दूसरी जगह है जिसका ध्यान सरकार को नहीं है।

सोशलिस्ट पार्टी ने जो सत्याग्रह आन्दोलन चलाया है उसकी पहली मांग अगर उन्होंने देखी होती तो पता चल जाता कि वास्तविक बात क्या है। वास्तविक बात यह है कि किसान जो अन्न पैदा करता है उसका फल उसको नहीं मिल रहा है। उससे बार-बार कहना कि ज्यादा अन्न पैदा करो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, उसका ज्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। किसान जब अन्न पैदा करता है तो १५,१६ रुपये मन के भाव से बेचता है और जब उसके घर नहीं रह जाता तो उसे जरूरत पड़ने पर २५, ३० रुपये प्रतिमन देने पड़ते हैं। यह जो १०, १५ रुपये मन की लूट है इसे बन्द कीजिये तभी किसान ज्यादा अन्न पैदा कर सकेगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और आप के कहने में किसान ज्यादा अन्न उत्पादन करने के लिये तैयार नहीं हो जायगा। पहले आप दाम निर्धारित कीजिये ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा किसान को मिल सके तभी किसान अधिक अन्न उत्पादन कर सकेगा। दाम नीति तय करना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। स्टेट ट्रेडिंग आप कर ही रहे थे। आपने लिखा है कि आपको उसमें बड़ी सफलता भी मिली। लेकिन जो मौलिक बात है उस पर आपने ध्यान नहीं दिया और तब तक यह कहना कि देश में अन्न की समस्या हल हो जायगी कोई उचित बात नहीं मालूम होती।

दूसरे सब से मौलिक समस्या है कि देश को कैसे बनाया जाय। मानी हुई बात है कि जितने आदमी इस देश में रहते हैं, जैसे इस प्रान्त में ६ करोड़ लोग रहते हैं वे सब के सब इस देश को बनाने को तैयार नहीं हो जाते तब तक देश बन नहीं सकता। कुछ आदमियों से या सरकार द्वारा प्रोत्साहित कुछ आदमियों से देश नहीं बनाया जा सकता। देश तभी बनेगा जब इस प्रान्त के ६ करोड़ आदमी तैयार हो जायं कि उनको देश को बनाना है। इसके लिये दो मौलिक समस्यायें उत्पन्न होती हैं। एक तो जो तैयार नहीं हैं वे कैसे तैयार किये जायं और जो काम करना चाहते हैं उनको कैसे काम दिया जाय ताकि वह बेकार न रह सकें। इन दोनों मौलिक समस्याओं का सरकार ने कोई समाधान नहीं सोचा।

अभिभाषण में हमने यह पढ़ा है कि प्लानिंग नीचे से शुरू होगी यानी गांव से शुरू होगी तो उनके अन्दर उत्साह पैदा होगा कि देश कैसे बने। लेकिन गांव से प्लानिंग आरम्भ नहीं हो रही है। आप के आफिसेज से ही वह आरम्भ होती है और देहाती आज भी उतना ही अनभिज्ञ है जितना पहले था। इसलिये पहले हमें इसी पर सोचना है कि ६ करोड़ आदमियों को कैसे प्रोत्साहित किया जाय ताकि वह अपने देश को बनाने के लिये तैयार हो जायं।

तीसरे लाखों लोग हैं जो देश को बनाने को तैयार हैं लेकिन वह रोजी मांग रहे हैं। उनको देश को बनाने का मौका दिया जाय। लेकिन मुझे दुर्भाग्य से यह कहना पड़ता है कि ज्यों-ज्यों प्लानिंग बढ़ती जाती है त्यों-त्यों बेकारी भी बढ़ती जाती है। आपके बेकारी के दफ्तरों में जो संख्या दर्ज होती है, हालांकि बेकारों की संख्या उससे कहीं ज्यादा है जो दर्ज नहीं होती, वह दर्ज की हुई संख्या बहुत कम है लेकिन वह संख्या भी बढ़ती जाती है,

[श्री देवी प्रसाद मिश्र]

सरकार उसे काम नहीं दे पा रही है । यह किसी भी सरकार के लिये लज्जा व शर्म की बात है कि देश का आदमी कहे कि हमें काम दो, यूनीवर्सिटी का स्नातक कहे कि हमें काम दो और यह सरकार काम न दे सके । इन्जीनियरिंग कालेज से निकले हुये ओवरसियर व इन्जीनियर्स कहें कि हमें काम दिया जाय लेकिन सरकार के पास कोई काम न हो । सरकार यह नहीं कह सकती है कि हम काम देने के लिये तैयार हैं । भले ही वह कह दे कि हमें ओवरसियरों की जरूरत है, इन्जीनियरों की जरूरत है, लेकिन आज हजारों ओवरसियर बेकार हैं । इसलिये इस चीज को सरकार को सोचना चाहिये ।

श्रीमन्, अध्यापकों की बात मैं कहूं तो शायद यह समझा जायगा कि मैं पुरानी बात दुहरा रहा हूं । लेकिन आज कोई जिला ऐसा नहीं है जहां बहुत से एल० टी० और बी० एड० बेकार न पड़े हों । उन्होंने साल भर शिक्षा पाई है और अब वह पढ़ाने के लिये उपयुक्त हो गये हैं लेकिन बेकार पड़े हुये हैं । मैं कहूंगा कि सरकार को इसका समाधान ढूंढना चाहिये । आपके प्लानिंग की सफलता का यही माप होगा कि जिस दिन यह हो जायगा कि कोई आदमी बेकार नहीं है । कोई आदमी ऐसा न हो जो कहता हो कि मैं काम चाहता हूं और उसे काम न मिल रहा हो । जिस दिन यह हो जायगा तो मैं समझूंगा कि आपका प्लानिंग सफल हुआ ।

माननीय राज्यपाल के भाषण को सुनकर हमें आश्चर्य हुआ । हम समझते थे कि समाजवाद किसी भी रूप में आ सकता है और आप भी उसके ध्येय को मानते हैं । लेकिन यह ३० पृष्ठ की पुस्तिका है और हजारों लफ्ज हैं लेकिन एक जगह भी समाजवाद का नाम नहीं आया । यह तीन अल्फाज आपकी एक जगह कहीं भी नहीं मिलेंगे । वैसे 'स', 'म' और 'ज' अलग-अलग कई जगह आये होंगे । आपने इसको महसूस नहीं किया है । कहीं-कहीं आपने राज्य का उद्देश्य बताया है और एक जगह पर राज्यपाल के मुंह से कहलवाया है कि कल्याणकारी राज्य या ऐसा राज्य जिसमें किसी को असुविधा न रह जाय यहां तक आप पहुंचे हैं । लेकिन यह शब्द कि 'समाजवाद की कल्पना या लक्ष्य' कहीं भी दिखाई नहीं देता है । इनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है । इसके हम क्या यह माने लगा लें कि साल भर में आप का रुख बदल गया है और समाजवाद का लक्ष्य खत्म हो गया है । अगर ऐसी बात नहीं है तो कम से कम कहने के लिये ही या दिखाने के लिये ही यह लफ्ज जरूर होने चाहिये थे । जैसे कि आप ने इस पुस्तिका में हजारों लफ्ज रखे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिये ही रखे गये हैं । उसी तरह से अगर इनको भी रख देते तो हमें संतोष हो जाता । लेकिन मैंने देखा कि वह कहीं भी मौजूद नहीं हैं ।

एक बात और यह है कि बहुत-सी महत्वपूर्ण समस्यायें जो हमारे देश के सामने हैं, उनका इसमें कोई जिक्र नहीं है । मैं उनका यहां पर जिक्र करना नहीं चाहता हूं । इसलिये कि हमने उनका अपने संशोधन में जिक्र कर दिया है । लेकिन एक चीज का जरूर जिक्र करना चाहता हूं कि देश के ऊपर जो आज संकट के बादल छाये हुये हैं उनका कोई समाधान इसमें नहीं बताया गया है कि कैसे इनको दूर किया जा सकता है । यह मैं स्पष्ट बता दूं कि मैं इस बात को मानता हूं कि देश में क्रान्ति करने की जब तक शक्ति होती है तब तक उसमें बाहर के आक्रमण से भी बचने की शक्ति होती है । किसी भी देश के इतिहास को आप देख लें कि जब तक उसमें क्रान्ति की शक्ति होती है, अपने राजा से लड़ने की शक्ति होती है तो दूसरे देश से लड़ने के लिये उसमें दस गुनी शक्ति होती है । क्रान्ति एक शक्ति होती है जो अपने में उत्पन्न हो जाती है । जब मैं अपने यहां अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं तो बाहर के अन्याय को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं । जहां आप क्रान्ति के लक्षण देखते हैं तो तुरन्त उसको दबाने का प्रयत्न करते हैं । मैं इसकी शिकायत नहीं करता कि आप इसको दबायें नहीं । लेकिन गलत ढंग से दबाने के माने जनता को बुजदिल बनाना है और जब जनता बुजदिल हो जायगी और बाहर के आक्रमण होंगे तो उनसे वह देश की रक्षा नहीं कर सकेगी इसलिये जब कभी जन-क्रान्ति का मुकाबला करना हो तो जनतंत्र के तरीके

से करें ताकि जनता पस्त हिम्मत न हो जाय, बुजदिल न हो जाय और बाहर के आक्रमण का मुकाबला न कर सके ।

अभी जो हड़ताल खत्म हुई है उसके बारे में लोगों ने शिकायत की है । हमने जो सत्याग्रह किया था उसमें यद्यपि हमने शान्ति और अहिंसा से कार्य किया था लेकिन फिर भी स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार किया गया है, इसी हाउस के मेम्बरों के साथ जो व्यवहार किया गया है वह ऐसा व्यवहार है जिससे मालूम होता है कि आप किसी जनक्रान्ति को सहन करने के लिये तैयार नहीं हैं । यह तरीका अच्छा नहीं है । यह देश को कमजोर करेगा, बाहर से आक्रमण की दशा में उसके खिलाफ लड़ने की शक्ति नहीं रहेगी । . .

आगे, मैं एक ही बात कहूंगा । जो बातें आपने राज्यपाल के मुंह से कहलवायी हैं अगर उनका सौवां हिस्सा भी कर सकें तो कितना अच्छा हो । लेकिन हम जानते हैं कि जो इसमें कहा गया है वह कहने के लिये कहा गया है, करने के लिये नहीं है । आपने लोगों को सुनाने के लिये ३० पृष्ठ की पुस्तक सामने रख दी । उन तीस पृष्ठों में अगर तीस शब्दों का भी पालन कर दें तो हमें शिकायत नहीं रहेगी । लेकिन वह भी आप करने के लिये तैयार नहीं हैं । इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

कुमारी कमल कुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, म महामान्य राज्यपाल जी क भाषण के स्वागत में जो प्रस्ताव उपस्थित हुआ है उसके समर्थन के लिये खड़ी हुई हूं ।

जहां तक तरक्की की बात है, जहां तक नयी सड़कों, नये अस्पतालों, नई पाठशालाओं और नये कारखानों क बनने की बात है, उनकी प्रगति को देखकर किस के दिल में स्वागत नहीं होगा ? चाहे उधर के बैठने वाले भाई हों या इधर के, सब के दिल से यही आवाज निकलती होगी कि हमारे यहां बेरोजगारी खत्म हो ।

एक बात मैं माननीय विरोधीदल के नेता के सामने रखना चाहता हूं । बात सही है--

"forgetfulness is good for good memory, but to forget one's essence of life is a folly."

उन्होंने जब अपने भाषण में यह कहा कि जब गली-गली में लड़ाई होगी और हम हथियार-बन्द नहीं होंगे तो कैसे मुकाबला करेंगे ? हम उसी आदर्श को, उसी चीज को भूल गये जिससे हमने ब्रिटिश सरकार को परास्त किया । उस भावना को निकाल देना, यह कह कर कि अगर हम हथियारबन्द नहीं होंगे तो हम सामना नहीं कर पायेंगे, यह उचित नहीं है । जब तक एक भी हिन्दुस्तानी जिन्दा रहेगा, तब तक दुश्मन का मुकाबला करेगा और फिर किसी की हिम्मत नहीं रहेगी कि हिन्दुस्तानी पर उंगली उठाये । यह कैसे हो सकता है कि हिम्मत के बिना हम अपने देश की रक्षा कर सकें ? हमें सत्य और अहिंसा की भावना बच्चे-बच्चे में भरनी चाहिये ।

इसके बाद मुझे सरकार का ध्यान कुछ मौलिक बातों की ओर दिलाना है । हमारे महामान्य राज्यपाल जी ने बेरोजगारी की ओर संकेत किया । ठीक है विकट रूप है । लेकिन अब यह देखना है कि हमारा उद्देश्य क्या है और हम उस उद्देश्य की तरफ अपना कदम किस कदर बढ़ाते हैं । हमारा उद्देश्य है विलेज सेल्फ सफीशियन्सी, सेल्फ कान्फीडेंस, सेल्फ एम्पलायमेंट । हमें जांचना है कि इस तरफ हमने कदम बढ़ाया या नहीं, और इसमें सफलता हुई या नहीं । मैं कुछ वर्षों के बाद अभी पंजाब गयी । बहुत से गांव और शहर देखे । हमें अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि किस ढंग से वे चल रहे ह । वहां पर एक नवजवान लड़का हाईस्कूल पास, कन्धे पर हल लिए हुए जा रहा था । उससे बात करने पर जब उससे यह कहा कि तुम कोशिश क्यों नहीं करते कि कहीं पर नौकरी पा जाओ ? तो उसने उत्तर में कहा कि २०० रुपये कोई हाई स्कूल पास को देने को तैयार नहीं, और २०० से कम में अपना काम छोड़ के जाना बेकार है । दूसरी

[कुमारी कमलकुमारी गोईंदी]

तरफ वहां की आम जनता से गांवों में मैंने पूछा कि भाई आपकी समस्या क्या है, काम की क्या समस्या है, तो उत्तर मिलता था कि काम की कोई समस्या नहीं है । काम करने वालों की समस्या है । यह आजादी का जमाना है । इसमें काम सबको मिल सकता है ।

अब जरा आंखें उठाकर हम देखें वह भी इसी देश का एक कोना है जिस देश का कि यह प्रदेश है । यहां अपने गांवों में जाइये । हाई स्कूल पास, बी० ए० पास, इंटर पास परेशान हैं । नौकरी चाहिए । नौकरी मिलती नहीं । मां बाप बेजार हैं कि सारी जमीन, जायदाद लगाकर तो उस बच्चे को पाला और उस पर भी यह बेरोजगारी में फँसा हुआ है । उसके ऊपर तुर्रा यह कि छोटे छोटे बच्चों की शादी । अब आप अन्दाजा लगा लीजिए कि जिस स्त्री का पति कमाता न हो, जिस बच्चे का बाप कमाता न हो, उस फेमिली का वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल अनुमान ही किया जा सकता है । इसको जड़ से देखना पड़ेगा कि कहां पर, हमारी कौन-सी चीज हमको उस तरफ क्यों नहीं ले जा रही है ? इसलिए मैं निहायत नम्रतापूर्वक अपनी सरकार को आपके द्वारा एक सन्देश देना चाहती हूं और वह यह है कि यह खादी बोर्ड का कार्य जो है इसे बहुत जोरों से किया जाय, बहुत खादी उत्पन्न की जाय । यह हमारे उद्योग धन्धे का एक आदर्श है, नींव है । खादी बनायी, बेची, उसके लिए प्रयत्न किया लेकिन असफल हुए । उस असफलता का कारण जांचने के लिए हमको निहायत ठंडे दिल से देखना पड़ेगा कि हमारी जो नीति और प्रोग्राम के कार्य थे उनमें कार्य करने की और सेल्फ सफिश्येंसी की भावना भरने में हम सफल न हो सके और केवल नौकरी की तरफ हम लोगों को आकर्षित करते चले गए ।

खादी बोर्ड की यह भावना रही कि खद्दर कामर्शियल प्वाइंट आफ व्यू से बनाना है । बड़े-बड़े शहर, दिल्ली बम्बई, लखनऊ, इलाहाबाद के मार्केट में यह चीज किस तरह से लग सकती है इसकी ओर ध्यान रहा, जबकि यह उसका केवल एक पहलू था । दूसरा पहलू भी उसका था कि गांवों में घर-घर में लोग अपने खाली समय का उपयोग करके इस उद्योग के सहारे कुछ प्रोडक्शन करके अपनी कुछ आमदनी को बढ़ा सकें । मैंने पंजाब में देखा---हर घर में स्त्री के पास चरखा भी मौजूद है, दरियां भी बन रही हैं, नेवाड़ भी बन रहा है । ४ बजे से लेकर १२ बजे रात तक फुर्सत नहीं है कि किसी और चीज को देखें । दूसरी तरफ अपनी सरकार को मैं बता दूं कि हमारी सरकार की इस नीति ने, कि खादी का काम भी वहीं चल रहा है और टैक्स-टाइल मिल भी वहीं चल रही है, खादी के प्रोडक्शन को बहुत हद तक नुकसान पहुँचाया है । इस तरह का डिमार्केशन न होना कि किस हद तक खादी का प्रोडक्शन होगा और किस हद तक टैक्सटाइल मिल काम करेगी, इससे बहुत नुकशान हुआ है । इसका एक उदाहरण नैनी में मिल के नजदीक के एक गांव में खादी केन्द्र का खोला जाना है बापू ने कहा है---

"If textile mills flourish Khadi must die."

इस चीज को आप निश्चय समझिये । इसलिये दोनों चीजों को मिलाकर आपको सोचना होगा । इधर तेल का मिल और उधर तेल की घानी, दोनों चीजें पास पास खोली जाती हैं । उसकी सफलता का केवल अन्दाजा लग सकता है । वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती है, यह बिलकुल निश्चित बात है ।

दूसरी बात जो मैं अपनी सरकार को बताना चाहती हूं वह यह है कि जो भी सरकारी काम में कपड़े का प्रयोग होता है वह या तो मिल के कपड़े का प्रयोग होता है या हैन्डलूम के कपड़े का होता है । उधर खादी के कपड़े का प्रयोग अपने निजी प्रयोग में भी लाया नहीं जाता है । उसका नतीजा पिछले साल १६०० खादी कार्य कर्त्ताओं को इसके अन्दर से निकाल देना है और उसके साथ हजारों कातने बुनने वाले बेकार । इसलिये मैं यह समझती हूं कि अगर कोई आदमी ३ आने या ४ आने पर रोजी करने के लिये तैयार है और उसको भी काम न दे सकें इसलिये कि उसका प्रयोग नहीं होता है तो यह विचार करने की बात है । अब उसका इस्तेमाल पब्लिक करे या गवर्नमेंट अपने यहां उसका इस्तेमाल करे । इसलिये निहायत नम्रता के साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि अब जो नया बोर्ड बने उसमें केवल वह आदमी हो

जो इस निष्ठा के हों कि खादी युग है इस तरह से सोचे कि किस तरह से इससे लाभ पहुंचे। इस संसार के ढांचे को ऊपर जाना है और शान्ति के वातावरण को हम संसार में बनाना चाहते हैं तो लोगों के अन्दर आत्मविश्वास की भावना पैदा करने की बात को सोचना है। एक एक आदमी का स्तर जो आज है, जो स्टार्वेशन की हालत में है, उसको रोटी देने की बात सोचना है किस तरह से उनको हम रोटी दे सकते हैं। लोगों को नौकरी देने की बात तो दरकिनार रही पहले तो खादी के कार्य में लगे हुये कार्यकर्त्ताओं को भी निकाल देने की बात को गहरी दृष्टि से देखना होगा, कि हम उनको क्यों नहीं रोटी दे सके। दूसरी तरफ अम्बर चर्खा वाले भी ट्रेन्ड लोग यह चाहते हैं कि उनको नौकरी मिल जाय तो उनका गुजारा हो। इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस ओर भी आपको देखना चाहिये। हमारे यहां जो भी छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे हैं, यह खादी उसकी जड़ हैं। अपनी खादी की नीति बदलें।

मैं यह कहना चाहती हूं कि मान्यवर, प्रोहिबिशन के बारे में अभी तक पिछले पांच वर्षों में हम एकदम भी आगे नहीं गये हैं। अगर यह कानपुर में लागू है तो इलाहाबाद में क्यों नहीं है? अगर कानपुर में ठीक है तो बनारस में क्यों नहीं है? इस पर विचार करना है। मैं निहायत जोर के साथ कहूंगी कि इसके ऊपर कदम उठाकर इस दुराचार के कार्य को और इसकी बुराई को देखते हुए इस तरफ क्रान्तिकारी कदम उठाया जाना चाहिये। बम्बई की भांति यहां Complete prohibition (शराब बन्दी) होना अति आवश्यक है।

***श्री सीताराम शुक्ल**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर साल बजट पेश होता है और माननीय राज्यपाल का व्याख्यान होता है और करीब-करीब वही स्पीच इस तरफ से और उस तरफ से भी दी जाती है। मेरी प्रार्थना है कि उसी प्रकार से इस पर यह गौर होना चाहिये कि क्या उपाय किया जाय कि शिकायत बन्द हो। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिये कि हम कम शिकायत करें और कम शिकायत होने की क्या कोशिश करते हैं। सरकार को देखना चाहिये कि उनके मेहनत करने पर भी शिकायत बनी हुई है। इस तरफ लोगों को ध्यान देना चाहिये कि शिकायत कम करें। अगर शिकायत ठीक हों तो उसको मान लिया जाना चाहिये। मुझे अफसोस है कि पिछले साल मैंने गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित किया था लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मैंने पिछले साल इस मजमून पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था लेकिन उस पर कुछ काम नहीं हुआ। बल्कि वह यह कि:

"मरीजे इश्क रहमत खुदा की,
मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की।"

मुझे खुशी है कि हमारे गृह मंत्री जी यहां मौजूद हैं और इसलिए निवेदन करूंगा कि वे ध्यान से सुनें। यदि वे ध्यान से सुनेंगे तो सम्भव है कि प्रदेश का भला हो जाये क्योंकि सूरदास ने कहा है "ऊधो मन नाहिं दस बीस।"

हुजूरवाला, यह जरूर कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, जान बूझ कर खराबी पैदा करती है ऐसा कहना गलत है। गवर्नमेंट अच्छी है और चाहती है कि लोगों को अच्छी तरह रक्खे, उनको खाना, कपड़ा मिले, वे प्रसन्न रहें। राजा चाहता है कि लोग प्रसन्न रहें तो गवर्नमेंट की तो बात ही क्या है। वह तो जनता के वोट से बनी है। एक वोट भी कम होने से वह हार सकती है। तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारे मुल्क के लोग सुखी न रहें। मैं ऐसी शिकायत करने वालों से सहमत नहीं हूं। गवर्नमेंट होशियारी और मेहनत से कोशिश कर रही है कि लोग प्रसन्न रहें और इसमें कोई दो रायें नहीं हैं लेकिन उसकी सारी कोशिश के बावजूद शिकायत बढ़ती जा रही है। सदन में विरोधी वर्ग और बाहर सरकारी कर्मचारी शिकायत करते हैं। ऐसे ऐसे कर्मचारियों ने अभी हड़ताल की है जिनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिली हैं। मैं डर रहा था कि कहीं गवर्नमेंट उनकी गलत बात को मान न ले।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सीताराम शुक्ल]

पंत जी ने काफी सही कदम उठाया जिसके कारण हड़ताल फेल हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब और दुःख हुआ यह देख कर कि जिस पार्टी को देखो वही हड़तालियों को सपोर्ट कर रही थी। जनसंघ के बारे में मेरी अच्छी राय थी लेकिन जिस समय श्री वाजपेयी हड़ताल करने वाले थे उस समय तक हड़ताल ही खत्म हो गई थी। कहते हैं कि तनख्वाह बढ़ा दीजिए। तो अवसर पर तनख्वाह बढ़ा देने की बात करने लगे, न बढ़े तो भी उन्हें कुछ कहना है और उसके बाद कहना है कि वोट हमी को दो। तो इसका नतीजा क्या हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को अपनी जबान से तौल कर शब्द निकालने चाहिए। मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूं कि उसने सही ऐक्शन लिया और यह हड़ताल खत्म हुई।

लेकिन चूंकि पार्टी हुकूमत हो इसलिए सभी चाहते हैं कि हम कुर्सी पर रहें। हम मिनिस्टर जरूर रहें, एम० एल० ए० जरूर रहें। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जरूर हों और जिस वक्त यह नियत हुई कि कुर्सी हमको ही मिले, बुद्धि का रास्ता ही बदल जाता है। भगवान् कृष्ण ने गीता में कहा है कि निर्लेप बुद्धि से जो काम करता है ठीक करता है लेकिन जब वह किसी फल में आसक्त हो जाता है तो सैकड़ों गलतियां करने लगता है। नियत अच्छी है, सोचते ठीक हैं लेकिन कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। एक जमाना था जब कहा जाता था कि हम गिरफ्तार हों लेकिन वतन आजाद रहे, आज कहा जाता है कि हम हों सरदार, मुल्क शाद या नाशाद रहे। कुर्सी मिले। इसी लालच में मेम्बर रहते हैं कि किसी प्रकार से कुर्सी मिल जाय और जब दिल में यह ख्याल आ जाता है तो वे अपना सही रास्ता ही भूल जाते हैं। होता क्या है? गलत मेम्बर बनाये जाते हैं। किसी तरह से पार्टी पर कब्जा किया जाता है।

अभी तक हुजूरवाला, यही शिकायत सुनने में नहीं आयी थी कि गलत मेम्बर बनाये गये हैं, यह भी मेरे सुनने में आया है कि जिसे मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता और जिसको अगर कहता हूं तो दुख होता है और नहीं कहता हूं तो ड्यूटी का अंजाम नहीं देता हूं, कि इनको अपने यहां कोई आदमी ऐसा नहीं मिला कि जिसे लोग अपना रिटर्निंग आफिसर चुन लेते। देहली से एक साहब को इस कार्य के लिये बुलाया जाता है। यह भी सुनने में आया है कि जीत हुई है किसी व्यक्ति की और नाम डिक्लेयर किया गया है दूसरे व्यक्ति का। हुजूरवाला, अगर मुल्क के अन्दर ऐसी बातें होंगी तो आप सोच सकते हैं कि मुल्क का क्या हाल होगा? जब पार्टी के अन्दर गलत अंगूठे लगाकर, चवन्नी देकर गलत मेम्बर बनाये जायेंगे तो फिर पटवारी कैसे ईमानदारी के साथ अपना काम करेगा, कुर्क अमीन कैसे काम करेगा, और भी हमारे कर्मचारी कैसे ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे। श्रीमन्, मेरे कानों में यह भी आवाज आयी कि पार्टी इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मदद की है। सरकारी कर्मचारियों ने मदद की है। यह हो सकता है कि यह बात गलत हो, मगर ऐसी बातें सुनने में आयी हैं। मेरी गुजारिश है कि अगर मुल्क को खुशहाल बनाना है, उसकी तरक्की करना है, तो पहले आप अपने अन्दर इस तरह की बातों को दुरुस्त कीजिये। फर्जी मेम्बर बनाने बन्द कीजिये। यह हुकूमत इस तरह से बहुत दिन तक नहीं चल सकती है।

(लाल बत्ती जलने पर।)

श्रीमन्, आपने लाल बत्ती जला दी, मुझे अभी बहुत कुछ कहना है। खैर, मुझे थोड़ा समय और दे दिया जाय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि यह पार्टी राज्य ही समाप्त होना चाहिये। चाहे उधर की पार्टी हो या इधर की हो, यह पार्टी राज्य होना ही नहीं चाहिये। मेरी गुजारिश है कि इसको बन्द किया जाय। इसका तरीका यह हो कि एक एक मेम्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से चुना जाय। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, उस एरिया से, एक एक मेम्बर चुन कर यहां आये। यह कहा जाता है कि वहां पर मुखतलिफ व्यूज के आदमी होते हैं, कोई किसी पार्टी का होगा, कोई किसी पार्टी का होगा, लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि यहां पर भी तो भिन्न-भिन्न पार्टी के मेम्बर लोग हैं। यहां पर भिन्न-भिन्न पार्टी के लोग होते हुये भी सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना खा सकते हैं, एक साथ घूम

सकते हैं। तो पार्टी के अन्दर भी मुखतलिफ पार्टी के लोग आकर अपनी राय दे सकते हैं। और हुजूरवाला व्यूज तो बन जाता है। कुर्सी पाने के लिए जिन्नाह साहब ने देखा कि कुर्सी नहीं मिलेगी तो उन्होंने कहा कि "इस्लाम इज इन डेंजर इन इंडिया" (Islam is in danger in India), इस्लाम खतरे में है। इसी तरह सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, जनसंघ, हर एक पार्टी चाहती है, स्वतंत्र पार्टी भी, मैं बख्शता नहीं हूं। मेरी गुजारिश यह है कि हर वोटर का नेता बनाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—क्या वोटर हर पार्टी का मेम्बर रहेगा ?

श्री सीताराम शुक्ल—किसी भी पार्टी का आदमी खड़ा हो, सिटी या जिले के लिए, तो हर एक वोटर वहां का वोट दे। मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक वोटर पार्लियामेंट का मेम्बर हो सकता है, मुख्यमंत्री, प्रधान मंत्री हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में नहीं बैठ सकता। यह गलत है, आप बैठने दीजिये। वोटर भी कम स्वार्थी नहीं है, अच्छे बुरे सब जगह हैं। दूध मांगो तो पानी मिला कर देंगे, घी मांगो तो डाल्डा देते हैं, लेकिन शराब जो पीता है वह भी चाहता है कि मेरा लड़का शराब न पिये, बेईमान चाहता है कि मेरा लड़का ईमानदार हो। अगर यह हवा बनायेंगे तो फिर रोशनी होगी। इसलिए अगर पब्लिक के हर एक वोटर की पार्टी बनाइयेगा तो फर्स्ट क्लास आदमी आयेंगे। फर्स्ट क्लास आदमी आयेंगे तो सिफारिशें बन्द होंगी। सिफारिशें बन्द होंगी तो सरकारी कर्मचारी अच्छे होंगे, वह सिफारिश नहीं सुनेंगे। फिर पब्लिक का जो पैसा आप पास करेंगे वह सड़क में लगेगा, स्कूल और अस्पताल में लगेगा, सबका फायदा होगा, और कुर्सियों को अच्छे आदमियों के लिये घूमना पड़ेगा, ट्रांस्फर, ठेका, नौकरी का लालच देकर बहुत दिनों तक वोट नहीं मिल सकता। इसलिए भाई साहबान गौर करें। मैंने किताब लिखी है, मुफ्त देने के लिये तैयार हूं, पढ़ कर वापस कर दीजिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं।

***श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)**—श्रीमन्, मुझे कितना समय मिलेगा ? उसी के अनुसार मैं चलूं।

श्री उपाध्यक्ष—१५ मिनट ले लीजिये।

श्री देवकीनन्दन विभव—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़ी प्रसन्नता से राज्यपाल महोदय के भाषण को सुना और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो अपील की है, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के, मैं उनका ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने जातिवाद, संप्रदायवाद, वर्गवाद और प्रान्तवाद के खिलाफ हमारा ध्यान दिलाया है। मैं तो उसमें एक वाद और जोड़ना चाहता हूं और वह है भाषावाद। आज से बहुत वर्ष हुए जब देश में भाषावादी प्रान्त निर्माण करने की बात चली थी। उस समय मैंने कई पत्रों में लिखा था कि मेरे खयाल से भाषा के प्रान्तों के निर्माण की चर्चा देश के लिये हितकर नहीं होगी। आज भी मेरा यह विचार है कि भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रान्तीयता के नाम पर तथा साम्प्रदायिकतावाद के नाम पर जो हमारे लिए आज बड़ा खतरा छाया हुआ है मैं समझता हूं कि वह सरहद के खतरे से कम नहीं है। आज सबसे आवश्यक देश की एकता है। आज जो हम देश में प्रजातंत्रवाद का प्रयोग कर रहे हैं उसके लिये देश की एकता की बड़ी आवश्यकता है। उसमें यह सब खतरे और देश में जो इन १० वर्षों में हुआ है वह आंखे खोल देने वाला होगा। आज देश में हमें वह विचारधारा पैदा करनी है जिसमें हर व्यक्ति को यह ज्ञात हो कि वह किसी भी आधार पर देश में आगे नहीं बढ़ सकता, अगर आगे बढ़ सकता है तो देश की एकता के आधार पर और राष्ट्रवादिता और व्यक्तिगत योग्यता और कुरबानी के नाम पर आगे बढ़ सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

आज देश भर में जो जातिवाद के नाम पर निराशा छायी हुई है वह भावना दूर होनी चाहिये। मैं राज्यपाल महोदय को इसके लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सदन को और इस सदन के द्वारा सारे देश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। यह हमारे लिये एक गौरव की बात है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि इस देश में हमारा ध्यान जबकि औद्योगिक निर्माण की ओर लगा हुआ है, जब हम आर्थिक स्तर को ऊंचा करने की ओर लगे हुये हैं, जब कि हमारे सामने पूंजी की समस्या है और जब कि हमारी समस्या है कि जो हमारी पंचवर्षीय योजनायें हैं उनको हम कैसे पूरी कर सकते हैं और जब कि हमारे सामने यह समस्या है कि हम उसके लिये पूंजी कहां से लावें और जब कि हम उसके लिये देश विदेश में भिक्षा का पात्र लिये हुये घूम रहे हैं उस समय हमारे प्रदेश में वेतन वृद्धि की बात करना उचित नहीं है। मेरे खयाल में विरोधी दल के नेता को इसका स्वागत करना चाहिये था और बिना किसी शर्त के स्वागत करना चाहिये था किन्तु आज भी वह कहा गया है और मैं आज भी कहना चाहता हूं कि वेतन को बढ़ाने से समस्या दूर नहीं होगी। वेतनों के बढ़ने से समस्या का हल नहीं होगा क्योंकि जितना वेतन को बढ़ायेंगे अगर उनके लिये उसी अनुपात में देश के उत्पादन को नहीं बढ़ायेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। परिणाम यह होगा कि सारे देश में इन्फ्लेशन होगा। सौ रुपये के स्थान पर २ सौ रूपये की आमदनी होने पर चीजों के उत्पादन न बढ़ने से तो वही जर्मनी की स्थिति होगी जब कि एक रोटी के लिये गाड़ी भर करके नोट ले जाये जाते थे। तो मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग इस नारे पर देश में स्ट्राइक करना चाहते हैं, जो लोग इस नारे पर देश में एक अराजकता की स्थिति को लाना चाहते हैं उनको सोचना चाहिये कि सरकारी नौकरों की और सरकारी नौकरों की ही नहीं बल्कि सारे देश की भूख का एक ही हल है और वह है उत्पादन का बढ़ाना।

लेकिन इसके अतिरिक्त एक और भी बड़ी समस्या है। आज हमारे देश में ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिये एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। आप जानते हैं कि अमेरिका में आज उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। लेकिन उत्पादन के साथ उन्होंने जो मैकेनाइजेशन किया है उसका परिणाम यह हो रहा है कि बेकारी बढ़ती जाती है। स्वतः चालित मशीनों का परिणाम यह है कि उनके सामने सामाजिक समस्यायें बढ़ रही हैं। आज रूस में यह प्रयोग हो रहा है कि दिन में काम करने के घंटे कम किये जायं, चार घंटे किये जायं या तीन घंटे किये जायं लेकिन इससे यह समस्या पैदा होती है कि मनुष्य का जो समय है उसका उपयोग क्या हो। आज अमरीका में और दूसरी जगहों पर यह समस्यायें पैदा हो रही हैं कि अगर मेकेनाइजेशन किया जाता है, काम के समय का बचाव किया जाता है, एटामिक एफीशिएन्सी लाई जाती है तो आखिर मनुष्य उसका उपयोग किस तरह करे। हमारे देश में आप जानते हैं कि जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आरम्भ हुई तब ५० लाख आदमियों की बेकारी थी और आज ७० लाख की बेकारी हो गई। साथ में एक प्रश्न और है कि जब दुनिया में टेक्नोलाजीकल एडवान्समेन्ट हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस समय अगर हिन्दुस्तान बैलगाड़ी पर बैठ कर चले तो वह कहां तक सही होगा, डेवलपिंग एकोनामी में यह नहीं हो सकता। मैं विकेन्द्रीकरण की बात सुनता हूं, सेन्ट्रलाइजेशन की भी बात सुनता हूं लेकिन यह सब हमारे सामने समस्या है जिन पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना है।

विरोधी दल के नेता ने कहा कि प्राइसेज बढ़ती जाती हैं। डेवलपिंग एकोनामी में प्राइसेज का बढ़ना अनिवार्य है। क्या वह कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहां कि डेवलपिंग एकोनामी हुई हो और प्राइसेज न बढ़ी हों। तो इसमें प्राइसेज के बढ़ने का कोई सवाल नहीं है। सौ रुपये का नोट, करेन्सी और पैसा, यह कोई चीज नहीं है, यह केवल एक्सचेन्ज के साधन हैं जिनके द्वारा हम आपस में तबादला करते हैं। आज देश में इस बात की जरूरत है कि इस निर्धन देश के समय का उपयोग किया जाय, देश की शक्ति का उपयोग किया जाय। पंचवर्षीय योजनायें जो बनती हैं वह उस समय तक सफल नहीं हो सकतीं जब तक कि देश में उसके लिये उत्साह न पैदा किया जाय। आज उत्साह क्यों नहीं है, यह प्रश्न आता है। इसका कारण

यह है कि आज देश में जितनी श्रमशक्ति है उसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, लोग अन्धकार में पड़े हैं। इसलिये मोबिलाइजेशन आफ मैन पावर होना चाहिये। हमारी पंचवर्षीय योजनायें इस आधार पर बननी चाहिये कि हमारी जनशक्ति जो बराबर बढ़ रही है उसका किस तरह से उपयोग किया जा सके और देश के साधनों को बढ़ाया जा सके।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी योजनाओं पर विरोधी पक्षों की तरफ से जिस प्रकार की आलोचनायें की जाती हैं वह मुनासिब नहीं है, वह कांस्ट्रक्टिव नहीं होती हैं। लेकिन जनता के मन में भ्रम पैदा करने से वह योजनाओं के प्रति कभी उत्साहित नहीं हो सकती। इससे जनता में निराशा की भावना पैदा होती है। किसी देश में इससे घातक और कोई चीज नहीं हो सकती जितनी कि उसमें निराशा की भावना पैदा करना। मुल्क में आशा पैदा करने की जरूरत है और हमें उस आशा का संचार करना होगा। हमारे ऐसे काम होने चाहिये जिससे देश नयी आशाओं को लेकर आगे बढ़े। इससे देश और प्रदेश का कल्याण होगा। आज आप जानते होंगे कि हमारे देश और प्रदेश में बहुत से ऐसे आदमी हैं जिनके पास आधा ही काम है और बहुत से ऐसे हैं जिनको काम की तलाश है, उनको हमें काम पर लगाना है। बंधे बनाना, कुएं खुदवाना, गांवों की सड़कों को पक्की करना, गांवों में स्कूल बनाना, गांवों को नया रूप प्रदान करने के लिये हमें श्रम शक्ति का उपयोग करना होगा। हमें एक नया नारा देना होगा "एक घंटा देश के लिये।" यह आवाज देश के कोने-कोने से निकलनी चाहिये। गांवों में यह चीज पैदा होनी चाहिये तभी गांवों का कल्याण हो सकता है। इसलिये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है--मोबिलाइजेशन आफ मेन पावर। आज हमारे पास जो शक्ति है, उसका हमें सदुपयोग करने की आवश्यकता है जो हम अभी नहीं कर रहे हैं। वह उस रुपये से अधिक मूल्यवान है जो रुपया कि हम दूसरे अमेरिका आदि देशों से पा रहे हैं।

आज से करीब ६ साल पहले मेरे द्वारा दो एक बातें कही गयीं थीं। मैंने सवालों के रूप में कहा था कि कैलास और मानसरोवर क्षेत्र में पुलिस और चौकियों की व्यवस्था होनी चाहिय, सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिये। ५-६ साल से मैंने कईबार बिजली के लिये और डिसेन्ट्रेलाइज्ड इन्डस्ट्रिलाइजेशन के लिये इस हाउस में निवेदन किया। मेरा खयाल है कि पावर के लिये इस प्रदेश में काफी प्रयत्न किया जा रहा है और काफी प्रयत्न करते हैं लेकिन देश के और प्रान्तों से बहुत पिछड़ गये हैं। इसने कोई योजना समय पर नहीं बनायी और उसका परिणाम यह है कि आज जिले-जिले में मुझे मालूम है कि सैकड़ों लोग मशीनें लगाये बैठे हैं, तैयार हैं और चाहते हैं कि हम काम करें लेकिन उनके लिये पावर नहीं है। हम उनसे कहते हैं कि दो साल में ऐसी परिस्थिति आ जायगी जब हम उनको पावर दे सकेंगे लेकिन मेरा खयाल आज भी यही है कि जो हमारा अनुमान है, जो प्राक्कलन है इस सम्बन्ध में, वह नाकाफी है। उनको हमें फिर रिवाइज करना चाहिये और पावर स्थिति को देखना चाहिये। डिसेंट्रेलाइजेशन आफ इंडस्ट्रीज के लिये मैं बतला सकता हूं कि हमारे यहां बिजली की दिक्कत है।

यह बात है कि कुछ बड़ी-बड़ी योजनायें--जैसा कि आप देखें कि चीन ने येलो रिवर जिसे रिवर आफ सौरो भी कहते हैं, उस पर बांधें बंधवायीं और बहुत जल्दी बंधवायीं। लेकिन हमारे यहां योजना बनती है दस साल में, पांच साल में। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ी योजनायें बने लेकिन उनकी पूर्ति जल्दी से जल्दी की जाय। योजनाओं की जो बहुत सी चीजें हैं उनके बारे में डिटेल्ड सर्वे करके और प्रोबलम्स को स्टडी करके तब योजनायें बनानी चाहिये। हमारे यहां यह चीज नहीं है। एक-एक योजना में बहुत समय लग जाता है, इसका परिणाम यह होता है कि पूंजी उसमें लगती जाती है और हम उसका ठीक उपाय नहीं कर पाते। इसलिये मैं कहता हूं कि हमारे यहां जो भी पंचवर्षीय योजना हो, उसमें जितनी भी योजना हों, जिस प्रकार से चीन में येलो रिवर पर बांध बांधने के लिये २५-३० लाख आदमियों को एक साथ लगा दिया गया। इसी प्रकार से मेरा खयाल है कि हम अपने यहां भी ऐसी चीज कर सकते हैं। हमको जल्दी से जल्दी अपनी शक्ति को केन्द्रित करके यह करना चाहिये। यह कोई आवश्यक नहीं है कि सभी चीजें साथ-साथ चलें और साथ-साथ उनकी पूर्ति हो। ये थोड़ी

[श्री देवकीनन्दन विभव]

सी बातें हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था। मुझे विश्वास है कि जो काम हम कर रहे हैं और जो हमारी योजनायें हैं, जो हमारे सामने आती हैं, उनमें हमारे सामने कितनी ही समस्यायें हैं।

साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां पापुलेशन की एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई कह सकता है कि हमारे देश में दस साल के अन्दर कोई उन्नति नहीं हुई है? हमारे यहां उन्नति हुई है लेकिन उसके साथ ही साथ जो जनवृद्धि होती है उससे सब बराबर होता जाता है। इसलिये मैं परिवार नियोजन के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। वह यह है कि परिवार नियोजन का कार्य केवल शिक्षित और धनी व्यक्तियों में ही होता है। यह सही तरीका नहीं है। माल्थस की थियोरी के अनुसार जो धनी और शिक्षित व्यक्तियों में ऐसे ही बर्थ रेट कम होता है। गरीब और अशिक्षित लोगों में परिवार नियोजन करने की बहुत आवश्यकता है। उसी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये। इतनी बात कह कर मैं समझता हूं कि फिर राज्यपाल महोदय को धन्यवाद दूं कि उन्होंने बहुत सी चीजें सरकार की नीति को प्रकट करने के लिये यहां बतायी हैं, मेरा खयाल है वह हमारे प्रदेश को आगे ले जायेंगी।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीस पेज के महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि माननीय राज्यपाल की सरकार ने प्रेस नोट का संकलन करके आदि और अन्त की कड़ी उनके हाथों से पहुंचवायी है। प्रेस नोट में भी शायद इतनी अच्छी तरह से नहीं रखा जा सकता था जिस प्रकार से इसमें रखा गया है इस पुस्तिका से एक ही नजर में यह मालूम पड़ गया कि प्रशासन की जो कुछ खराबी है उसका कोई जिक्र नहीं है, जो कमी है इस शासन की उसकी ओर इसमें कोई इंगित नहीं किया गया है। आगे आने वाले वर्षों में उन कमियों को दूर करने का कोई न तो उपाय ही बताया गया है और न उसकी ओर इशारा ही किया गया है। किया गया है सिर्फ यह कि जो पिछला है उसका गुणगान। आगे आने वाले वर्ष के लिये कोई नई नीति उसमें नहीं है, न उसका संकेत है और न उसके किसी अंश से कोई ऐसा आभास मिलता है।

इसके अतिरिक्त पहले में एक ऐसी त्रुटि की तरफ आप का ध्यान दिलाऊंगा जो भाषा की है, ऐसा मालूम होता है कि जैसे यह अभिभाषण अंग्रेजी से अनुवाद किया गया है। छठे पृष्ठ पर आप देखें "नरपशुओं" लिखा है "नरपशुओं तथा अच्छे किस्म के नरपशुओं की सहायता से प्रजनन"। जब इससे आगे तथा पीछे की ५-६ लाइनें पढ़ीं तब मालूम हुआ कि इनका मतलब "मेल एनीमेल" से है। इसलिये मैं चाहता हूं कि भविष्य में जो सम्बोधन हों उनमें इस प्रकार के अनुवाद की प्रामाणिकता का विशेष ध्यान रखा जाय।

अभी कुछ बातें धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते समय माननीय वर्मा जी ने कहीं, मैं उन की तरफ इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने बड़े मार्मिक शब्दों में सदन से अपील की कि धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलते समय जो आलोचनायें यहां हों वे रचनात्मक हों और वे सहकारिता की भावना लिये हों। मुझे इस में उनकी तरफ से कोई गलत बात कही गई ऐसा नहीं मालूम पड़ता और सामान्यतः हम उसका स्वागत करते ही यदि कुछ दिन पहले यहां के शासन के बड़े जिम्मेदार लोगों की तरफ से जो बातें कहीं गई थीं उन का आभास हमें न होता या हमें उन का ज्ञान न होता। मुझे जुलाई के दूसरे सप्ताह का माननीय सम्पूर्णानन्द जी, मुख्य मंत्री का एक बयान याद आता है जो केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में दिया गया था, उसमें देश द्रोह शब्द का जिक्र कई बार आया है इस कारण से यह हाउस की विचारपरिधि में बात आ जाती है। उस बयान में माननीय मुख्य मंत्री जी ने हड़ताल के समर्थकों को देशद्रोही कहा था और उन्हीं से सहकारिता की अपील यहां की गई है। वादविवाद के समय अपने विचार प्रकट करना भी फिर देशद्रोहिता हो सकता है। इस हिसाब से जो देश के इतने बड़े नेता हैं नाथ-पाई, श्री जोशी हैं और श्री पीटर एलवीयर्स हैं सब को देश द्रोहिता की उपाधि दी गई जो देश के जिम्मेदार लोग हैं। इस सदन के माननीय सदस्य श्री गेंदा सिंह हैं, श्री त्रिलोकी सिंह

नता विरोधी दल हैं, जो इसी सदन के बैठने वाले हैं उनको देश द्रोही की पदवी दी गई, जब इन सब को ऐसी पदवियों से विभूषित किया जाता है तो फिर किस तरह से सहकारिता की बात की जाती है ? हम इस बात को मानते हैं कि देश के बनाने में सबका सहयोग मिलना चाहिये, वह हम देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे लेकिन मैं इस सदन में आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि इस सरकार के जो मुख्य स्तम्भ हैं जो जिम्मेदार लोग हैं उनको किसी भी विषय पर बोलते समय समझना चाहिये कि वह किस के लिये, किस मौके पर क्या बात कह रहे हैं और उस के क्या अर्थ हो जाते हैं ।

दूसरे जो राज्य के गुणगान इस में किये गये हैं उसमें एक खास चीज का जिक्र किया गया है मसलन इस में यह बड़े गर्व से कहा गया है कि सिंचाई का लक्ष्य १ करोड़ २१ लाख का होगा। जैसा कि अभी नेता विरोधी दल ने कहा था कि यही आंकड़े सन् ५८–५९ के हैं और इस साल के भी यही हैं। इस के अलावा जहां पर इस तरह के लक्ष्यों का जिक्र है वहां यह नहीं बताया गया कि गंडक योजना और जलकुंडी योजना की क्या प्रगति है ? अगर इस ३० पेज के सम्बोधन में दो चार लाइनें इस बारे में भी होती तो उससे २ करोड़ जनता का भला हो जाता, उसको भी बोध हो जाता कि नये राज्यपाल के सम्बोधन में उन्हें भी राहत देने वाली चीज देखने को मिली।

इसमें कई बातें भूमि सुधार के सम्बन्ध में कही गई हैं, बहुत सी बातें नये मेजर्स के बारे में भी हैं लेकिन ज्यादातर पिछली बातें ही दोहराई गई हैं। नागरिक क्षेत्र की जमींदारी व कुमायूं क्षेत्र की जमींदारी, जोत चकबन्दी व जोत हदबन्दी आदि के कानून हैं, उसमें कई कानून ऐसे हैं कि जिन का प्रारूप यहां से पास हो चुका है और कुछ के अमल में आने की बात भी इस पुस्तिका में दी गई है। उस सम्बन्ध में मैं थोड़े शब्दों में कहना चाहूंगा। सन् १९५० में सारे सूबे के और हिस्सों में जमींदारी खत्म हुई लेकिन नागर क्षेत्रों की जमींदारी आज भी कायम है। क्यों हर साल केवल २५, ३० कस्बों में जमींदारी खत्म की जाती ? इस व्यवस्था से नागर क्षेत्रों में क्या अनर्थ हो रहा है यह वही जानते हैं जिन पर बीतती है। अतः अब एक मिनट भी विलम्ब नहीं होना चाहिये, नागर क्षेत्रों की जमींदारी को खत्म किया जाय।

कुमायूं जमींदारी विनाश बिल इस सदन से पास हो गया अब विधान परिषद् में पेश है लेकिन पिछले ८-१० सालों से लगातार उसे टालने का प्रयत्न किया जाता रहा है वह अब नहीं होना चाहिये। इस साल में कुमायूं जमींदारी विनाश कानून लागू हो जाना चाहिये।

जोत चकबन्दी के बारे में कैराना तहसील के लोगों से पूछिये कि किस प्रकार वहां पर अमल हुआ है। मुझे इतना ही याद दिलाना है जोत चकबन्दी अभी जहां लागू नहीं हुई है वहां तब तक लागू न की जाय जब तक कि ज्यादतियों को रोकने का साधन न हो जाय।

हदबन्दी के सम्बन्ध में नागपुर प्रस्ताव जिस समय से हुआ तभी से जिनकी जोतें बहुत बड़ी थीं उन लोगों ने उन जोतों का कागजी बटवारा शुरू किया था। हम उम्मीद करते थे कि जब हदबन्दी का कानून पास होगा तो उस तारीख का ख़याल रखा जायगा और ऐसी व्यवस्था की जायगी कि फरवरी के महीने से, जब से नागपुर का प्रस्ताव पास हुआ था, उसके बाद से जितने ट्रांसफर हुए हैं वे गलत करार दिये जायेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई, वहां भी तो बहुमत सरकार का ही रहता है, बल्कि १५ और २० अगस्त के बाद तक भी उस तारीख को ले जाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार फर्जी बटवारे को मान्यता देने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है जिसका नतीजा यह होगा कि कुछ भी खेत नहीं निकल पावेंगे जो गरीबों को दिये जा सकें।

(इस समय ४ बजकर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अतः आवश्यक है कि गरीबों को जमीन देने के लिये फरवरी के महीने के बाद जो फरजी बटवारे किये गये हैं उन सबके रद्द किये जाने की व्यवस्था बिल में होनी चाहिये।

[श्री मदन पाण्डेय]

अब मैं रिहन्द डूब क्षेत्र के ४० हजार किसानों के बारे में कहना चाहता हूं। उनकी जमीन तथा घर बरबाद हो गये हैं और उन्हें किसी उचित जगह पर अभी तक नहीं बसाया गया है। जहां बसाने की व्यवस्था भी की गई वह भी उन्हीं जंगलों को काट कर की जा रही है जहां की वन उपज से वहां लोग अपना काम चलाते थे। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था खत्म की जाय और उन्हें उचित जगह बसाया जाय। इसका कोई जिक्र अभिभाषण में नहीं है। अतः मैं सरकार का ध्यान उधर भी दिलाना चाहता हूं।

दो चीजें और हैं। पहली यह कि श्रम नीति के सम्बन्ध में एक नया कानून पेश किये जाने की घोषणा की गई है। श्रम नीति के सम्बन्ध में अगर हम कोई नई बात कहना चाहें तो वह नई बात नहीं रही है क्योंकि सरकार के कान बहरे हो गये हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, फिर कहना चाहता हूं कि यहां पर टेक्सटाइल वेज बोर्ड के फैसले को लागू कराने का जो प्रयत्न किया गया है उसके लिये जहां आभार प्रदर्शित करना चाहते हैं वहीं यह भी कहना चाहते हैं कि शुगर के मजदूरों के साथ जितने अन्याय हुए हैं उनका भी निराकरण होना चाहिये।

अब मैं हाल ही में केन्द्रीय कर्मचारियों की स्ट्राइक के दौरान में शान्ति तथा व्यवस्था के नाम पर जो कुछ किया गया उसका दिग्दर्शन कराना चाहता हूं। मैं खुद गोरखपुर में इस सिलसिले में गिरफ्तार हुआ था। १२ तारीख को जिस दिन स्ट्राइक शुरू होने वाली थी सी० ओ० पी० एस० आफिस के सामने पुलिस ने लाठी चार्ज किया और इसलिये लाठी चार्ज किया गया कि जो कर्मचारी थे उनको मार मार कर दफ्तर के अन्दर घुसेड़ दो। एक अन्याय तो यह किया और दूसरा अन्याय यह किया कि १४ तारीख को और १३ तारीख की शाम तक जिन कर्मचारियों ने ड्यूटी अन्जाम दी थी उनको तीन बजे, ढाई बजे, चार बजे घरों में घुस घुस कर गिरफ्तार किया गया। शान्ति और व्यवस्था के नाम पर इस तरह से पुलिस अपनी ताकत का दुरुपयोग करती है। वर्मा जी ने पुलिस कमीशन के सामने सुझाव मांगे हैं। मैं वर्मा जी से, पुलिस मिनिस्टर से और इस सदन से पूछना चाहूंगा कि पुलिस कमीशन क्या व्यवस्था करेगा जब कि जानबूझ कर अथारिटी को दुरुपयोग करने का मौका दिया जाता हो, वहां कोई भी व्यवस्था क्या काम कर सकती है। यह कोई अधिकार पुलिस को नहीं था कि घर में बैठे हुए आदमियों को निकाल कर जबरदस्ती जेल में घुसेड़ दो या कारखाने में घुसेड़ दो। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नेता, विरोधी दल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं और जिन बातों को सरकार के सामने रखा गया है उन पर ध्यान दिया जायगा।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल महोदय ने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में कल जो सम्बोधन दिया था उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए वर्मा जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। यद्यपि वर्मा जी ने काफी संयत भाषा में अपने इस प्रस्ताव पर विचार प्रकट किये थे फिर भी मुझसे पूर्ववक्ता श्री मदन पांडेय जो अपने विचार प्रकट कर रहे थे उन्होंने बड़े जोश में आकर एक प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए कहा है कि हड़ताल में भाग लेने वाले देश के उच्च नेताओं को प्रधान मंत्री ने देशद्रोही की पदवी से विभूषित किया था। मैं भाई मदन पांडेय जी से पूछना चाहता हूं कि आज से कुछ दिन पहले इस सदन के सम्मुख चीन के आक्रमण के सम्बन्ध में सभी राजनीतिक विरोधी पार्टियों की तरफ से एक प्रस्ताव आया था, उस समय एक विशेष राजनीतिक पार्टी देशद्रोहिता का काम कर रही थी या नहीं कर रही थी लेकिन आप में से अधिकांश व्यक्तियों ने उस पार्टी को देशद्रोही और गद्दार घोषित किया था। लेकिन आज जब कि हमारे देश के वीर सैनिक देश की रक्षा करने के लिये पहाड़ पर १७, १८ हजार फीट की ऊंचाई पर दुश्मन का मुकाबला करने तथा सरकार देश की रक्षा के प्रयत्नों में संलग्न थी उस समय देश की स्वतंत्रता की रक्षा और देश प्रेम का दावा करने वाली कुछ राजनीतिक पार्टियों ने पीठ में छुरा भोंकने के लिये केन्द्रीय कर्मचारियों की रेल, डाक, सी० ओ० डी०, आदि के वह महत्वपूर्ण

विभागों की आम हड़ताल का एलान कर दिया और यदि हड़ताल सफल हो जाती तो इस देश का क्या हाल होता। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि आप किसी विशेष पार्टी को तो देशद्रोही कह सकते हैं, गद्दार कह सकते हैं, लेकिन देशद्रोहिता की तरफ अगर आप आचरण करें और यदि ऐसा करने वाले व्यक्तियों को प्रेस समाचारों के जरिये देशद्रोही कह दिया जाय तो इसमें क्या गलत बात थी ?

मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं एक दूसरी बात कहूंगा विरोधी दल के नेता ने सदन में अपना संशोधन प्रस्तुत करते समय जो आज भाषण दिया था उसमें से मैं एक अंश उद्धृत करना चाहता हूं। विरोधी दल के नेता ने कहा था कि "अब लड़ाई सरहद पर न होकर देश की हर गली-गली में होगी। सरहद की फौजी तैयारियां काम में नहीं आ सकती हैं। सिर्फ देश के ४० करोड़ लोगों में हिम्मत पैदा करने की तैयारी ही काम आ सकती है।" हमारे विरोधी दल के नेता ने यह बात कहीं है तो क्या यह मान लिया जाय कि आज सरहद पर हमारे जो नौजवान बैठे हुये हैं और जो सरकार फौजी तैयारियां कर रही है वह काम नहीं आ सकती है। उससे देश की रक्षा नहीं हो सकती है। लेकिन केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल जो देश के कोने-कोने और गली-गली में चलाई जाने वाली थी, क्या वह सच्ची लड़ाई थी ? परन्तु उसका मुकाबला करने के लिये देश की ४० करोड़ जनता ने हिम्मत की और यह प्रमाणित कर दिया गया है कि आज हमारे देश की जनता देश द्रोहिता के कामों का मुकाबला करने के लिये हर तरह से तैयार है। उसने हड़ताल का विरोध किया तथा हड़ताल को असफल करके हड़ताली नेताओं के मंसूबों को चकना चूर कर दिया।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि १९६० का जब देश का इतिहास लिखा जायगा और केन्द्र के कर्मचारियों के हड़ताल की घटना को जब हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी तो यह राजनीतिक पार्टियों जिन्होंने इसका संचालन किया उनको घृणा की नीति से और देशद्रोही की दृष्टि से देखा जायगा।

विरोधी दल के नेता ने एक बात और यह कही थी कि "आज यह सरकार कायम है उसका एकमात्र कारण यह है कि हम लोग देश की जनता में अभाव के प्रति चेतना जाग्रत करने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं और जिस दिन कामयाब हो जायेंगे उस दिन यह सरकार एक दिन भी कायम नहीं रह सकेगी।" हमारे विरोधी दल के नेता ने जहां हमारे देश की गली गली की लड़ाई की बात कही थी वहां उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उनके नाकामयाब होने का कारण क्या था ? उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि वह जनता में अभाव के प्रति चेतना जाग्रत करने में कामयाब नहीं हुये और जब कामयाब हो जायेंगे तो यह सरकार एक दिन भी नहीं रह सकेगी। यह शब्द मेरे नहीं बल्कि माननीय नेता विरोधी दल के हैं। मैं आप से कहना चाहता हूं कि नेहरू जी या हमारे मुख्य मंत्री जी हड़ताल के प्रति, जो भी राजनैतिक नेता या पार्टियां उसको चला रही थीं अगर ऐसे शब्द कहे थे तो क्या असत्य बात कही थी ? देश की जनता चिल्ला-चिल्ला कर कह रही है कि कुछ राजनैतिक नेताओं व पार्टियों ने अपने राजनैतिक स्वार्थ के वश हड़ताल की घोषणा की और अपना मतलब गांठने के लिये यह सब किया गया और कुर्सियों को लेने के लिये यह हड़ताल कराई गई थी लेकिन उसमें यह लोग नाकामयाब रहे।

अब मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के संबोधन के संबंध में माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात और कही थी उसकी ओर मैं इस आदरणीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा था कि आजकल खाद्यान्नों के भाव गतवर्ष के मुकाबले में ज्यादा बढ़े हैं। कंट्रोल की दुकानों पर १५ रुपये १० आने मन गेहूं मिलता है जब कि बाजार में १८ या १९ रुपये का भाव है। मैं पूछना चाहता हूं कि पारसाल ओपेन मार्केट में क्या भाव था ? जो इस वर्ष ओपेन मार्केट में भाव है वही शायद पारसाल भी ओपेन मार्केट में था यानी १८ या १९ रुपये मन के करीब था और दूसरी चीजों के बारे में कहा है कि जो पारसाल १२ रुपये ६४ नये पैसे मन था और इस वर्ष १२ रुपये ७५ पैसे प्रति मन

[श्री जगन्नाथ लहरी]

का भाव है । चने का भाव १३ रु० ११ आने था इस वक्त १५ रु० ४ आने है । चावल का भाव साढ़े २४ रुपये था इस वक्त २४ और २५ के बीच है ।

क्या आप वह दिन भूल गये जब कि दो वर्ष पहले प्रति दिन विरोधी दलों के सदस्यों द्वारा इसी सदन में खाद्य समस्या को लेकर दर्जनों काम रोको प्रस्ताव आया करते थे कि खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ती चली जा रही है । अन्त में सितम्बर में एक ऐसी अप्रिय घटना घटी जिसके कारण विरोधी सदस्यों को इस सदन का वाईकाट भी करना पड़ा था । अगर १९५८ के दामों से १९६० के दामों का मुकाबला किया जाय तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में खाद्य पदार्थों के भाव गिरे हैं या बढ़े हैं । १९५८ के अन्त में जा कर गेहूं के दाम ३०–३१ रुपये मन हो गये थे लेकिन आज १८–१९ रुपये मन हैं । इस प्रकार खाद्य पदार्थों के मूल्य नियंत्रित करने में, खाद्य समस्या हल करने में सरकार को कामयाबी ही हुई है । राज्यपाल महोदय ने स्वयं कहा है "१९५९–६० में रबी के खाद्यान्नों के, विशेषतः गेहूं के बाजार में कम आने तथा राज्य के कुछ भागों में सूखा पड़ने के कारण खरीफ की फसलों को क्षति पहुंचने जैसे कुछ कारणों से खाद्य स्थिति खराब हो गयी थी" वह आगे कहते हैं–"किन्तु फिर भी इस समय गेहूं तथा चावल के भाव गत वर्ष के इस समय के भावों से कम हैं तथा मूल्यों को और बढ़ने से सफलतापूर्वक रोकने के लिये उचित कार्यवाही की गयी है" । तो यह सरकार की सफलता ही है ।

इस सदन में एक तरह से यह परम्परा रही है कि एक प्रमुख पार्टी की ओर से यह प्रस्ताव आया करता था कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाय । राज्यपाल का संबोधन आज चिल्ला २ कर कह रहा है कि यह सरकार सत्ता के विकेन्द्रीकरण की ओर कदम उठा रही है । जिला परिषद का विधेयक जो आने वाला है, वह सत्ता के विकेंद्रीकरण की ओर एक कदम है । नियोजन विभाग की ओर से खंड और ग्राम स्तर पर जनता को जो नियोजन के कार्य चलाने का जो अधिकार दिया जा रहा है वह भी इसी ओर एक कदम है ।

एक बात और कही गयी । एम्पलायमेंट एक्सचेंज के आंकड़े देकर कहा गया कि १९५८ के मुकाबले में १९६० में बेरोजगारी की बढ़ोत्तरी हुई है । इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के G.o No. 4418—P/XI—B-Inp/518-49 dated 27-3-58 को देखा जाय जिसके मुताबिक लोकल बाडीज के लिये अनिवार्य कर दिया गया है कि वह अपने कर्मचारियों के स्थानों की पूर्ति के लिये एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के द्वारा उम्मीदवारों को बुलायें । १ मई, १९६० को सरकार ने एक दूसरा जी०ओ० निकाला जिसके अनुसार हर कारखाना जिसमें २५ से अधिक व्यक्ति काम करते हैं उनके लिये आदेश किया गया है कि वे एम्पलायमेंट एक्सचेंज द्वारा भरती करें । जब वहां से दरख्वास्तें आयेंगी तो स्वाभाविक है कि लोग और ज्यादा जा कर एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज करवायेंगे । जहां आप एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों को कोई प्रोत्साहन नहीं करते थे, लोग मनचाहे कैंडीडेट्स में से सेलेक्शन कर लिया करते थे, वहां अब जब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज के भेजे हुये उम्मीदवारों में से ही सेलेक्शन किया जायगा तब यह स्वाभाविक है कि लोग एम्प्लायमेंट एक्सचेंज आफिस में अपना नाम दर्ज करायेंगे । यही कारण है कि आज एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज में गत वर्षों की अपेक्षा उम्मीदवारों के नाम अधिक लिखे हुये पाये जा रहे हैं ।

अन्त में मैं केवल एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं । राज्यपाल महोदय, ने अपने अभिभाषण के पृष्ठ २ पर यह कहा है—

"प्रगति की ओर अग्रसर होने में हमारे सामने ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब हमें रुककर यह सोचना पड़ता है कि क्या मानव आणविक युद्ध की विभीषिकाओं से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सकेगा और क्या वह उन प्रयत्नों का लाभ उठा सकेगा जो सामाजिक कार्य कर्त्ता तथा वैज्ञानिक मानव जीवन को अधिक सुखद और आनन्दमय बनाने के लिये कर रहे हैं । हम आज ऐसी ही स्थिति में है ।"

तो आणविक युद्ध की विभीषिका के दौरान में जबकि संसार के हर व्यक्ति का भविष्य इस प्रकार अनिश्चित सा हो गया है, उस समय भी हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं और अन्त में राज्यपाल महोदय ने अपना भाषण समाप्त करने के पहले कहा था कि :--

"अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व मैं आपसे तथा आपके द्वारा इस राज्य की जनता से, अपील करता हूं कि चारों ओर से घुमड़ने वाले संकट के बादलों को देखते हुए हम विभिन्न प्रकार की संकीर्णता के जातीयता, प्रांतीयता या साम्प्रदायिकता के प्रवाह में बहने से अपने को बचावें तथा दलबन्दी की दलदल से अलग रहें। यही आज की सबसे बड़ी बुराइयां हैं और राष्ट्र के प्रबलतम शत्रु हैं। अब समय आ गया है जब हम सब अपनी कल्पना के अनुसार देश का निर्माण करने और जनता को जिसके हम प्रतिनिधि हैं, समृद्ध और सुखी बनाने के एकमात्र, प्रयोजन के लिये परस्पर मिलकर और एक-निष्ठ होकर कार्य करें। मुझे विश्वास है कि आपकी बुद्धि अनुभव और कर्तव्य निष्ठा के सहारे यह राज्य मार्ग में आने वाली बाधाओं से विचलित न होते हुये अपनी सब कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करेगा और इस प्रकार सम्पन्न एवं समृद्ध बनेगा। इस कठिन कार्य में ईश्वर आपकी सहायता करे।"

राज्यपाल महोदय, जो आज उस प्रदेश से आये हैं जहां उन्होंने कुछ समय पूर्व ही जातीयता और प्रांतीयता का नंगा नाच देखा है, उनका यह कहना है कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी देश के विकास के लिये, देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिये हम कटिबद्ध हैं और उन्होंने बड़े नम्र शब्दों में आपसे दलबन्दी छोड़कर एकनिष्ठ होकर, एक होकर देश के विकास को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिये प्रार्थना की है। मैं आशा करता हूं कि सचमुच अगर आप इस देश और प्रदेश का भला चाहते हैं तो इस दलबन्दी के दलदल को दूर करेंगे और देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में योग देंगे।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)--मान्यवर मैं महामान्य, राज्यपाल द्वारा जो भाषण दिया गया है उसमें विरोधी दल के सदस्यों की ओर से जो संशोधन उपस्थित किये गये हैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष--आप सब संशोधनों को सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री इन्दुभूषण गुप्त--जी हां। विशेषकर पालीवाल जी की तरफ से जो उपस्थित किया गया है उसको और, बाकी सबको भी।

पूरा भाषण सुनने के बाद मान्यवर, मेरे मस्तिष्क पर यह प्रभाव पड़ा कि यह भाषण जो सरकारी नीति का द्योतक होता है उसके स्थान पर पुराने जमाने में जैसे राजाओं, महाराजाओं की सभाओं में विरदावलियों का उच्चारण जैसा ही यह भाषण है। उसमें सरकार के कार्यों की प्रशंसा की गई है। कोई बात ऐसी नहीं कही गई कि अब सरकार को क्या-क्या कार्य करने हैं कि जिससे वह जनता की जो कठिनाइयां हैं उनको दूर कर सके। सरकार का यह दावा अब बाकी नहीं रहा कि अभी हमारी स्वतंत्रता का शैशव काल है, हमें स्वतंत्रता पाये हुये बहुत कम समय हुआ और हमने वह सब कार्य पूरे नहीं किये हैं जो हमको करने हैं। इस भाषण में चूंकि कोई नयी बातें नहीं बतलाई गई हैं इससे ऐसा लगता है कि अब सरकार के सामने कोई ऐसी नीति बाकी नहीं रह गई जिससे वह जनकष्ट को दूर कर सके। हमने यह देखा है कि जनता की कठिनाइयां दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं।

पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये कहा गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ाने के लिये और विद्युत क्षेत्र की कमी को दूर करने के लिये तथा उद्योग विकास के कार्य को प्रारम्भ करने के लिये उपस्थित की गई है। मैं जो पहली बात कृषि क्षेत्र के विकास की है उसको लेता हूं। और उसके संबंध में कुछ आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। हमारे एक माननीय साथी जो कल तक हमारे साथ बैठते थे

[श्री इन्दुभूषण गुप्त]

आज सरकार की तरफ जाकर बैठने लगे हैं। उनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती थी। हम नये लोग, जो कम जानकार हैं, उनसे सीखते थे। आज उनकी बातों को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह कहा था कि सरकार ने जो कुछ कार्य किया है उससे खाद्यान्नों के भाव गिरे हैं। मान्यवर, कुछ आंकड़े हमारे साथियों ने संकलित किये हैं। हम लोगों ने भी कुछ प्रयास किया है कि जिससे यह प्रकट होता है कि सन् १९५०–५१ में देश में ३.४ लाख एकड़ जमीन में खेती हुई और ४.७३ मिलियन टन अनाज आयात हुआ। उसकी कीमत आम तौर पर २१,८७९ लाख रुपये हुई और उस समय फैजाबाद में गेहूं का भाव १९ रुपये ४ आने था। १९५१–५२ में ८.४ लाख एकड़ जमीन में खेती हुई और ३.८६ मिलियन टन गेहूं आयात हुआ जिसकी कीमत २०,८०९ लाख रुपये थी। उस समय २२ रुपये ८६ नये पैसे मन गेहूं का भाव था। १९५२–५३ में १० लाख एकड़ जमीन में यह खेती हुई जो नई तोड़ी गई और तब केवल २ मिलियन टन अन्न आयात हुआ जिसका मूल्य ८,८९५ लाख रुपये था। उस समय गेहूं का प्रतिमन भाव १९ रुपये था। १९५३–५४ में ११.७ लाख एकड़ में खेती हुई और .८१ मिलियन टन अनाज का आयात हुआ जिसकी कीमत ४,७०२ लाख रुपये थे। उस समय गेहूं का भाव १६ रुपये मन था। सन् १९५४–५५ में १७.८ लाख एकड़ में खेती हुई और .७ मिलियन टन अनाज का आयात विदेशों से हुआ जिसका दाम ३,८११ लाख रुपये था। उस समय गेहूं का भाव १० रुपये मन था। आप देख सकते हैं कि सन् ५०–५१ से लेकर ५५ तक जो आयात विदेशों से होता था और जिसमें हमारा तमाम पौंड पावना भी खत्म हो रहा था और हमारा देश बंकरप्ट होता जा रहा था तो उसमें कमी हुई और उस समय हमारा देश सेल्फ सपोर्टिंग होता जा रहा था और अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। उस समय .७ मिलियन टन ही विदेशों से आयात अनाज का हुआ और उस समय गेहूं का भाव १० रुपये आठ आने मन था।

सन् १९५५–५६ में जब कि प्लानिंग कमीशन ने सीलिंग का नारा लगाया और कोआपरेटिव फार्मिंग की बात शुरू करदी उसके बाद से क्या नतीजा हुआ? वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ५५–५६ में अब जो बंजर जमीन तोड़ी जा रही थी वह रुक गई सन् ५४–५५ में जब १७.८ लाख जमीन तोड़ी गई थी तो ५५–५६ में केवल १८.१ लाख एकड़ जमीन में खेती हुई और आयात बढ़ गया। जब कि पहले साल .७ मिलियन टन अनाज बाहर से आया तो इस ५५–५६ के साल में १.४१ मिलियन टन बाहर से मंगाया गया जिसका दाम ५,६३१ लाख रुपया हुआ और पहले साल की अपेक्षा इस साल गेहूं का भाव अधिक हो गया यानी १५ रुपये ५० नये पैसे हो गया। ५६–५७ में उसके बाद १८.० लाख एकड़ में खेती हुई और ३.५८ मिलियन टन अनाज बाहर से आया जिसका दाम १६,२१८ लाख रुपये हुआ। उस समय गेहूं का भाव प्रति मन १७ रुपये ८ आने था। ५७–५८ में १८.२ लाख एकड़ में खेती हुई और ३.१७ मिलियन टन अनाज का बाहर से आयात हुआ जिसका दाम १६,००० लाख रुपये था जो विदेशों को भेजा गया। उस समय गेहूं का प्रतिमन भाव १८ रुपये था।

यह आंकड़े जो मैंने इकट्ठे किये वह सरकार की लायब्रेरी से और सरकार की पुस्तकों में जो प्रकाशित हुये हैं, उनके आधार पर इकट्ठे किये गये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि खाद्यान्नों के भाव दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं। मान्यवर, जब देश में अन्न का भाव बढ़ेगा तो महंगाई कैसे कम होगी और जब महंगाई कम नहीं होगी तो देश में सुख और समृद्धि कैसे आयेगी यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सरकार का दावा था कि हम ग्रामीणों की भलाई के लिये सारे काम कर रहे हैं और उसी लिये गल्ले का भाव गिरने नहीं देते लेकिन नीचे के आंकड़ों से प्रगट है कि जब सन् ५५ में गेहूं १०।। रुपये मन था तो ग्रामीणों की भी दशा अच्छी थी।

इस संबंध में मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। एक मंथली बुलेटिन आंकड़ों की है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें अन्य कमोडिटीज, नान-एग्रीकल्चरल

के भाव दिये हुये हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्रों के भाव ले रहा हूं। १९५४ में नान-एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का भाव ९५.८ था जब कि एग्रीकल्चरल का भाव ८४.३ था। इसी तरह से १९५५ में ९१.६ और ७०.७ रहा, १९५६ में ९८.८ और ८३.७ रहा, १९५७ में १०३.३ और ८८.१ रहा और १९५८ में १०३.५ और ९५.५ रहा। यह कुछ आंकड़े हैं जिनसे साबित होता है कि देहात की जनता की आमदनी घट रही है या बढ़ रही है। इसी में एक ग्राफ प्रकाशित हुआ है कि पेज ११४ पर है जिससे प्रकट होता है कि जब से कांग्रेस सरकार शासनारुढ़ हुई है ग्रामीण जनता की पर कैपिटा आमदनी १५० और २५० के बीच वैरी करती रही है और सन् १९५५ में वह बढ़ी है जब कि देश में खाद्यान्न का भाव सबसे कम हुआ था। यह ग्राफ साबित करता है कि उस सन् में देहात के रहने वालों की आमदनी प्रति व्यक्ति बढ़ी है और इसके बाद से यह लाइन मान्यवर, नीचे की ओर जा रही है और यह अंकित करती है कि देहात के रहने वालों की हालत दिन प्रति दिन बदतर होती जा रही है। तो मान्यवर यह नारा उस वक्त का है जब कि ग्रो मोर फूड की बात चल रही थी। तकावी लो खेत तोड़ो, तुम्हारी खेती हरगिज नहीं निकाली जायगी आदि आश्वासन देकर उनसे खेती कराई गई और उस समय उपज बढ़ी, लेकिन आज खेती के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं रह गया है। तो ऐसी हालत में क्या दशा होगी? और जब तक देश की आबादी की ७० प्रतिशत जनता जो देहातों में रहती है, दशा सुधरेगी नहीं तो देश कैसे समृद्ध होगा।

मान्यवर, राज्यपाल के भाषण में यह बात आई है कि हम भूमि की सीमा निश्चित करेंगे और उसका बिल आप लोग इसी सत्र में पास कर दें। इस सिलसिले में मैंने एक सवाल पूछा था लेकिन सरकार ने उसका उत्तर नहीं दिया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक किताब छपी है–'इंडिया १९५९' जिसमें दिया हुआ है कि ५,८७,६३० एकड़ भूमि दान में प्राप्त हुई उसका कुल १२ या १३ प्रतिशत ही यानी ७७,७५८ एकड़ भूमि ही वितरण की जा सकी और बाकी भूमि का न लगान वसूल हो रहा है और न उस पर खेती ही हो रही है कि हमको कृषि का उत्पादन बढ़ाना है। एक सवाल हमारे साथियों ने दिया है और उसके उत्तर से पता चलेगा कि सीमा के निश्चित करने से हमें कितनी भूमि प्राप्त होगी। अभी तो जो भूमि प्राप्त हुई है उसका ही वितरण नहीं हो सका है तो जो प्राप्त होने वाली है उसका वितरण कैसे होगा?. कृषि का उत्पादन घट रहा है और वह दिन आने वाला है कि यदि यही नीति रही तो देश में अकाल की स्थिति हो जायगी। अगर खाद्यान्न हम अधिक नहीं पैदा करेंगे तो विदेश से अन्न मंगा कर भविष्य में हम अपने देश वासियों को खिला नहीं सकेंगे। मेरे साथी ने जो यह नई बात कही कि खाद्यान्न के भाव गिरे हैं उसको इन आंकड़ों के आधार पर जब मैं देखता हूं तो मुझे हैरत होती है कि वे इधर से उधर जाते ही कैसे इतना बदल गये (लाल बत्ती जलने पर) मुझे अध्यक्ष महोदय, दो मिनट और देने की कृपा करें मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

श्री अध्यक्ष––अभी दो मिनट आपके बाकी हैं।

श्री इन्दुभूषण गुप्त––तो इसके बाद अब मुझे यह कहना है कि महामान्य राज्यपाल ने पुलिस के कार्यों की बड़ी प्रशंसा की है। मेरे पास जो यह सरकारी किताब है इसको देखने से पता लगता है कि प्रदेश में अपराधों की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा कुछ दिन पूर्व माननीय गृह मंत्री ने भी इस सदन में यह स्वीकार किया था कि ग्रामीण क्षेत्र में अराजकता बहुत बढ़ गयी है और वहां का जन-जीवन अरक्षित हो गया है। अब इसके बाद भी अगर राज्यपाल महोदय पुलिस के कार्यों की प्रशंसा करते हैं तो इसे प्रदेश का दुर्भाग्य न कहा जाय तो क्या कहा जाय?

इसके बाद एक बात और मजेदार कही गयी टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया के बारे में। मान्यवर, कुछ दिन पूर्व इसी आदरणीय सदन में मैंने एक प्रश्न किया था टाउन एरिया, बढ़हलगंज, के बारे में, जिसके विषय में माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया था कि वहां से हम टैक्स सन् १८७१ से वसूल करते चले आ रहे हैं गलतफहमी के कारण। सरकार का

[श्री इन्दुभूषण गुप्त]

यह तमाशा है कि न तो कोई कागज है, न रजिस्टर है, न उसका कोई आधार उनके पास है, किन्तु फिर भी जनता से जबरदस्ती कर वसूल करते चले आ रहे हैं। अगर जनता टैक्स नहीं देती है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में यह कहा गया है, धारा २७६–२७९ में, कि जब तक बाकीदार के पास जायदाद वगैरह है तब तक उसको गिरफ्तार न किया जाय और उससे रुपये जायदाद बेंच कर वसूल किया जाय। लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस टाउन एरिया के लिये कई बार नोटीफिकेशन्स भी निकले हैं। एक १८७१ में निकला कि चिल्लू पार का हिस्सा भी उसमें शामिल है। उसके बाद सन् १८७५ में, फिर १९१५ में भी नोटिफिकेशन निकला, उन सबकी कापी भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन फिर भी सरकार को गलतफहमी होती है और होती चली जा रही है क्योंकि इनका कोई सिद्धांत नहीं है।

*श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं, जो प्रस्ताव माननीय वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है और जिसका माननीय विकल जी ने समर्थन किया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं महामान्य राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूं कि वे कृपा कर के हमारे बीच आये और हम लोगों के बीच अपने राज्य की जो व्यवस्था है उसके विषय में सम्बोधन किया।

जो अभी आज की बहस चल रही है इसको सुन कर मुझे कुछ ग्लानि और दुख भी हुआ। हमारे विरोधी दल के नेता, जो बहुत ही योग्य और महान् व्यक्ति हैं, उन्होंने दो तीन बातें बतलायीं। उन्होंने कहा कि हरिजनों और पिछड़ी हुई जाति के लोगों के लिये कुछ नहीं किया जाता। यदि महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के पृष्ठ १७ को पढ़ा जाय तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि "भारत सरकार के अनुमोदन से गत वर्ष ५५ लाख रुपये की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प-विकसित भूखंडों के विकास की एक योजना तथा ४ लाख रुपये की लागत से मैनपुरी जिले के मालखन चौड़ नामक स्थान में हरिजन बस्तियां बसाने की एक अन्य योजना बनाई गई थी. . ." मुझे बड़ा दुःख होता है जब इस तरह की बातें तो कही जाती हैं किन्तु प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना माननीय सदस्य भूल जाते हैं। आप का जो बजट है, उसको आपने ही पास किया है। उसको देखना चाहिये। क्या जो पैसा आप ने इन लोगों के लिये रखा है वह कम है? मैं यह मानता हूं कि जितना होना चाहिये उतना नहीं रखा गया है, लेकिन हमारे जो साधन हैं उन्हीं के अनुसार तो हमें कार्य करना है। मैं तो चाहूंगा कि आप ५ लाख नहीं ५ करोड़ उनके लिये रख दें, पर आप कुछ साधन भी तो बतायें। राज्यपाल महोदय के पास कोई छूमन्तर तो है नहीं, जिससे वे पैसा ले आयेंगे। उन्होंने आप को आउट लाइन्स दे दी है। इस आउट-लाइन्स पर हमारी राज्य व्यवस्था चलेगी, अब उसमें बहस किस बात की है? बहस खाली इसलिये है कि कम हो या बेशी हो, कम करना आप के हाथ में, बेशी करना आप के हाथ में है जितना चाहे रख लीजिये। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे मिल कर कहिये और आप कृपया आपको अलाट हो जायगा।

दूसरी बात आपने कही कि बेरोजगारी बड़ी बढ़ती जा रही है। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के आंकड़ों से आप ने सिद्ध किया, लेकिन आप ने कृपा कर के यह तो बतलाया कि इतने आदमी बेरोजगार हैं, लेकिन यह नहीं बतलाया कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज ने कितने आदमियों को रोज-गार दिया। इसी किताब में राज्यपाल महोदय ने अपने एम्प्लायमेंट एक्सचेंज की बात भी बतलाई कि यहां हमारे इतने थे, इतने और खुले। हो सकता है कि कम हों। हमारी जिस तरह से राज्य की व्यवस्था बढ़ रही है, उसी तरह से हमारी आबादी भी बढ़ रही है, उसको आप को मीट करना है, मेक-अप करना है। इसके लिये नयी योजनाएं और प्लान आवेंगे। सदन इसीलिए बना है और प्रजातंत्र की पहली चीज है कि हम जो सब चुन कर आवें वह मिल कर हर चीज बनायें, तो वह मिल कर करना है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात कही जाती है कि हमारी स्टेट में बहुत जुर्म बढ़ गया। हम लोग समाज के अग्रणीय हैं, १ लाख, ६० हजार आदमियों पर चुन कर आते हैं, आप हम जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। हम लोग समाज के रहनुमा हैं और सब से बड़ी जिम्मेदारी विरोधी दल के नेता की है। क्यों नहीं गवर्नमेंट को ठीक करते ?

हमारे आदरणीय पंडित मदन पांडेय जी ने बड़े से बड़े नेता को देशद्रोही कहा, यह ठीक नहीं है। भाई, देशद्रोह की परिभाषा क्या है, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। मिस्टर ख्रुश्चेव से पूछिये, इतने बड़े बड़े देश-भक्तों को जिन्होंने समाजवाद कायम करने में, रूस की स्वतंत्रता लाने में सारा जीवन बिता दिया आज उनकी क्या हालत हुई। आज जिस समाजवाद की बातें करते हैं, जिसका सब से बड़ा गुरु मार्क्स कहा जाता है, उनके सब से बड़े रहनुमा लोग क्या कर रहे हैं ? देशद्रोह किसको कहते हैं ? क्या जिस दिन ये सारी गाड़ियां बन्द हो जातीं, बनारस का सामान हैदराबाद में न पहुंचता, हैदराबाद का कश्मीर में न पहुंचता, लाखों आदमी मर जाते, देश-द्रोही और क्या कहलाता है ? देश-द्रोह की परिभाषा होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि भाई साहब बड़े भारी नेता हैं, जोशी साहब बड़े भारी नेता हैं। यह भी मानता हूं कि आदरणीय गेंदा सिंह जो हमारे साथ बैठते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं---इसमें कोई दो राय नहीं है। मदन जी भी, माफ कीजिये, आप भी गिरफ्तार हुये थे। लेकिन क्या यह सही था ? जब हमारे देश के प्रधान मंत्री जो सबसे सक्रिय नेता हैं, पंडित नेहरू, बोले कि आकर बातें कर लीजिये, हड़ताल करने से काम नहीं चलेगा, तो जो सारे संसार का नेता है, जो सारे संसार को पीस और शान्ति का पैगाम देता है लेकिन आप ने उस की बात को ठुकरा कर देख लिया, हड़ताल करके देख लिया कि आप को जनता का कितना समर्थन प्राप्त है।

श्री मदन पांडेय---अध्यक्ष महोदय, अगर आप इस तरह की बात को एलाउ करते हैं तो ठीक है, हम लोगों को भी बोलने का मौका मिलेगा।

श्री अध्यक्ष---(श्री लालबहादुर से) आप जारी रखिये। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री लालबहादुर---आपने देख लिया कि आप को कितना समर्थन जनता का प्राप्त है। जो रेलवे कर्मचारी था वह बुद्धिमान था, वह असलियत समझता था, वह आप के बहकावे में नहीं आ सका। आप अब से सबक लीजिये कि वह अब आप के बहकावे में आनेवाला नहीं है। इस तरह से काम करने से काम नहीं चलेगा। सारे संसार का जो रहनुमा था उसने रेडियो से, अखबारों के द्वारा आप से रो रो कर अपील की कि आप कतई हड़ताल न करें, १५ हजार फीट की, १२ हजार फीट की ऊंचाई पर हमारे सैनिक खड़े हैं और हम अपने देश के निर्माण का काम कर रहे हैं और ऐसे समय इस देश में क्या होगा जब आप सारे देश के कम्युनिकेशन को ठप कर देंगे। दोस्तों, कल्याणकारी राज्य के माने यह नहीं होते। हमारे आदरणीय दोस्त इन्दुभूषण जी ने आंकड़े पढ़ कर बतलाये। केवल आंकड़ों से ही कल्याणकारी राज्य नहीं होता। पाव भर कहीं अनाज के भाव में कमी आ गयी, कहीं आधा सेर कम हो गया तो उससे कोई कल्याणकारी राज्य बनता बिगड़ता नहीं है। कल्याणकारी राज्य का सब से भारी मापदंड यह है कि जनता दुखी है। उस दुख को किस तरह से दूर करना है। क्या स्ट्राइक से वह होगा ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या स्ट्राइक में जनता आप के साथ थी ? मैं हर जगह पूछता था लोग यही कहते थे कि यह बिना समय की शहनाई बजाई जा रही है। इस समय इतना बड़ा स्ट्राइक कराना अनुचित है। अगर आप इसी बात पर रिफ्रेन्डम करा लेते तो आप को सही बात मालूम हो जाती। आप को सही स्थिति का ज्ञान हो जाता।

आप देखें कि कल्याणकारी राज्य क्या है। कल्याणकारी राज्य सर्वांगीण होना चाहिये। हमारे माननीय राज्यपाल जी ने कहा है कि हम १० हजार सहकारी समितियां बना रहे हैं और ५ हजार अगले साल बनायेंगे। यह हम समाजवादी समाज की तरफ एक कदम और आगे

[श्री लालबहादुर]

बढ़ा रहे हैं। हम समाजवाद को लाने की कोशिश कर रहे हैं और गरीबी किस तरह से दूर हो, इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं। यहां तो सब से बड़ी बात गरीबी को दूर करना है। आप आज यह क्यों भूल जाते हैं कि आप हमारे अगुआ बन कर जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे तब हमारी रहनुमाई करते थे लेकिन अब हममें क्या दोष हो गया है। हमने देखा है जब आचार्य नरेन्द्र देव जी थे वे हमारे रहनुमा थे, हम उनके कंधे से कंधा मिला कर चलते थे। आप भी पार्टी को लिक्वीडेट कर दीजिये और आइये आप ही हमारे अगुआ होइये, अगुआ हो कर हमारी रहनुमाई कीजिये, हम आप को अपना रहनुमा मानते हैं। आज भी हम कहते हैं आदरणीय शिलोकी सिंह जी, आदरणीय गदा सिंह जी से कि आप हमारे रहनुमा बनिये और हममें कोई खराबियां हैं तो उसे दूर कीजिये।

श्री अध्यक्ष--आप का समय समाप्त। श्री भुवनेशभूषण जी अब आप अपना भाषण कल आरम्भ करेंगे।

कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष--अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं। १ अगस्त को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक लिया जानेवाला था। अब सरकार की तरफ से सूचना आ गयी है कि उस रोज वे उसको नहीं ले सकेंगे। उसकी जगह उस दिन अब उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, पर विचार आरम्भ होगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
२६ जुलाई, १९६०।

श्री देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५ पर)

मुआवजे के रेट की सूची संलग्न है:

मुआवजा भूमिधर को शरह बन्दोबस्त का ४० गुना या लगान का ८० गुना जो भी अधिक है, दिया गया है। जहां भूमिधर का लगान जिसे वह देता है शरह बन्दोबस्त से कम है वहां इन दोनों के अन्दर का २० गुना और दिया गया है। सीरदार को शरह बन्दोबस्त का २० गुना दिया गया है। यदि इसका लगान शरह बन्दोबस्त से कम है तो इस अन्तर का २० गुना इनको दिया गया है जिन इलाकों में शरह बन्दोबस्त नहीं थे वहां भूमिधर को लगान का १०० गुना और सीरदार को लगान का ३० गुना मुआवजा दिया गया है।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५ पर)

क्रम संख्या	जिलों का नाम	पुनः निर्माण लोकल मैटेरिल्ड लम्बाई			नव-निर्माण लम्बाई		
		मील	फ०	फिट	मील	फ०	फिट
१	आगरा		—		१२	०	०
२	अलीगढ़	९	४	४१०	२१	४	०
३	इलाहबाद	३५	३	५०	४	०	०
४	अल्मोड़ा		—		९०	०	०
५	आजमगढ़	४६	६	६५०	६	०	०
६	बदायूं	६	६	५००	२५	४	०
७	बहराइच	१	०	५२०	६३	७	०
८	बलिया	६	३	११०	७१	०	०
९	वाराणसी	२	६	३६६	१९	०	०
१०	बांदा	१५	१	१२४	४४	०	०
११	बाराबंकी	१५	५	४०४	६	४	०
१२	बरेली		—		९	०	०
१३	बस्ती	२९	०	०	६७	२	३३०
१४	बिजनौर	१५	६	२७०	३८	१	०
१५	बुलन्दशहर	१६	४	५००	१७	७	०
१६	देहरादून		—		१५	०	०
१७	देवरिया		—		२०	०	०
१८	एटा	१७	५	०	४१	४	०
१९	इटावा	१२	५	०	१६	३	४५०
२०	फैजाबाद	१	३	५२६	१०	०	०
२१	फर्रुखाबाद	८	६	३९	१५	०	०
२२	फतेहपुर	६	२	३५५	२८	०	०
२३	गढ़वल		—		१०५	३	०
२४	गाजीपुर	१३	४	०	११	०	०
२५	गोंडा		—		६५	६	०
२६	गोरखपुर	११	०	०	४४	०	०
२७	हरदोई		—		७२	०	०
२८	हमीरपुर	६	५	२७५	४१	५	०
२९	जालौन	१	०	०	२२	७	०
३०	जौनपुर	२०	२	१०६	५	०	०
३१	झांसी	३६	६	०	१६	७	०
३२	कानपुर		—		९	३	०
३३	खीरी लखीमपुर	६	५	२६	५२	३	०
३४	लखनऊ		—		१७	१	०
३५	मैनपुरी	७	६	४७०		—	

क्रम-संख्या	जिलों का नाम	पुनः निर्माण लोकल मैटेल्ड लम्बाई			नव निर्माण लम्बाई		
		मील	फ०	फिट	मील	फ०	फिट
३६	मथुरा		--		११	६	०
३७	मेरठ		--		७८	३	०
३८	मिर्जापुर		--		६३	७	०
३९	मुरादाबाद		--		३८	०	०
४०	मुजफ्फरनगर	१२	२	३३०	८३	५	४६०
४१	नैनीताल		--		७९	०	३३०
४२	प्रतापगढ़	२	३	०	२०	०	०
४३	पीलीभीत	०	४	०	५१	७	०
४४	रायबरेली	१	४	०	८	४	०
४५	रामपुर		--		२७	०	०
४६	सहारनपुर	०	२	०	४२	०	०
४७	शाहजहांपुर	१	१	४५०	६१	०	०
४८	सीतापुर	२	०	०	२४	०	०
४९	सुल्तानपुर		--		३४	०	०
५०	टिहरी		--		७६	५	०
५१	उन्नाव	३९	५	०	२५	०	०
	योग ..	४१२	३	४६१	१८२९	६	२५०
	यानी ..	४१२	मील		१८२९	मील	

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१०८ एल० ए०—१९६०—८४५ ।